राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ६] तृतीय विधान सभा के नवम् सत्र १६६६ का ३६वां दिवस [संख्या २८

मंगलवार,

दिनांक ५ अप्रेल, १६६६

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत्त शासन, जन-स्वास्थ्य, सहकारी, सार्वजनिक निर्माण, उद्योग, यातायात एवं विद्युत्-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न; श्री हनुमानसिंह।

कुचामन नगरपालिका

५६३. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नावां): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या नगरपालिका, कुचामन द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर सुपरसीड करने बाबत सरकार के समक्ष कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है ? यदि हां, तो कब व आज तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : जी हां ! दिनांक १०-१२-६५ को। जिलाधीश द्वारा जांच करवाई जा रही है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : आपके आदेश होने के बाद में आज तक जिलाधीश ने क्या कार्यवाही की ?

श्री दौलतराम सारण : अभी तक तो किसी भी प्रकार की कार्यवाही की सूचना नहीं है। १६-२-६६ और १६-३-६६ को स्मृति-पत्र भेजे हैं।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : चार महीने का अरसा हो गया इस बीच में और भी कई प्रकार की गड़बड़ियां हो रही हैं, कलेक्टर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : हमने उनको दो बार स्मरण जरूर करवाया है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : कलेक्टर के पास इस नगरपालिका की बहुत सारी कम्पलेन्ट्स पड़ी हुई हैं, उन्होंने आज तक कोई इन्क्वायरी करके रिपोर्ट सब्मिट नहीं की इसलिये क्या आप विभाग के अधिकारी द्वारा इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : कलेक्टर एक बड़ा अधिकारी है इसलिये कलेक्टर के पास सारी शिकायतें, जो इस प्रतिवेदन में प्रस्तुत की गई हैं वे उनको भेज दी गई हैं और ताकीद की है कि वे जांच करके इस बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

Page No. 2

श्री हनुमानसिंह चौधरी : आप इस बारे में कब तक निर्णय ले सकेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : रिपोर्ट आने पर यथास्थिति कार्यवाही की जायगी।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : क्या आप नगरपालिका की अवधि समाप्त होने से पहले इस बारे में निर्णय ले सकेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : निश्चित तिथि तो मैं नहीं बता सकता, यह सब रिपोर्ट पर निर्भर करता है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल।

प्रतापगढ़ में जल वितरण

५६४. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ शहर में वाटर वर्क्स द्वारा पानी पूरा नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो नल कितने समय चलता है ?

(२) क्या यह भी सही है कि जो वाटर वर्क्स के कुएं हैं उनमें पानी नहीं है ? यदि हां, तो पीने का पानी शहर को पर्याप्त मात्रा में देने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

उप-मंत्री, जन-स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां, लगातार पिछले दो वर्षों से वर्षा के अभाव के कारण कुओं में पानी की भारी कमी आ जाने से पानी पूरा नहीं दिया जा रहा है।

(२) जी हां, पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी मिलने के लिये कुएं गहरे कराये जा रहे हैं।

श्री हरलाल मीणा : तो आप वहां पर पानी के लिये क्या प्रबन्ध कर रहे हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : कुओं को गहरा कर रहे हैं।

श्री हरलाल मीणा : फिलहाल समस्या को हल करने के लिये क्या योजना है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : बोरिंग मशीन लगा रखी है कुओं को गहरा कर रहे हैं, जहां से भी पानी मिलेगा वहां से लाने का प्रबन्ध करेंगे।

श्री हरलाल मीणा : नदी से पानी नहीं देने का क्या कारण है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जितने पानी की वहां से आशा थी उतना उसमें नहीं मिल सका।

श्री हरलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, वहां पर पानी की इतनी कमी है कि वहां कुओं का पानी सिर्फ तीन-चार महीने ही मिल पाता है, पानी की समस्या जोरदार है कुओं को गहरा किया गया है फिर भी पानी का प्रबन्ध नहीं हो पा रहा है ?

श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : नलों का डाइमीटर क्या है ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : प्रतापगढ़ में पानी की एक्यूट शॉर्टेज है, सारे प्रयत्न करने के बावजूद भी जितने पानी की आवश्यकता है उतनी सप्लाई करने की स्थिति में नहीं हैं। वाटर सोर्सेज टेप किये

Page No. 3

(श्री हरिदेव जोशी)
गये, पहाड़ी क्षेत्र में भी बोर करवा रहे हैं फिर भी पानी नहीं मिल पा रहा है। चीनाखेड़ा दर्रा से पानी लाने की कोशिश की है लेकिन वहां पर भी उतना पानी नहीं है जो शहर की सप्लाई को पूरा कर सके। अब हम चेयरमैन, म्युनिसिपल बोर्ड की मदद से कोशिश कर रहे हैं, जहां भी पानी का मोर्स मालूम हो, चाहे खर्चा कितना भी होगा, शहर को पानी दिलाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री अध्यक्ष : वैद्य श्री गोविन्दसहाय।

गंगापुर नगरपालिका द्वारा निर्मित पार्क

५९५. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गंगापुर नगरपालिका द्वारा पुलिस स्टेशन के पास जो पार्क बनाया गया है, उसके सम्बन्ध में ऑडिट रिपोर्ट में यह एतराज किया गया है कि इस कार्य के लिये टेन्डर नहीं मांगे गये थे ?

(२) इस पार्क के निर्माण पर कितनी लागत आई है ?

(३) क्या इस निर्माण कार्य में धन का दुरुपयोग हुआ है ? यदि हां, तो कितनी रकम का ?

(४) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई जांच करने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) :(१) ऑडिट द्वारा एतराज नहीं किया गया है।

(२) २२९,००.४८ पैसे।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न के खंड (३) के उत्तर के अनुसार कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : क्या इस तरह से बिना टेन्डर लिये ही प्राइवेट काम करवा सकते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : निर्धारित शिड्यूल्ड रेट के अनुसार खर्चा करके नगरपालिका ने स्वयं ने काम करवाया है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : धनराशि जो खर्च हुई है वह जनता की हुई है। टेन्डर सिस्टम से काम न करवा कर आसानी से काम करवाया गया। पांच आदमी काम करते थे उसकी जगह तीस आदमियों की हाजरी की गई, इस पर ऑडिट का भी एतराज हुआ है, आपको जो सूचना है वह गलत है।

श्री दौलतराम सारण : एस्टिमेट्स जो आये वे शिड्यूल्ड रेट्स से बहुत कम हैं और कम राशि व्यय हुई है, अधिक व्यय होने का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'कालाबादल'।

छत्रपुरा ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेन्टर की सहकारी समिति

५९६. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि छत्रपुरा ग्राम-सेवक ट्रेनिंग सेन्टर, कोटा की सहकारी

(श्री भैरवलाल 'काला बादल')
समिति में २२ हजार रु० की जमा पूंजी का घोटाला व गबन हो गया है ?

(२) क्या यह सही है कि इस गबन को छिपाने के लिये समिति के कैश-बुक, लैजर आदि कागजात गायब कर दिये गये हैं और ऑडिट पार्टी के वहां पहुँचने पर भी ऑडिट नहीं हो सका है ?

(३) क्या सरकार इस मामले में तुरन्त जांच करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सहकारी (श्री भीमसिंह) :

(१) अभी कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : घोटाला कितने का हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : श्री 'कालाबादल'।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : कैश-बुक व लैजर गायब नहीं हुए क्या ?

श्री भीमसिंह : आपने प्रश्न यह पूछा है कि क्या इस गबन को छिपाने के लिये समिति के कैश-बुक, लैजर आदि कागजात जब्त कर दिये गये हैं और ऑडिट पार्टी के वहां पहुँचने पर भी ऑडिट नहीं हो सका है। मैंने निवेदन किया ऑडिट हो चुका है, जो भी कागजात ऑडिट के सामने आने थे वे आ चुके हैं। ६२-६३ का ऑडिट हो चुका है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : इस सहकारी समिति का निर्माण कब हुआ और क्या इसका ऑडिट हर साल होता रहा है ?

श्री भीमसिंह : इसका निर्माण १९-२-५४ को हुआ था।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : घोटाला हुआ या नहीं ?

श्री भीमसिंह : घोटाले की शंका की जा रही है। इसीलिये रि-ऑडिट किया जा रहा है। मुकम्मिल ऑडिट हो जाने के बाद ही यह सही तौर से पता चल सकेगा कि सही गबन कितने का है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : कैश-बुक गायब हो गई। नई कैश-बुक बनाई गई। ग्राम सेवक जो वहां शिक्षा लेने के लिये आते हैं उनसे प्रत्येक से दस-दस रुपया शेयर मनी का डिपॉजिट करवाया जाता है। यह '५४ से चल रहा है। ग्राम सेवक ट्रेनिंग लेकर चले जाते हैं, उनका जो शेयर मनी होता है वह उनको नहीं दिया जाता है। इस प्रकार से बाईस हजार की पूंजी एकत्र हो गई। कैश-बुक गायब है। हो सकता है इससे बचने के लिये नई बना दी गई हो। '६२ का ऑडिट नई कैश-बुक के आधार पर करवाया गया होगा। पुरानी तो सब गायब हैं।

श्री भीमसिंह : ऑडिट हो जाने के बाद शायद हो सकता है कैश-बुक गायब हो गई हो, यह मेरी जानकारी में नहीं है। अब रि-ऑडिट हो रहा है। अगर गायब भी होगी तो छिप नहीं सकती। रि-ऑडिट में सब चीजें सामने आ जायेंगी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : वहां पर गबन-घोटाले की शंका है, यह किस आधार पर कहा ?

श्री भीमसिंह : ऐसा है कि '६१-६२ का ऑडिट कम्पलीट हुआ उसके बाद में दुबारा ऑडिट करवाया गया। '६२-६३ और '६३-६४ का ऑडिट किया तो पहले वाले फिगर्स थे, बैलेन्स-शीट से उनका मिलान नहीं हुआ। '६१-६२ के फिगर्स में ओवरराईटिंग किया हुआ प्रतीत हुआ उससे ९०० और कुछ रुपये का डिफरेन्स आता है। इससे ऐसा मालूम हुआ कि पहले वाले कागजात टेम्पर किये गये हैं। उससे मिलान नहीं खाते। गड़बड़ है, इसलिये दुबारा ऑडिट होना चाहिये. इसलिये रि-ऑडिट होने जा रहा है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : वहां २०० छात्र पढ़ते हैं। चार हजार का सामान हर माह आता है। फो-छात्र से सवा छः पर्सेन्ट कमीशन लेते हैं और सवा छः पर्सेन्ट व्यापारी से लेते हैं इस तरह से १२।। पर्सेन्ट हर महीने में आमदनी है साढ़े चार हजार के माल पर। '५४ से लेकर अब तक इसमें लाखों रुपयों का लाभ हुआ है, आप डिटेल्स में जानकारी करें। उस सहकारी समिति के चुनाव भी नहीं होते। वहां का लेक्चरार है वही उसका चेयरमैन बना हुआ है। ग्राम-सेवक बेचारे शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि उनको फेल होने का डर रहता है।

सहकारी मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : माननीय अध्यक्ष, यह बात ठीक है कि एक साल पहले पूछा था, तब ऑडिट का ऑर्डर दिया गया था हिसाब की जांच-पड़ताल करने का। जैसा बताया गया कि शंका हुई तो रि-ऑडिट के लिये पूरी पार्टी भेजने का फैसला किया गया। यह डिटेल में ऑडिट कर रही है।

यह थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि शेयर-होल्डर जब कोई बन जाता है तो शेयर मनी वापिस नहीं लौटाई जाती। अगर डिविडेण्ड डिस्ट्रिब्यूट होता है तो वह मिलता है। इसलिये पैसा बाकी देने का सवाल नहीं है।

पूरा ऑडिट होने के बाद जो रिपोर्ट आवेगी और उसमें जो कसूरवार पाया जावेगा उसको सजा दी जावेगी और कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

श्री अध्यक्ष : चुनाव भी इसका जल्दी करा दिया जावे।

श्री मथुरादास माथुर : साल-डेढ़ साल पहले हुआ होगा, फिर चैक करा लिया जावेगा। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : वहां के ग्राम सेवक ने बताया कि इसका चुनाव होता ही नहीं। सुलतानपुर के रहने वाले का वैसे ही नाम दे दिया व्यवस्थापक के कहने पर और वह चुन लिया गया।

श्री मथुरादास माथुर : अब इसका तो मैं क्या करूं। स्टुडेन्ट्स होते हैं, एक साल बाद वे चले जाते हैं। अब व्यवस्थापक के कहने से किसी का नाम दे दिया जावे और उसको वोट आ जावें तो यह मेरे हाथ की तो बात नहीं है। चुनाव ही नहीं करावें, तो वह मैं कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : सहकारी समिति है, आदर्श तरीके से काम करना चाहिये उसे। इस तरीके से आप देखें।

श्री मथुरादास माथुर : अब पूरा ऑडिट हो रहा है। जब तक सारी बातें सामने न आ जावें तब तक कैसे कह सकता हूं कि आदर्श तरीके से काम नहीं हो रहा है।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : '६१-६४ का ऑडिट कब हुआ, इसकी तारीख बता सकेंगे ?

श्री भीमसिंह : ६२-६३ और ६३-६४ और ६४-६५ का ऑडिट हुआ है। आगे के सालों का ऑडिट करते हुए पिछले हिसाब को भी चेक करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि बैलेन्स में अन्तर आ रहा था। पिछले हिसाब को चेक करने के दरमियान मालूम हुआ कि उन किताबों में ओवरराइटिंग किया हुआ है तो इस पर दुबारा ऑडिट करने का निर्णय किया गया।

श्री गोविन्दसिंह : दुबारा ऑडिट करने का काम कब से शुरू किया गया ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

अधिक भुगतान

५९७. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां-सु.): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) हैल्थ सेन्टर, बमोरी, जिला कोटा में मार्च, सन् ६५ में कितना कट स्टोन आया व कितने का पेमेन्ट हुआ ?

(२) क्या यह सच है कि जितने माल का पेमेन्ट हुआ उतना माल वहां मौके पर नहीं था ?

(३) यदि हां, तो यह पेमेन्ट कैसे हुआ ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री परसराम मदेरणा) : (१) आवास-गृहों हेतु ५३०.९६ घन फुट पत्थर आया था और उतनी ही राशि का भुगतान किया गया है।

(२) यह सत्य नहीं है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री दयाचन्द सोन : कौनसी तारीख को भुगतान हुआ ? कौनसी को शिकायत की गई ?

श्री परसराम मदेरणा : तारीखें मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं हैं।

श्री दयाचन्द सोन : पत्थर वहां आ गया, इसकी जानकारी है क्या आपको ?

श्री परसराम मदेरणा : जानकारी के आधार पर ही तो कह रहा हूं।

श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : यह पत्थर किस रेट से खरीदा गया ?

श्री परसराम मदेरणा : डिपार्टमेंटल वर्क था। श्री कुंजबिहारीलाल ठेकेदार को पत्थर ढोना था और पत्थर ट्रक से ढोने वक्त बीच में कैनाल में पानी आ जाने से कुछ पत्थर वहीं कैनाल के किनारे डाल दिया। वह पत्थर पी. डब्ल्यू. डी. के कब्जे में है। कार्टेज चार्जेज़ उस पत्थर को अपनी जगह पर ढोकर लाने के लिये जितना लगता उतना काट र पेमेन्ट किया गया है। इस वजह से शायद गलतफहमी हो रही है।

श्री अब्दुल जब्बार खां : पेमेंट दे दिया और माल साइट पर नहीं पहुंचाया गया इसके बाद भी माल अपने अधिकार में होने की बात कह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : हमने जो पेमेंट किया है वह ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज़ काट कर किया है।

श्री दयाचन्द सोन : यह आपकी जानकारी सही नहीं है, मेरा प्रश्न स्पष्ट है। पत्थर मौजूद नहीं है और पेमेन्ट हो गया है।

श्री अध्यक्ष : पत्थर ढोने का पेमेंट हो चुका है। वहां से जहां पड़ा बता रहे हैं, साइट पर लाने का चार्ज इन्होंने काट कर बाकी का पेमेंट किया है।

श्री परसराम मदेरणा : थोड़ा सा पत्थर लाना बाकी था जिसे वे ला रहे थे कि बीच में कैनाल में पानी आ जाने से ट्रक उसमें से पास नहीं हो सकता था। तो उतना सा पत्थर कैनाल पर छोड़ दिया है। अब उसको वहां से साइट पर लाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा काट कर बाकी पेमेंट किया गया है। अब उसे दूसरों से मंगवा लेंगे। बाकी का पत्थर तो साइट पर है ही।

श्री अध्यक्ष : फिर उसे पहुंचाने पर ही पेमेन्ट कर देते।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो कण्डीशन पर निर्भर करता है। ऐसा कोई कारण हो जावे कि जितना सरकार का खर्चा पड़ेगा उससे अधिक लग जावे और कॉन्ट्रेक्टर फेल हो जावे तो ऐसी बात नहीं है। पेमेन्ट नहीं देने से, देर से देने से कॉन्ट्रेक्टर का फेल होने का अन्देशा रहता है तो उसे भी देखना है। अब थोड़ा पत्थर बीच में डाल दिया है तो हमने उसको साइट तक ढोने के लिये ठीक ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज उससे काट लिये हैं। सरकार को इसमें कोई हानि नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार खां : उसको क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट दे दिया गया कि माल आ गया है? पेमेन्ट से पहले यह सर्टिफिकेट दिया गया या बाद में?

श्री अध्यक्ष : पर पेमेन्ट करना तो खुद मन्त्री महोदय स्वीकार करते हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसमें एडवान्स पेमेन्ट कितना किया?

श्री परसराम मदेरणा : काम तो विभागीय चल रहा है। ढुलाई का ही काम था।

श्री भैरोंसिंह : ढुलाई का ही कितना एडवान्स पेमेन्ट किया?

श्री परसराम मदेरणा : ढुलाई का जितना था कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : एडवान्स कितना कर दिया?

श्री अध्यक्ष : कुल पेमेन्ट कितना किया गया?

श्री परसराम मदेरणा : यह भी फिगर नहीं है।

श्री दयाचन्द सोन : पेमेन्ट कितना किया, यही पता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

नमक उत्पादन सहकारी समितियों को जमीन

५९८. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नावां) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या नमक उत्पादन सहकारी समिति, जाबदीनगर व ग्राम सेवा सहकारी

(श्री हनुमानसिंह)
समिति, महाराजपुरा (तहसील नावां) की नमन उत्पादन के लिए भूमि अलॉट करने हेतु कोई दरख्वास्तें सरकार के समक्ष पेश हुई हैं ? यदि हां, तो कब व उन पर इतने अर्से में क्या कार्यवाही की गई ?

(२) क्या उक्त दरख्वास्तों के बाद इस चाही गई भूमि व नावां तहसील क्षेत्र के अन्तर्गत कोई अलॉटमेन्ट किया गया ? यदि हां, तो इन दो समितियों को क्यों नहीं किया गया ?

(३) इन समितियों को अलॉटमेन्ट कब तक कर दिया जावेगा ?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) केवल नमक उत्पादन सहकारी समिति, जाबदीनगर, की दरख्वास्त जाबदीनगर के बारे में भूमि अलॉट करने हेतु दिनांक ४-३-६३ को प्राप्त हुई थी, परन्तु यह नियमानुसार न होने के कारण इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(२) नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(३) जाबदीनगर में एलाइन एरिया घोषित होने पर ही इस समिति को नियमानुसार भूमि का अलॉटमेन्ट हो सकता है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : एलाइन एरिया कब तक घोषित हो जावेगा ?

श्री चन्दनमल वैद : यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि एलाइन्ड area घोषित भी किया जावे कि नहीं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : समितियों को आपके इस निर्णय की सूचना दे दी गई थी क्या ?

श्री चन्दनमल वैद : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या उन आवेदनकर्त्ताओं को यह सूचना भी मिली है कि तुम्हारी एप्लिकेशनें रिजेक्ट कर दी गई हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : यह मुझे मालूम नहीं।

श्री भैरोंसिंह : कारण न बताये हों, पर यह भी नहीं बताया गया कि तुम्हारी दरख्वास्तें रिजेक्ट कर दी गई हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : यह डाइरेक्टर के ऑफिस की बात है। जानकारी करके बता सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : एप्लिकेशन देने के बाद कितने दिन बाद वे रिजेक्ट हुईं ?

श्री चन्दनमल वैद : यह एलाइन्ड एरिया ही नहीं है, हम इसके allotment करने के अधिकारी ही नहीं हैं। कितने दिन का प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र में नमक-उत्पादन की स्वीकृति लोगों को दी गई है ?

श्री चन्दनमल वैद : जिनकी खातेदारी की अपनी जमीन है उन्होंने अपनी उस जमीन को राजस्व विभाग से एलाइन्ड एरिया में परिवर्तित कराया है और अनुमति प्राप्त करने के बाद काम कर रहे हैं। इसका इन्डस्ट्री विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इस क्षेत्र में प्राइवेट पार्टी को एलाइन्ड एरिया घोषित किया या

(श्री भैरोंसिंह)

और सरकारी जमीन पड़ी है इसको एलाइन्ड एरिया घोषित कराने में सरकार को क्या अड़चन आ रही है ?

श्री चन्दनमल वैद : उस पड़त जमीन को राजस्व विभाग देना चाहेगा तो मिलेगी । खातेदारी जमीन में लोगों ने एप्रोच करके करा लिया है। इसे एलाइन्ड योग्य डिक्लेअर करने का अधिकार राजस्व विभाग को है। उन्होंने इसके बारे में निर्णय किया और आदेश दे दिया।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या राजस्व विभाग ने घोषित कर दिया है कि यह खातेदारी की जमीन नहीं है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) : अध्यक्ष महोदय, कोई भी एग्रीकल्चरल लैण्ड है उसको आबादी में कन्वर्ट करना है तो उसके बाद में उसके अलॉटमेन्ट का अधिकार म्युनिसिपेलिटी को होता है। जब वह जमीन राजस्व विभाग ने नमक के उत्पादन करने के लिए इजाजत दे दी तो उसके बाद में इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट के पास आजानी चाहिए और इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट को उसका अलॉटमेन्ट करना चाहिए।

श्री चन्दनमल वैद : स्थिति यह नहीं है। स्थिति यह है कि राजस्व विभाग को एग्रीकल्चरल परपजेज़ के अलावा दूसरे कामों के लिए परिवर्तन करने का अधिकार है। इस अधिकार का उपयोग करते हुए उन्होंने इस जमीन को, जो उनकी खातेदारी की थी, उसको, नमक के योग्य परिवर्तन कर दिया।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : लेकिन निवेदन यह है कि खातेदारी के अलावा बिना किसी काम के लेने के बाद कन्वर्ट हो जाती है तो खातेदारी की तो वह जमीन रहती नहीं है। खातेदारी की तो वह जमीन होती है जो कि काश्त की होती है और जब राजस्व विभाग ने उस जमीन को 'अदर देन एग्रीकल्चरल परपजेज़' के लिए कर दिया है तो खातेदारी के राइट्स अपने आप खत्म हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह राजस्व विभाग से पूछिये आप।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा ।

उदयपुर-रतनपुर मार्ग की बसें

१९९. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सहाड़ा-सु०) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) उदयपुर से डूंगरपुर-रतनपुर कितनी प्राइवेट बसें चलती हैं तथा राजस्थान रोडवेज की कितनी गाड़ियां उदयपुर से रतनपुर चलाई जा रही हैं ? प्राइवेट बसें किन-किनकी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या नेशनल हाईवे रोड पर चलने वाली प्राइवेट बसें शीघ्र बन्द कर इनके स्थान पर रोडवेज की गाड़ियां चलाने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) उदयपुर से डूंगरपुर-रतनपुर २८ प्राइवेट बसें चलती हैं जो निम्न प्रकार हैं:—

(१) उदयपुर से डूंगरपुर वाया रिखबदेव १६ बसें।

Page No. 10

(श्री भीमसिंह)

(२) उदयपुर से रतनपुर	८ बसें
(३) उदयपुर से रिखभदेव	४ बसें
	२८ बसें

जहां तक इन मार्गों पर निगम की गाड़ियों को चलने का प्रश्न है, वे निम्न प्रकार हैं:—

मार्ग	गाड़ी सं०	रिटर्न सर्विसें
उदयपुर-रतनपुर	१	१
उदयपुर-डूंगरपुर	१	१
डूंगरपुर-रतनपुर	३	३

प्राइवेट बसें जिनकी हैं उनके नाम सूची में अंकित हैं व सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(२) जी हां।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आपने जो रोडवेज की बसेज का एक-एक का हिसाब बताया है वह किस प्रपोर्शन में आपने इनको परमिट दिलाये हैं?

श्री भीमसिंह : परमिट तो रोड़वेज को ३० गाड़ियों का मिला है। अभी २८ गाड़ियां प्राइवेट पार्टीज की प्लाई कर रही हैं। अब प्राइवेट पार्टीज हाईकोर्ट में चली गईं और हाईकोर्ट ने उन्हें स्टे ऑर्डर ग्रान्ट कर दिया तो रोड़वेज की टोकन गाड़ियां चल रही हैं। प्राइवेट गाड़ियां २८ चल रही हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप यह व्यवस्था क्यों नहीं करते कि आपकी रोड़वेज की बसेज भी उसी मुकाबिले में चलें जितनी कि प्राइवेट बसेज चलती हैं?

श्री भीमसिंह : मैंने कहा कि हमारी एक-एक टोकन गाड़ी वहां पर चल रही है इसलिये कि हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया। अब २८ गाड़ियां प्राइवेट पार्टीज की ऑलरेडी चल रही हैं और ३० जो हमें मिली हैं वह भी चला दें तो ६० के करीब गाड़ियों का स्कोप नहीं है। अब जो प्राइवेट बसेज चल रही हैं उनको हम रोक भी नहीं सकते। आप चाहें कि उन २८ के बाद में हम अपनी भी चलायें और सवारियां उसमें आये नहीं और यों ही पैट्रोल का खर्चा हो और पैसे का दुरुपयोग हो तो आप वैसा कहें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : वहां, अध्यक्ष महोदय, इतनी भारी भीड़ रहती है और मंत्री महोदय कहते हैं कि उसमें स्कोप नहीं है। हर गाड़ियों में ओवरलोडिंग होता है; दूसरा प्रश्न यह है कि वहां पर जो गाड़ियां चलती हैं उनकी कन्डीशन इतनी खराब है कि आपके जो परमिट के रूल्स हैं उसके मुताबिक भी मॉडल की नहीं हैं। क्या आप बतायेंगे कि जो गाड़ियां वहां प्लाई कर रही हैं उनमें से कितनी गाड़ियों की कन्डीशन ज्यादा खराब है?

श्री अध्यक्ष : यह सारा प्रश्न इससे संबंधित नहीं है।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि गाड़ियों में सवारियां नहीं मिलती हैं। लेकिन प्राइवेट बसेज वाले क्या करते हैं कि रोड़वेज में सवारियां नहीं जायें इसके लिए पहले से ग्रुप बनाकर

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)
यात्रियों को अपने यहां इकट्ठा कर लेते हैं और उसके अन्दर भीड़ बहुत होती है और क्या इसका एक कारण यह भी है कि प्राइवेट बसेज़ वाले यात्रियों को रोक लेते हैं ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर कब मिला ?

श्री भीमसिंह : २ अगस्त, १९६५ को ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या यह सही है कि वहां की सम्बन्धित पंचायत और जनता की तरफ से एप्लीकेशन दी गई कि यहां और गाड़ियां चलनी चाहियें यहां के रश को देखते हुए ?

यातायात मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस रूट पर रोडवेज के लिए ३० गाड़ियां ग्रांट की गई हैं । इसमें २८ प्राइवेट चल रही हैं । ३० का परमिट हमको मिला है और हम तीसों बसें चलाने के लिए तैयार हैं लेकिन हाईकोर्ट का स्टे आ गया । हाईकोर्ट ने कह दिया कि प्राइवेट ऑनर्स भी प्लाई करेंगे और आप भी प्लाई करेंगे । तो २८ बसेज़ तो प्राइवेट ऑनर्स की हो गईं और ३० हमारी हो जायेंगी तो ५८ गाड़ियों के चलने का स्कोप नहीं है । इसलिए हमने ६ गाड़ियां चलाने का फैसला किया । अब अगर हाईकोर्ट का फैसला हो जायेगा तो हम खुद और चलायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यही कह रहे हैं कि वहां स्कोप है क्योंकि अब भी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि बहुत भीड़ रहती है ।

श्री मथुरादास माथुर : वह पहले था और २८ गाड़ियां थीं और अब हमने ६ गाड़ियां रोडवेज की चला दीं और इस तरह से अब ३४ गाड़ियां चल रही हैं ।

श्री विजयसिंह झाला : ३४ गाड़ियां नहीं चल रही हैं । दरअसल में सवाल यह है कि दिन में ३ बार गाड़ियां जाती हैं । क्या आपको मालूम है कि जितनी गाड़ियां हैं वह सारी की सारी रतनपुर तक हमेशा नहीं चलती हैं । इसकी भी आपने जांच की है कि प्राइवेट गाड़ियां जितनी हैं वह रतनपुर तक टाइम-टेबल के मुताबिक चलती हैं ? आपने यह कहा कि वहां पर सवारियां नहीं मिलती हैं इसलिए आप रोडवेज की बसेज़ की संख्या नहीं बढ़ाना चाहते हैं । तो जो आपकी कम्पलेन्ट बुक है उसमें हमने खुद ने लिखा है कि रश बहुत बढ़ गया है और सवारियों की इतनी भीड़ है कि प्राइवेट गाड़ियों में पूरे लोग नहीं आते हैं । दो दो घंटे औरतों को लाइन में ठहरना पड़ता है और उसके बाद में भी सवारियां रह जाती हैं । जब यह हालत है तो आप किस आधार पर कहते हैं कि स्कोप नहीं है ? क्या आपने इसकी कभी जांच या सर्वे कराया है ?

श्री मथुरादास माथुर : इसका सर्वे हुआ है और सर्वे होने के बाद में जो परमिट हमको ग्रान्ट किये गये हैं वे ३० गाड़ियों के लिए थे । अब २८ प्राइवेट गाड़ियां चलती थीं और वहां के लिए हाईकोर्ट ने कह दिया कि आप भी प्लाई करो और प्राइवेट वाले भी करें । इस तरह से २८ गाड़ियां तो प्राइवेट ऑनर्स की हैं और ६ हमारी हो गईं तो वहां कुल ३४ गाड़ियां चल रही हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य चाहते हैं कि सरकारी बसेज़ की और फ्रीक्वेन्सी बढ़े क्योंकि वहां पर भीड़ रहती है ।

श्री मथुरादास माथुर : सर्वे कराया जाता है, देखा जाता है। वहां २८ गाड़ियां पहले की चल रही हैं और ६ और बढ़ा दीं; अब ३४ चल रही हैं।

श्री विजयसिंह झाला : वह ३४ नहीं चल रही हैं। खाली दिन में ३ बार गाड़ियां जाती हैं और बहुत सी सवारियां रह जाती हैं, फिर आप किस आधार पर कहते हैं कि सर्वे करते हैं। पंचायत की ओर से आपको लिखा गया और जनता की तरफ से लिखा गया कि भीड़ बहुत रहती है और यहां पर सरकारी गाड़ियों का नम्बर बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब मोटरों के परमिट आपके नाम हो गए और आप नहीं चलाते हैं तो मोटरों के परमिट कैंसिल हो गये या नहीं? पहली बात। दूसरी बात हाईकोर्ट का फैसला हो गया लेकिन आपने ३० गाड़ियां नहीं चलाईं और ६ चलाई हैं तो आपने २४ सरेण्डर कर दी क्या? तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि यह नेशनलाइजेशन जो रूट्स का होता है इसके बारे में इतना अनुभव होने के बाद यह कौनसी तीसरी दफा है- अजमेर का भी यही हुआ कि दोनों चलें। क्या वही कानूनी गलती लगातार चलती आ रही है? क्या आप पता लगायेंगे कि जानबूझकर यह कानूनी लेकुना रखा जाता है जिससे कि ३-४ साल रोड नेशनलाइज़ नहीं होता और प्राइवेट प्रॉपरेटर्स और अपने प्रॉपरेटर्स के बीच में मैच सा होता है? सवाल यह है कि इसी तरह की गलती हाईकोर्ट में जाकर क्यों रिपीट होती है। इससे शुबाह होता है कि इस तरह से कुछ लेकुना रखकर प्राइवेट ऑनर्स को फायदा दिलाया जाता है। अजमेर में भी यही हुआ और यही गलती बार-बार होती है। यह क्यों होती है? इसको सरकार रोकेगी क्या?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक हाईकोर्ट का सवाल है, उसका फैसला जब तक नहीं हो जाता तब तक मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि किस कारण से स्टे दिया है..

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं तो कह रहा हूं कि ३ दफा पहले भी स्टे हुआ है।

श्री मथुरादास माथुर : स्टे भी हुआ है, फैसला भी हुआ है और लेकुना भी रह जाते हैं। यह तो इन्टरप्रिटेशन ऑफ लॉ का अलग-अलग रह जाता है और यह तो अलग-अलग जजमेन्ट के ऊपर डिपेन्ड करता है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही है कि रतनपुर से डूंगरपुर तक चलने वाली जो प्राइवेट गाड़ियां हैं इनके ऑनर्स बहुत से मिनिस्टर और अधिकारियों के सम्बन्धी हैं, अगर नहीं हैं, तो आप प्राइवेट ऑनर्स के नाम बतायें—नहीं तो हम आपको बताते हैं कि किस कारण से आप इसको नहीं कर रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : नाम तो मैंने सदन की मेज पर रख दिये हैं, आप पढ़ लीजिए।

श्री विजयसिंह झाला : आप इन्कार कर दीजिये कि नहीं हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अगर कोई मिनिस्टर का रिश्तेदार है तो क्या उसका

Page No. 13

(श्री मथुरादास माथुर)
गला घोंट दें। मुझे मालूम नहीं है। यह परमिट में लिखा हुआ नहीं है किसका साला और किसका बहनोई है। मेरे पास लिस्ट है उसमें लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि कौन किसका रिश्तेदार है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या कारण है कि उदयपुर जिले में इस प्रकार का होता है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न केवल इतना है कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पंचायतों ने और दूसरों ने और उन्होंने स्वयं ने भी कम्प्लेन्ट में लिखा है कि वहां पर भीड़ रहती है। यह तथ्य है आप इसको स्वीकार नहीं करते।

श्री मथुरादास माथुर : मेरे पास कोई कम्प्लेन्ट नहीं है। मैं तो पिक्चर में दो महीने हुए तब से आया हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका मतलब आपका विभाग।

श्री मथुरादास माथुर : सवाल रोडवेज कॉर्पोरेशन से संबन्ध रखता है।

श्री अध्यक्ष : क्या आपके कॉर्पोरेशन को तसल्ली है कि वहां पर बस सर्विसेज़ बढ़ाई जायें तो उनको नुकसान रहेगा ?

श्री मथुरादास माथुर : जब तक २८ चलती रहेंगी तब तक हम तैयार नहीं हैं।

जब हाईकोर्ट से फैसला हो जायेगा तो हम ३० गाड़ियां चला देंगे।

श्री अध्यक्ष : इतने माननीय सदस्यों ने कहा है कि भीड़ रहती है फिर भी आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं ?

श्री मथुरादास माथुर :-मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है......

श्री अध्यक्ष : जब इतना कह रहे हैं और कई माननीय सदस्य कह रहे हैं तो कम से कम इसकी जांच तो करा लीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : आर० टी० ए० ने जांच कर के परमिट दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : जो बातें यहां कही जाती हैं उनको गैर-जिम्मेदारी से कही हुई नहीं मानी जा सकती और जिन माननीय सदस्यों ने कहा है उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कहा है, कोई सुनी-सुनाई बात नहीं कह रहे हैं। इसलिए माननीय सदस्यों के साथ एक जांच और करा लें कि प्राइवेट बसेज कितनी बार चलती हैं और उनमें कितनी भीड़ रहती है या नहीं रहती है। अगर भीड़ रहती है तो आपको बसें बढ़ानी चाहियें।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्यों की कोई कम्पलेन्ट मेरे पास नहीं आई।

श्री अध्यक्ष : आपके पास आने का क्या सवाल है ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरे पास ही नहीं, न तो रोडवेज कॉर्पोरेशन के पास ही आई है और न ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट के पास आई है।

श्री विजयसिंह झाला : रोडवेज़ के पास आई हैं। मेरे साथ में चलिए मैं बताता हूं कि वहां पर कितनी भीड़ रहती है।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं, मैं वहां का ही रहने

Page No. 14

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)
वाला हूं, वहां पर आए दिन बहुत से लोग स्टेंड पर खड़े रह जाते हैं, उनको जगह नहीं मिलती है। लोग खड़े २ जाते हैं, मैं खुद जानता हूं। इसके अलावा ये प्राइवेट बसें बराबर चलती भी नहीं हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : आपके प्रश्न का जवाब इतना जरूरी नहीं है। प्रश्न यह है कि जो बहुत से माननीय सदस्य कह रहे हैं और अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह रहे हैं कि जो बसें चलती हैं वे बराबर नहीं चलती हैं और उनमें बहुत अधिक भीड़ रहती है और आप कहते हैं कि सर्वे से स्थिति ठीक मालूम होती है। अब किस तरह से इसको माना जाय........

श्री भीमसिंह : अभी माननीय सदस्यों ने जैसा कहा है कि जो २८ बसों के, प्राइवेट बसों के, परमिट हैं वे उसे बराबर चलाते नहीं हैं तो इसका कारण यह है कि वे आपस में मिल कर एक समझौता ऐसा कर लेते हैं कि जिसकी वजह से २८ बसें पूरी चलती नहीं हैं। ऐसा देखा गया है कि ये आपस में मिल कर बारी बांध लेते हैं। दो-तीन लोग मिल कर आपस में सुलह कर लेते हैं.......

श्री अध्यक्ष : जितनी सर्विसेज् के परमिट आर. टी. ओ. ने दिए हैं वे पूरे चलते नहीं हैं, यही तो माननीय सदस्य कह रहे हैं।

श्री भीमसिंह : प्रेस करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपको जानकारी होते हुए भी आप एक्शन नहीं लेते हैं, फिर प्रेस क्या चीज होती है? आप उनको कानून के अन्तर्गत बाध्य क्यों नहीं करते? जब उनको परमिट देते हैं तो उनके साथ एग्रीमेन्ट होता है, उसका उनको पालन करना चाहिये और अगर पालन नहीं करते हैं तो आपको उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। यह बाध्य करना क्या चीज है।

श्री मानधातासिंह (महुआ) : माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री मथुरादास माथुर : प्रश्न यह है कि जो २८ परमिट हैं उनके खिलाफ कम्पलेंट हैं, एक तो यह प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष : वह भी जुड़ा हुआ है इसके साथ।

श्री मथुरादास माथुर : जो छः रोडवेज की बसें चलती हैं और उनको...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि वहां पर भीड़ रहती है और जो प्राइवेट बस वाले हैं वे टाइम से नहीं चलते हैं, बराबर नहीं चलते हैं तो या तो आप उनको मजबूर करें कि वे एग्रीमेन्ट के अनुसार बसें चलावें या आप अपनी बसें बढ़ावें, जनता को क्यों परेशान करते हैं?

श्री मथुरादास माथुर : इसका हमने सर्वे कराया है और उसके अनुसार वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ नहीं रहती है कि और बसें हम वहां लगा सकें। जो २८ बसें वहां पर प्राइवेट ओनर्स की चलती हैं वे अगर बराबर नहीं चलती हैं तो मैं उसकी जांच करालूंगा। रहा रोडवेज की बसें ज्यादा चलाने का सवाल तो जब तक हमें कम्पलीट नेशनलाइज्ड रूट नहीं मिल जाता हम और अधिक बसें नहीं चला सकते।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आपकी सर्वे रिपोर्ट ही गलत होगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपकी दस-दस गाड़ियां तो खराब पड़ी रहती हैं फिर आप कैसे गाड़ियां चलायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, इसे गम्भीरता से लें। इतने माननीय सदस्य जब कह रहे हैं और वह भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर, तो इस पर फौरन कार्यवाही होनी चाहिए। आपको एक्शन लेना चाहिए कि जो प्राइवेट बसेज के परमिट हैं वे बराबर काम कर रहे हैं या नहीं ? उनकी किस तरह की व्यवस्था हो रही है ? वे ठीक तरह से काम कर रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : प्राइवेट २८ बसेज हैं उनकी मैं जांच करूंगा। लेकिन यहां सवाल यह है कि जो रोडवेज की बसें...

श्री अध्यक्ष : ये सब सम्बन्धित प्रश्न हैं। वहां भीड़ होती है इसलिए कि जो बसें चलनी चाहिएं वे बराबर चलती नहीं हैं। आप उन पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं जबकि आपको इसका राइट मिला हुआ है ?

(सर्वश्री ज्वालाप्रसाद, वैद्य गोविन्दसहाय एवं मानधातासिंह एक साथ बोलने लगे)

माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य !! आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री जयनारायण सालोदिया।

कांग्रेस अधिवेशन में पानी पर व्यय

६०. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अखिल भारतीय कांग्रेस के ७०वें अधिवेशन जयपुर में कुल कितने गैलन पानी खर्च हुआ और किस रेट से पानी दिया गया ? पूरे बिल का पेमेन्ट हो गया है या बकाया है ? यदि है, तो कितना व क्यों ?

(२) पानी अधिवेशन के स्थल तक पहुँचाने में कितनी लम्बी लाइन डालनी पड़ी और उस पर क्या खर्चा हुआ ?

उप-मन्त्री, जन-स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) अखिल भारतीय कांग्रेस के ७०वें अधिवेशन में कुल १,२१,७६५ गैलन पानी खर्च हुआ। यह पानी १.५० रुपये प्रति हजार गैलन की रेट से दिया गया।

जी हां, कोई बकाया नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

(२) अधिवेशन स्थल के विभिन्न स्थानों तक पानी पहुँचाने के लिये लगभग ५,५०० फुट की पाइप लाइनें डालनी पड़ी थी। इस पर कुल खर्चा ३,५३३.५६ रुपये हुआ।

श्री जयनारायण सालोदिया : अन्य लोगों को किस रेट से पानी देते हैं आप ?

जन-स्वास्थ्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : इसी भाव से।

श्री जयनारायण सालोदिया : जब औरों को १.५० से देते हैं तो फिर इनको १.५ से क्यों दिया गया ?

श्री हरिदेव जोशी : १.५० ही कहा है।

प्रश्न सं० ६०१

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

(श्री अध्यक्ष)

श्री नत्थीलाल ।

नदबई कस्बे में नल योजना

६०२. श्री नत्थीलाल (नदबई) [श्री सांवलियाराम (रूपवास-सु०) द्वारा पूछा गया] : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नदबई कस्बे में नल लगाये जाने का सर्वे हो चुका है ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या राज्य सरकार ने उक्त सर्वे के आधार पर नदबई में नल लगाने का निर्णय कर लिया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? और नल कब तक लगेंगे ?

उप-मन्त्री, जन-स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां, माह दिसम्बर, १९६५ में सर्वे हो चुका है ।

(२) योजना भी माह मार्च, १९६६ में बन ई जा चुकी है, इस योजना की तकनीकी जांच चीफ इंजीनियर, जन-स्वास्थ्य द्वारा की जा रही है ।

श्री सांवलियाराम : दिसम्बर में इसका सर्वे हुआ तो उसके बाद इसके एस्टिमेट्स भी तैयार हुए या नहीं और निकट भविष्य में नल योजना लागू करने को है या नहीं ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : इसका सर्वे कम्प्लीट हो चुका है । यह स्क्रूटिनी में है । इसके बाद में गवर्नमेन्ट ऑफ राजस्थान की तरफ से गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के पास जायेगा और उसके बाद जब वहां से सेंक्शन आएगी तभी काम शुरू करेंगे, अगर पैसा मिला तो ।

प्रश्न सं० ६०३

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री मोहरसिंह ।

जयपुर-गंगानगर मार्ग

६०४. श्री मोहरसिंह राठौड़ (चूरू) : क्या यातायात एवं परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर से गंगानगर मार्ग का राष्ट्रीयकरण कब तक किया जावेगा ?

(२) क्या इस विषय में सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, यातायात एवं परिवहन (श्री भीमसिंह) : (१) सन् १९६७ तक इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण करने की कोई योजना नहीं है ।

(२) अभी तक कोई योजना नहीं है । निगम आगे के लिए राष्ट्रीयकरण किये जाने वाले मार्गों की सूची तैयार कर रहा है । तैयार हो जाने पर ही यह मालूम हो सकेगा कि इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण कब किया जावेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : सूची कब तक बन जाएगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह ।

सुनेल की जलप्रदाय योजना

६०५. श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सुनेल (जिला झालावाड़) में वाटर वर्क्स की योजना कब स्वीकृत हुई और

(श्री गोविन्दसिंह)
सागड़िया से सुनेल तक नल बिछाने का कार्य कब से प्रारंभ हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि सन् ६४-६५ में इस योजना पर नल बिछाने का कार्य अधूरा ही छोड़ दिया गया ? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

(३) क्या यह सही है कि नल बिछाने का ठेका जिस ठेकेदार को दिया था, उसने अधूरा काम छोड़ दिया और फिर राज्य सरकार को दुबारा टेन्डर करना पड़ा ?

(४) दुबारा टेन्डर कब हुआ, ठेकेदार को वर्क ऑर्डर कब दिया गया और ठेकेदार ने कार्य कब से प्रारंभ किया ? अब तक नये ठेकेदार ने कितना कार्य किया ?

(५) क्या यह सही है कि अब भी नये ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं है और फरवरी, ६६ के आखिरी सप्ताह से फिर काम बन्द हो गया है ?

(६) क्या यह सही है कि इस वर्ष सुनेल में कुओं में पानी नहीं है और जनता को अभी से (माह फरवरी, ६६) पीने के पानी की काफी दिक्कत होने लग गई है ?

(७) राज्य सरकार वाटर वर्क्स योजना को कब तक पूर्ण करने का विचार रखती है ?

(८) इस नल योजना के अन्तर्गत फिल्टर प्लान्ट लगाने का ठेका कब दिया गया व वर्क ऑर्डर ठेकेदार को कब दिया गया व ठेकेदार ने कब से कार्य प्रारंभ किया ? क्या यह सही है कि फिल्टर प्लान्ट का कार्य मई, ६६ के पूर्व समाप्त नहीं हो पावेगा ? यदि हां, तो फिल्टर प्लान्ट का ठेका इतनी देरी से क्यों दिया गया ?

उप-मंत्री, जन-स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा-मिश्रा) : (१) सुनेल (जिला झालावाड़) की नल योजना २५-३-६३ को स्वीकृत हुई और सागड़िया से सुनेल तक नल बिछाने का कार्य माह फरवरी, ६४ को चालू किया गया।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां।

(४) दुबारा टेन्डर दिनांक २६-४-६५ को लिये गये और वर्क ऑर्डर दिनांक ७-६-६५ को दिया गया, किन्तु इस ठेकेदार ने कार्य ही प्रारम्भ नहीं किया, अतः टेण्डर फिर से आमंत्रित किये गये, जो दिनांक ३०-६-६५ को खोले गये और वर्क ऑर्डर २६-११-६५ को तीसरे ठेकेदार को दिया गया, इस ठेकेदार ने तीन-चौथाई कार्य पूर्ण कर दिया है।

(५) जी नहीं, कार्य संतोषजनक है और फरवरी, १६६६ के आखिरी हफ्ते में काम बन्द नहीं किया है।

(६) यह सही नहीं है कि कुओं में पानी नहीं है। लगातार पिछले २-३ वर्षों से कम वर्षा होने के कारण कुओं में पानी की कमी आ गई है और अब भी लोग इन्हीं कुओं का पानी पीते हैं।

(७) योजना को पूर्ण करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं, आशा की जाती है कि योजना मार्च, १६६७ तक पूरी हो जावेगी।

(८) फिल्टर प्लांट के सप्लाई करने के लिए ऑर्डर दिनांक १२-४-६५ को

Page No. 18

(श्री मति प्रभा मिश्रा)
दिया गया, उसकी सप्लाई फर्म से दिनांक ७-१२-६५ को प्राप्त हुई। फिल्टर प्लांट भवन के निर्माण कार्य का ठेका दिनांक २२-१२-६५ को दिया गया। ठेकेदार ने कार्य माह मार्च, सन् १९६६ से शुरू किया तथा ऐसी आशा की जाती है कि कार्य माह जून ६६ तक टेन्डर में दी गई तारीख के अनुसार पूरा हो जावेगा। ठेका देरी से देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गोविन्दसिंह : यह प्रश्न नम्बर ७ नहीं पढ़ा।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : पढ़ दिया है। योजना को पूर्ण करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं, आशा की जाती है कि योजना मार्च, १९६७ तक पूरी हो जावेगी।

श्री गोविन्दसिंह : क्या यह सही है कि यह ठेकेदार वही है जिसने पहले छोड़ दिया था? क्या यह सही है कि उसी ठेकेदार को यह काम दिया गया है, जिसने पहले काम छोड़ दिया था?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि यह दूसरा ठेकेदार है।

श्री गोविन्दसिंह : ठेकेदार वही है। उसी ठेकेदार ने काम लिया है। तो जो पहले काम छोड़ दिया तो उस पर आपने क्या पैनल्टी लगाई?

श्री हरिदेव जोशी : यह दूसरा ठेकेदार है और दूसरी बार काम दिया गया है।

श्री गोविन्दसिंह : इसका नाम बदला हुआ है, ठेकेदार वही है। मैं स्वयं जानता हूं कि यह पहले वाला ठेकेदार ही है। तो जब उसने पहले काम बन्द कर दिया था, तो आपने उस पर क्या पैनल्टी इम्पोज की है?

श्री हरिदेव जोशी: यह मेरी जानकारी में नहीं है कि उसी ठेकेदार ने किसी दूसरे नाम से कॉन्ट्रैक्ट लिया है। आपने अब जानकारी दी है तो मैं इसकी जांच करूंगा और यह देखूंगा कि उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है या नहीं लिया गया। अगर आप मुझे पहले ही इन्फॉर्मली यह बता देते तो मैं अब तक उसके खिलाफ एक्शन ले लेता।

श्री अध्यक्ष : पहले वाले पर पैनल्टी लगाई गई या नहीं?

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास इसकी पहले सूचना नहीं थी। यह तो आप अभी कह रहे हैं, तब मालूम हुआ है कि उसी ठेकेदार ने दूसरे नाम से ठेका लिया है।

श्री अध्यक्ष : भले ही दूसरा ठेका ले ले, लेकिन जो पहिले उसने गलती की है उसके लिये पैनाल्टी हुई है क्या?

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास यह इन्फोर्मेशन अभी नहीं है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : जिन्होंने ठेका दिया है क्या वे उसको नहीं जानते थे?

श्री हरिदेव जोशी : आज जो इन्फोर्मेशन मेरे पास फाइल में है उसके बेसिस पर मैं यह नहीं कह सकता कि यह वही कॉन्ट्रैक्टर हैं और पहले वाले मामले में जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया हैं उसमें पैनाल्टी इम्पोज की गई है या नहीं, लेकिन इस सारे को एग्जामिन कराकर इस पर एक्शन लिया जायेगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): अगर आपके अधिकारी ने जानबूझ कर .. ....

श्री अध्यक्ष: अगर कोई प्रश्न नहीं होता है, माननीय सदस्य !

श्री किशनसिंह बाटड !

लक्ष्मणगढ़-मुकन्दगढ़ सड़क का कार्य

९०६. श्री किशनसिंह बाटड (लक्ष्मणगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार द्वारा लक्ष्मणगढ़ से मुकन्दगढ़ तक सड़क बनाई जा रही है? यदि हां तो यह सड़क कब शुरू कराई गई थी तथा इस वक्त इसकी क्या प्रगति है तथा यह सड़क कब तक पूरी हो जावेगी ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री परसराम मदेरणा): जी हां, सीकर जिले में आने वाले भाग का कार्य दिसम्बर, ६४ व झुन्झुनू जिले में आने वाले भाग का कार्य फरवरी, ६५ में प्रारम्भ कराया गया है। सीकर जिले में ३ मील सड़क बन चुकी है तथा झुन्झुनू जिले में २ मीलों में कार्य प्रगति पर है। आशा है चतुर्थ योजना-काल में कार्य पूर्ण हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री जेठमल बरवड़।

परबतसर से कनसरिया तक विद्युत्

९०७. श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि परबतसर से कनसरिया तक बिजली देने की योजना है? यदि हां, तो इस लाइन का कार्य कब शुरू किया जावेगा ?

(२) क्या यह सही है कि परबतसर पंचायत समिति ने समिति के ग्रामों में बिजली देने की योजना मय नक्शे के बना कर सरकार के पास भेजी है? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद): (१) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(२) जिस विशेष कार्यालय को योजना भेजी गई है उसके नाम तथा पत्र संख्या एवं दिनांक जिसके द्वारा यह योजना भेजी गई है, के अभाव में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि क्या कोई ऐसी योजना भेजी गई है। यदि योजना भेजी भी हो तो भी वित्तीय परिस्थितियों के कारण भेजी हुई तमाम योजनाओं पर कार्यान्वित होना सम्भव नहीं है।

श्री जेठमल बरवड़: आपके असिस्टेन्ट इन्जीनियर हैं विभाग के उनको दी है कॉपी और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमेन हैं उनके पास योजना भेजी है। आपके इन्जीनियर ने बताया कि कनसरिया तक तो योजना है उसके बाद में यातायात के साधन नहीं हैं क्योंकि रेत के टीले हैं इसलिये लाइन चेन्ज करना चाहते हैं।

श्री चन्दनमल वैद: यह गांव किसी भी योजना में शामिल नहीं था।

प्रश्न संख्या ९०८

श्री अध्यक्ष: श्री रावतराम !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

Page No. 20

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ६०९

श्री सागरमल।

(अनुपस्थित – कृपया आगे देखिये)

श्री गोविन्दसिंह !

कोटा-इन्दौर रूट पर राज्य सरकार की बसें

६१०. श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कोटा से इन्दौर-उज्जैन रूट पर मध्यप्रदेश रोड़वेज की बसें चलने लग गई हैं ? यदि हां, तो कब से और कितनी बसें चलती हैं और कहां से कहां तक ?

(२) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार व मध्यप्रदेश सरकार के बीच यह तय हुआ है कि जितनी बसें मध्यप्रदेश सरकार की उपरोक्त रूट पर चलेंगी उतनी ही बसें राजस्थान सरकार की भी चलेंगी ? यदि हां, तो राजस्थान सरकार ने अभी तक अपनी बसें क्यों नहीं चलाईं ?

(३) अब राजस्थान सरकार उपरोक्त रूट पर कब तक अपनी बसें चलाने की सोच रही है ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां, १५ फरवरी से कोटा-इन्दौर पर एक सर्विस विकल्पीय दिवस (ऑल्टरनेटिव-डेज़) पर चलती है तथा उज्जैन-कोटा मार्ग पर एक सर्विस रोजाना चल रही है।

(२) जी हां, प्रश्न निगम के विचाराधीन है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : प्रश्न (१) का उत्तर दुबारा दे दें।

श्री भीमसिंह : (३) निगम द्वारा माह अगस्त से इन मार्गों पर गाड़ियां चलाने का विचार है। निगम इसका शीघ्र ही निर्णय देगा।

श्री गोविन्दसिंह : खण्ड (१) का उत्तर दुबारा पढ़ दें।

श्री भीमसिंह : जी हां, १५ फरवरी से कोटा-इन्दौर पर एक सर्विस विकल्पीय दिवस (ऑल्टरनेटिव डेज़) पर चलती है तथा उज्जैन-कोटा मार्ग पर एक सर्विस रोजाना चल रही है।

श्री गोविन्दसिंह : यह जो मध्यप्रदेश ने सर्विस शुरू की है उसी वक्त राजस्थान ने सर्विस शुरू क्यों नहीं की ?

श्री भीमसिंह : हमारे पास गाड़ियों की कमी है और इसके लिए जल्दी ही व्यवस्था हो रही है।

श्री गोविन्दसिंह : व्यवस्था कब होगी जब कि मध्यप्रदेश की सर्विस जम जायेगी और लोगों में कॉन्फीडेन्स हो जायेगा उस वक्त आपकी गाड़ियां चलेंगी तो आपको नुकसान होगा। साथ-साथ क्यों नहीं चलाए दोनों बसें ?

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : आप सभी जगहों के लिए यह कहते हैं कि गाड़ियों की कमी है। तो यह कमी कब तक पूरी हो जायेगी ?

यातायात मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : गाड़ियां खरीद ली गई हैं और उनकी बॉडी बनकर आ रही है, आते ही चला दी जायेंगी।

श्री गोविन्दसिंह : जब तक इस रूट पर रोडवेज़ की गाड़ियां नहीं चलती हैं तब तक

Page No. 21

(श्री गोविन्दसिंह)
प्राइवेट ऑपरेटर्स ने गाड़ियां चलाने के लिए एप्लाई किया है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह मेरे नोटिस में है। उसकी पर्मिशन राजस्थान रोडवेज कॉर्पोरेशन को मिल चुकी है और जैसा मैंने बताया है कि जल्दी से जल्दी बॉडी बन कर आते ही इस रूट पर लगा दी जायगी।

श्री गोविन्दसिंह : प्राइवेट ऑपरेटर्स को पर्मिशन देंगे या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं देंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : जब तक रोड़वेज कॉर्पोरेशन के पास गाड़ियां नहीं हैं तब तक प्राइवेट ऑपरेटर्स के पास से गाड़ियां लेकर चला सकते हैं, क्या इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : हमारे पास रोड़वेज की बसें हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट मन्थ तक उनकी बॉडी बनकर आ जायेगी। अगस्त तक का टाइम मांगा है।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासिंह !

नागौर में भाखरा की बिजली

६११. श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) क्या यह सत्य है कि भाखरा की बिजली बीकानेर व नोखा तक आ चुकी है ?

(२) अगर हां, तो क्या यह बिजली नागौर तक पहुँचाने की सरकार सोच रही है ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल वेद):

(१) जी हां।

(२) अभी तक कोई योजना नहीं है।

श्री गंगासिंह राठौड़ : यह योजना बनाने कि कोई सम्भावना भी है क्या ?

श्री चन्दनमल वेद : क्या फरमाया ?

श्री गंगासिंह राठौड़ : योजना बनाने के लिए उत्सुक भी हैं या नहीं ?

श्री चन्दनमल वेद : अभी तक कोई योजना नहीं है। आगे के बारे में मैं अभी क्या अर्ज कर सकता हूं ?

श्री गंगासिंह राठौड़ : जो बिजली नोखा तक आई है वह ३३ के० वी० की है या दूसरी बिजली है ?

श्री चन्दनमल वेद : अभी तक नोखा तक ही दी है।

श्री गंगासिंह राठौड़ : अभी जो वहां पर पॉवर है वह ३३ के० वी० की है कि नहीं ?

श्री चन्दनमल वेद : कौनसे के० वी० की है यह एक टैक्निकल बात है। ६६ के० वी० की है या ३३ के० वी० की है। ऐसा मैं अभी नहीं कह सकता हूं। हो सकता है कि १३२ की भी हो।

श्री मथुरादास माथुर : ११ के० वी० की है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल !

प्रतापगढ़ नगरपालिका द्वारा नेहरू-पार्क का निर्माण

६१२. श्री हरलाल (प्रतापगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरलाल)

(१) क्या यह सही है कि तहसील प्रतापगढ़ नगरपालिका ने नेहरू-पार्क बनवाने हेतु दस हजार रुपया गत साल से जमा करा रखा है? यदि हां, तो यह रुपया कहां पर जमा है?

(२) क्या यह सही है कि नेहरू-पार्क बनाने में काफी ढिलाई बर्ती गई है? यदि हाँ, तो किसके द्वारा और अब भविष्य में कब तक इसका काम शुरू करने का विचार है?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) यह सही है। राशि असिस्टेन्ट इन्जीनियर, पी० डब्ल्यू० डी० (बी० एण्ड आर०), चित्तौड़गढ़ के पास जमा है।

(२) यह सही है। यह कार्य निर्माण विभाग द्वारा करवाया जावेगा, जिन्हें शीघ्र ध्यान देने के लिये लिखा जा रहा है।

श्री हरलाल : यह राशि किस तारीख को जमा कराई गई थी?

श्री दौलतराम सारण : यह राशि जमा कराई थी १० हजार, ३१-३-६५ को।

श्री हरलाल : अध्यक्ष महोदय, यह राशि जमा कराये हुए भी सालभर हो गया है। वह पार्क नहीं बनाया गया तो क्या नगरपालिका से और रुपया लेने की इच्छा है?

श्री दौलतराम सारण : रुपया जमा है, सुरक्षित है और पार्क बना दिया जायेगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या राजस्थान के विभिन्न कस्बों में "नेहरू पार्क" बनाने की सरकार की योजना थी और पार्क बना दिये गये?

श्री अध्यक्ष : कौन बना रहा है इस पार्क को?

श्री दौलतराम सारण : पी० डब्ल्यू० डी० बना रही है।

श्री अध्यक्ष : तो देरी क्यों हो रही है?

श्री दौलतराम सारण : पी० डब्ल्यू० डी० ने सूचित किया था कि ३१-३-६५ तक टेन्डर मांगे जा रहे हैं और जून तक काम प्रारम्भ करा दिया जायेगा, उसके बाद में कई रिमाइन्डर्स उनको दिये गये हैं और कलेक्टर साहब को भी लिखा है और हमने भी विभाग को ओर से लिखा है २-३ बार, लेकिन अभी तक काम नहीं करवाया गया है और न उत्तर दिया है।

श्री अध्यक्ष : इसका कारण यह तो नहीं है कि रुपया नहीं दिया हो?

श्री दौलतराम सारण : मैंने कहा है कि ३१-३-६५ को दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : किसको?

श्री दौलतराम सारण : पी० डब्ल्यू० डी० के असिस्टेन्ट इन्जीनियर को।

श्री अध्यक्ष : तब तो उनकी गलती है।

श्री हरलाल : अब भी यह काम होगा कि नहीं?

श्री दौलतराम सारण : मैं फिर पी० डब्ल्यू० डी० विभाग को निवेदन करूंगा कि इसको शीघ्रता से किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

Page No. 23

जयपुर-सीकर मार्ग

६१३. श्री मोहरसिंह राठौड़ (चूरू) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर से सीकर मार्ग का राष्ट्रीयकरण कब तक किया जावेगा ?

(२) इस विषय में सरकार की क्या योजना है ? यदि कोई योजना नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) अभी सन् १९६७ तक इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण करने की कोई योजना निगम की नहीं है।

(२) अभी तक कोई योजना नहीं है। आगे आने वाले वर्षों में राष्ट्रीयकरण किये जाने वाले मार्गों की सूची निगम तैयार कर रहा है, तभी इस योजना के बारे में बताया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री मोहरसिंह राठौड़ : उत्तरी राजस्थान में एक भी रूट का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है तो यह निषिद्ध क्षेत्र है ?

श्री भीमसिंह : ऐसा नहीं है। योजना बनाई जा रही है और जब योजना तैयार होगी तो वैसे ही इसको भी टेक-अप किया जावेगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : बनाई जा रही है लेकिन अमल में नहीं लाई जा रही है।

यातायात मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : योजना निगम बनाता है और योजना बनाने के बाद में जितने फण्ड्स होते हैं और जितनी हमारे पास में बसेज होती हैं उसके अनुसार उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : जो सूची अभी बनाई जा रही है वह किस आधार पर बनाई जायगी ? किसको प्रायोरिटी दी जायगी और किसको नहीं दी जायगी ?

श्री मथुरादास माथुर : उसके बारे में प्रिन्सीपल्स हैं। डिविजन हैडक्वार्टर्स से लिंक करना होता है, डिविजन हैडक्वार्टर्स से डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर को लिंक करना होता है। पोटेन्शियेलिटी ऑफ ट्रैफिक की सर्वे कराई जाती है। उसका रिटर्न क्या होगा ? उसके बाद में सप्लाई की पोजीशन क्या है ? इन सब बातों को देखकर प्लान बनाये जाते हैं।

श्री फूलचन्द जैन : बीकानेर से जयपुर रूट का राष्ट्रीयकरण नहीं करने के क्या कारण हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : वह भी हमारे परव्यू में है।

श्री फूलचन्द जैन : बीकानेर को पहले भी अलग रखा है तो कब तक इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जायेगा ?

श्री मथुरादास माथुर : कोई भी कमिटमेन्ट इस वक्त नहीं किया जा सकता है। निगम एक ऑटोनॉमस बॉडी है। वह सारी पोजीशन को देखकर करता है। हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नेशनलाइज करें क्योंकि इमसे हमको प्रॉफिट मिलता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : यह ऑटोनॉमस बॉडी बनाकर एक्सक्यूज लेते हैं, वह नहीं होना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : बीकानेर डिविजन का हैडक्वार्टर होने से उसको प्रॉयोरिटी मिलेगी ।

श्री मोहन सिंह राठौड़ : राजस्थान के दस जिलों में आधा इंच भी राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया तो उसकी क्या वजह है ? यह आधे राजस्थान में ही क्यों होता है ?

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान की पॉपुलेशन का सर्वे किया जाय तो राजस्थान में ट्रेफिक पोटेन्शियेलिटी जयपुर टू-अलवर के मुकाबले में जयपुर-बीकानेर रूट पर इतनी नहीं है तो हम भी, निगम, चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा रूट पर ऑपरेट करें ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : क्या यह सही है कि निगम बना तब से किसी भी नये रूट का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया ?

श्री मथुरादास माथुर : उदयपुर से अहमदाबाद तक का रूट चालू किया गया था लेकिन हाईकोर्ट से स्टे हो गया ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसमें पहले से ही घाटा लग रहा है और रूट्स ले लिये तो पब्लिक एक्सचेकर पर और भार पड़ेगा ।

स्थगित प्रश्न

(२१-३-६९)

हैल्थ इन्सपेक्टर्स की नियुक्ति

३१८. श्री हरिराम चारू (सिवाना-सु०): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पचास हजार की आबादी पर एक हैल्थ इन्सपेक्टर नियुक्त किया जाता है ?

(२) जयपुर शहर की आबादी कितनी है और इस समय यहां पर कितने हैल्थ इन्सपेक्टर्स कार्य कर रहे हैं ?

(३) क्या सरकार इनकी संख्या बढ़ाने का विचार कर रही है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) यह सही नहीं है ।

(२) सन् ६१ की जनगणनानुसार आबादी ४,०३,४४४ है । कार्य कर रहे हैल्थ इन्सपेक्टरों की संख्या निम्न प्रकार है :—

१. मुख्य सफाई निरीक्षक	१
२. सफाई निरीक्षक	१०
३. सहायक सफाई निरीक्षक	८
४. वेटेरिनिरी इन्सपेक्टर	१
	२०

इसके अतिरिक्त मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी व सहायक स्वास्थ्य अधिकारी भी हैं ।

(३) जी नहीं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या यह सही है कि जयपुर की आबादी देखते हुए सैनिटरी इन्सपेक्टर्स की संख्या कम है और कमी की वजह से पूरी देखभाल नहीं होती ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : जनसंख्या पर आधार क्या है ?

श्री दौलतराम सारण : लगभग २० हजार की आबादी पर एक हैल्थ इन्सपेक्टर होता है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या जयपुर में पर्याप्त है ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां ।

प्रश्न संख्या ६०१

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह।
(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६०३

श्री रामचन्द्र।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६०८

श्री रावतराम।

(अनुपस्थित)

श्री सागरमल।

भैंसलाना में बिजली

६०६. श्री सागरमल (फुलेरा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि ग्राम भैंसलाना, जिला जयपुर में बिजली देने की योजना हेतु सन् १९६२ से ग्रामवासी राज्य सरकार से निरन्तर मांग कर रहे हैं ?

(२) क्या उक्त कस्बे में कृषि कार्य हेतु बिजली देने के लिए राज्य सरकार के पास योजना विचाराधीन है ?

(३) इस ग्राम में बिजली की लाइन देने हेतु इतना समय हो जाने पर भी अब तक यह कार्यवाही पूर्ण क्यों नहीं हो सकी ?

(४) क्या अब सरकार यहां पर बिजली देने की आवश्यकता महसूस करती है ? यदि हां, तो कब तक यह कार्य पूर्ण हो सकेगा ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री चंदनमल वैद):

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) वित्तीय अभाव के कारण।

(४) आवश्यकता सभी जगह के लिए सरकार महसूस करती है किन्तु सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़ी–सरमथुरा सड़क पर व्यय

६०१. श्री रघुवीरसिंह (बाड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

बाड़ी-सरमथुरा सड़क की मरम्मत के हेतु १९६२, ६३, ६४ व ६५ में कितनी कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और इन वर्षों में इस धनराशि में से कितना-कितना रुपया प्रति वर्ष खर्च किया गया ?

उत्तर

(१) मरम्मत की धनराशि डिविजनवार निर्धारित होती है, किसी सड़क या भवन के माप से अलग २ स्वीकृत नहीं होती है। बाड़ी-सरमथुरा सड़क की मरम्मत पर निम्न प्रकार व्यय हुआ है:—

वर्ष	धनराशि जो व्यय हुई
६१-६२	४१५०) रु०
६२-६३	७९९४) रु०
६३-६४	१७,६५१) रु०
६४-६५	३६,४४६) रु०

पलसाना से खंडेला सड़क का निर्माण

१०३. श्री रामचन्द्र (श्री माधोपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पलसाना से खंडेला तक सड़क का निर्माण का प्रस्ताव पंचवर्षीय योजनाओं में था ? यदि हां, तो इस सड़क का निर्माण अभी तक क्यों नहीं किया गया ?

(२) क्या सरकार इस महत्वपूर्ण सड़क को शीघ्र ही बनवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां। अर्थाभाव के कारण सड़क निर्माण का कार्य चालू नहीं किया जा सका।

(२) आशा है चतुर्थ योजना-काल में यह कार्य चालू हो सकेगा।

चूरू जिले को जल-प्रदाय योजना का प्लान

१०८. श्री रावतराम (सादूलपुर): क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(१) क्या यह सही है कि ग्रामीण जल-प्रदाय योजना के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है ? यदि हां, तो इसे किस प्रकार कार्यान्वित करने की स्कीम है ?

(२) चूरू जिले के लिये ग्रामीण जल-प्रदाय योजना का जो मास्टर प्लान बनाया गया है उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि उक्त जिले के जिन गांवों में चालू साल में बिजली की लाइन चली गई वहां बिजली की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण जल-प्रदाय योजना को प्राथमिकता दी जाय ?

उत्तर

(१) यह सही है कि ग्रामीण जल-प्रदाय योजना के लिये मास्टर प्लान बनाया गया है। इसको केन्द्रीय सरकार को भेजा जा रहा है और कार्यान्वित उसके आदेशानुसार किया जायगा। कार्यान्वित करने के लिये चार निम्न प्रकार प्राथमिकताएं केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार रखी गई हैं:—

(१) अभावग्रस्त व अति कठिन क्षेत्र

(२) बहुत पिछड़े क्षेत्र

(३) वह क्षेत्र जहां कि मौजूदा जल-प्रदाय अस्वस्थ व ठीक नहीं है।

(४) सामान्य क्षेत्र।

पूरे राज्य को इन प्राथमिकताओं के अन्तर्गत निम्न प्रकार की धनराशि की आवश्यकता है:—

प्रथम प्राथमिकता	रु०	२७,९८,००,०००
दूसरी ,,	रु०	१,१०,९२,०००
तीसरी ,,	रु०	१३,४१,५१,०००
चतुर्थ ,,	रु०	९,८६,४८,०००
योग....		५४,३६,९१,०००

स्पष्ट है कि इतनी बड़ी योजना को एक-दो साल में कार्यान्वित नहीं किया जा सकता,

(श्री जनस्वास्थ्य मंत्री)
क्योंकि एक साथ इतनी धनराशि मिलना संभव नहीं है। इसलिये इसको तीन पंच-वर्षीय योजनाओं ४-५ व ६ तक फैलाया गया है। पहली प्राथमिकता को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित करने का सुझाव दिया गया है। मगर यह सब धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर है।

(२) चूरू जिले के लिये बनाई गई जल प्रदाय योजना के मास्टर प्लान की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) मास्टर प्लान बनाते समय जिन गांवों में बिजली चली गई है, उसको ध्यान में रखा गया है तथा बिजली पहुँचने की जो कोई सूचना मिल सकी उसको ध्यान में रखा गया है। जहां तक प्राथमिकता देने का प्रश्न है, वह प्राथमिकता ऊपर बताये अनुसार दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरपालिका की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकने सम्बन्धी शिकायत

१२३. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नगरपालिका पीपाड़ के उपाध्यक्ष, श्री मोहम्मद सदीक ने स्थानीय पालिका के वार्ड नं० ३ के सदस्य श्री अब्दुल गनी को दिनांक २९-१२-६४ को बिना किसी कारण के एक लिखित आज्ञा द्वारा नगरपालिका की कार्यवाही में भाग लेने से रोक दिया ?

(२) क्या यह सही है कि श्री अब्दुल गनी ने उसी दिन श्री मोहम्मद सदीक की इस अवैधानिक कार्यवाही की शिकायत तार द्वारा सर्वश्री बरकतुल्ला खां, मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग, निर्देशक, स्थानीय निकाय, जयपुर, जिलाधीश, जोधपुर व उप-जिलाधीश, जोधपुर को की ?

(३) कृपया बतावें कि उपरोक्त शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही की गई या की जा रही है ?

उत्तर

(१) पालिका के प्रस्ताव दि०२९-१२-६४ के द्वारा श्री अब्दुल गनी सदस्य को बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण बैठकों में भाग लेने से रोका गया था।

(२) मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग व निर्देशक, स्थानीय निकाय को शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(३) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है। हाईकोर्ट के निर्णयानुसार श्री अब्दुल गनी पालिका की बैठकों में भाग ले रहे हैं।

सार्वजनिक पेशाबघर

१२४. श्री हरिराम घारू (सिवाना-सु०) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जयपुर शहर में सार्वजनिक पेशाबघर व टट्टियां कितनी हैं और इनकी देखभाल पर कितने हरिजन नियुक्त हैं ?

उत्तर

जयपुर शहर में विभिन्न चौकड़ियों में पेशाबगाहों की संख्या ४२ सैट्स है, जिनमें

(श्री स्वायत्त शासन मंत्री)

८४ सीटें हैं। इसी प्रकार पब्लिक तहारतों के ६३ सैट्स हैं, जिनमें ४१६ सीट्स पुरुषों के लिये व ३९३ सीट्स स्त्रियों के लिये बनी हुई हैं। पब्लिक तहारतों की सफाई एवं देख-भाल करने के लिये ६७ हरिजन नियुक्त किये हुवे हैं। पेशाबगाहों की सफाई संबंधित क्षेत्र के नाली साफ करने वाले हरिजन करते हैं।

बिना इजाजत तामीर की पत्रावलियां

१२५. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नगरपालिका, कुचामन में दिनांक १-१-६४ को बिना इजाजत तामीर की कितनी पत्रावलियां विचाराधीन थीं ?

(२) सन् १९६४ के वर्ष में बिना इजाजत सीगे में कितनी और पत्रावलियां कायम हुईं ?

(३) सन् १९६४ के वर्ष में बिना इजाजत सीगे की कितनी पत्रावलियां आपसी राजीनामा कर सुलटाई गईं ?

(४) सन् १९६४ के वर्ष में बिना इजाजत सीगे की कितनी पत्रावलियों में तामीरें हटाई गईं ?

(५) दिनांक ३१-१२-६४ को बिना इजाजत तामीर की कितनी पत्रावलियां विचाराधीन रहीं ?

उत्तर

(१) ७० पत्रावलियां।

(२) ११६ पत्रावलियां।

(३) ५ पत्रावलियां।

(४) करीब ४-५ तामीरी।

(५) ७० पत्रावलियां।

बाड़ी-सरमथुरा सड़क पर पुलियायें

१२६. श्री रघुवीरसिंह (बाड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बाड़ी-सरमथुरा सड़क पर कितनी पुलियां (Culverts) बनाई जाना बाकी हैं और उनके लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

(२) क्या इस सड़क को ब्लैक टाप किये जाने का विचार सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

(१) ११ पुलियां बनवाया जाना शेष है। बाड़ी-सरमथुरा सड़क पर क्रोस ड्रेनेज कार्य तृतीय योजना में २,००,०००) रु० की लागत के स्वीकृत हैं।

(२) जी हां।

(११.५५ म० पू०)

छोटी सादड़ी (जिला चित्तौड़) में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही विषयक स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अब्दुल जब्बार ने छोटी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ में पुलिस द्वारा मारपीट व दमन के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे अपना वक्तव्य इस संबन्ध में दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह): अध्यक्ष महोदय, ए. पी. के मुख्य आरक्षी फर्जन्दअली तथा तीन सिपाहियों की स्पेशल टुकड़ी अभियुक्त हीरालाल वल्द भैरूलाल की पतारसी तथा गिरफ्तारी के लिये मौजा गोमाना में तैनात थी। चारभुजाजी के मन्दिर के पंचायती डालिए में मुकीम थे। दिनांक ९-२-६६ को ५ बजे शाम हीरालाल वल्द फूलचन्द फरसेवाली कुल्हाड़ी लेकर वहां पहुँचा तथा अपनी जेब से रुपये ५०) के नोट गार्ड वालों की तरफ यह कहकर फेंके कि खाओ-पीयो और गार्ड हटाकर जाओ वर्ना मारे जावोगे। यह कह कर वह चला गया। मुख्य आरक्षी ने उन नोटों को स्थानीय केसूराम तथा चुन्नीलाल कुल्मी से गिनवाकर मोड़ीराम कुल्मी....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किस तरह से बोल रहे हैं। अभी तक जो बोले हैं वह आपके भी समझ में नहीं आया होगा।

एक माननीय सदस्य : समझ में आ रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरे दोस्त कह रहे हैं कि साफ समझ में आ रहा है। आपके समझ में नहीं आ रहा है तो वापिस पढ़ दूं।

एक माननीय सदस्य : आप फर्जन्दअली से शुरू करें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ए. पी. के मुख्य आरक्षी फरजन्दअली तथा तीन सिपाहियों की स्पेशल टुकड़ी अभियुक्त हीरालाल वल्द भैरूलाल की पतारसी तथा गिरफ्तारी के लिये मौजा गोमाने में तैनात थी। चारभुजाजी के मन्दिर के पंचायती डालिए में मुकीम थे। दिनांक ९-२-६६ को ५ बजे शाम हीरालाल वल्द फूलचन्द फरसेवाली कुल्हाड़ी लेकर वहां पहुँचा तथा अपनी जेब से रुपये ५०) के नोट गार्ड वालों की तरफ यह कह कर फेंके कि खाओ-पीयो और गार्ड हटाकर जावो वर्ना मारे जावोगे। यह कहकर वह चला गया। मुख्य आरक्षी ने उन नोटों को स्थानीय केसूराम तथा चुन्नीलाल कुल्मी से गिनवाकर मोड़ीराम कुल्मी के सुपुर्द करा दिये। उसी रोज रात को ८-९ बजे वही हीरालाल बन्दूक लिए एक अन्य व्यक्ति के साथ ऊंट पर चढ़कर आया तथा मुख्य आरक्षी को ललकार कर कहा कि तुम रुपये गांव वालों की मारफत थाने में पेश करवा रहे हो सो ठीक नहीं है। मेरे भाई हीरालाल वल्द भैरूलाल की गिरफ्तारी करने बैठे हो, यहां से हट जाओ वर्ना देखता हूं कौन पुलिसवाला जिन्दा जा सकता है। यह कह कर वह थोड़ी दूर जाकर ऊंकार सुथार के मकान के पास जाकर पुलिस पार्टी की तरफ फायर करने को बन्दूक तानी। किन्तु पुलिसवाले मकान की आड़ में थे। मुख्य आरक्षी फरजन्दअली तथा सिपाही दुल्हेसिंह उसे पकड़ने के लिये दौड़े तो हीरालाल ऊंट दौड़ाकर भाग गया। घटना के समय कुल्मी चुन्नीलाल, नोन्दराम तथा मोर्डारया और महाजन भैरूलाल मौजूद थे।

इस सम्बन्ध में मुख्य आरक्षी फरजन्दअली की रिपोर्ट पर मुकद्दमा नं० ७ दिनांक ९-२-६६ धारा ३५३ ता. हि में थाना छोटी सादड़ी पर दर्ज होकर मुल्जिम हीरालाल वल्द फूलचन्द दिनांक १०-२-६६ को गिरफ्तार किया गया उसको दिनांक ११-२-६६ को कोर्ट में जमानत हुई। दिनांक २७-२-६६ को मुकद्दमे में मुल्जिम हीरालाल का चालान

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
किया गया। मुकद्मा जेर तजवीज अदालत है।

हीरालाल वल्द भेरूलाल सोने के केस में दफा ४०६ ता. हि. मुल्जिम है

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है उस पर प्रकाश नहीं डाला, उसको चबा गये या दीदो-दानिस्ता जवाब देना ठीक नहीं समझा। मेरा प्रस्ताव साफ है, छोटी सादड़ी में सोने को लेकर सेठ गोदावत का मसला है। उनका लड़का पुलिस में रिपोर्ट करता है कि मेरे घर में सोना था घर की सफाई हुई तब गरणपतलाल के घर पर अमानत के तौर पर रखा। यह केस अब अदालत में गया है इसलिये इसके बारे में अधिक तो निवेदन नहीं करूंगा लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि सेठ गुणवन्तलाल छोटी सादड़ी में रहते हैं, अगर उनको कहीं सोना रखने की आवश्यकता महसूस की जाती तो वहीं पर रख सकते थे। सवाल यह आता है कि सोना रखने के बाद गुणवन्तलाल दिसम्बर में कहता है। जब उसके पिताजी मौजूद थे तब कुछ नहीं कहा। यदि उसको सही मान लिया जाय जो एफ. आई. आर. में दिया है, सोना गरणपतलाल के पास रखना बताया जाता है, एफ. आई. आर. में गरणपतलाल, हीरालाल और बलवन्तसिंह के पास रखना बताया है और पुलिस इन तीनों को हैरान करती है। सवाल यह है कि बलवन्तसिंह के मुंह में पखाने का डंडा ठूंस दिया जाना पुलिस की कौनसी ड्यूटीज अंजाम देना है? क्या पुलिस अपनी ड्यूटीज करते समय किसी के मुंह में पखाने का डंडा ठूंस सकती है? मैंने अपने प्रस्ताव में कहा है कि पुलिस के इस रवैये को रोका जाय।

छोटी सादड़ी के पास ही एक दूसरा गांव है वहां के हीरालाल ने २ साल पहले ट्रेक्टर के लिये इन्डेन्ट दिया, उसके बाद उसके पास ट्रेक्टर आया जो उसके नाम पर रजिस्टर्ड है। छोटी सादड़ी की पुलिस उसको पुलिस थाने में लाकर खड़ा कर देती है और पूछते हैं तो कहती है कि उसी सोने से यह ट्रेक्टर खरीदा गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रीजी कम से कम सोचें कि छोटी सादड़ी के सेठ के यहां सितम्बर-अक्टोबर में तलाशी होती है, गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया के द्वारा और सैकड़ों तोला सोना बरामद किया जाता है जिसको गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया के आदमी उठा ले जाते हैं, सोने का हार तक बरामद किया है इसलिये यह मानने लायक नहीं है कि सोना उसके साथ का है। क्या मन्त्रीजी उचित समझते हैं कि इस प्रकार लोगों को हैरेस करना वाजिब है? फिर गुणवन्तराय के खिलाफ ४२० और ४०६ में केस रजिस्टर होने के बाद भी वह जमानत पर रिहा हो जाता है।

(१२ मध्यान्ह)

डी. एस. पी. हेडक्वार्टर, चित्तौड़ को लिखा गया कि सेशन कोर्ट से इसकी जमानत मंजूर नहीं की जाय क्योंकि यह गवाह को टेम्पर विद करता है। सेशन कोर्ट ने उसके बाद में हलफनामा रिजेक्ट कर दिया और कह दिया कि इस तरह की दरख्वास्त एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है। तो यह तो मान लिया जा सकता है कि पुलिस तफतीश करे लेकिन तफतीश करने का मतलब लोगों को टॉर्चर करना, उनको परेशान करना नहीं है, उसका यह मकसद नहीं है। फिर ३०७ का केस हीरालाल जो

(श्री अब्दुल जब्बार)

प्रतापगढ़ का रहने वाला है, के खिलाफ लगा कर कहा जाता है कि यह गुणवन्तलाल को मारने आया था। इस प्रकार किसी को दबाना कहां तक जायज है। मेरा कहने का मकसद यह है कि पुलिस का तफतीश करने का यह तरीका है।

मेरे स्थगन प्रस्ताव के ऊपर उप-मंत्रीजी ने जो प्रकाश डाला है उसमें हीरालाल, फूलचन्द का सवाल लाकर खड़ा कर दिया, जबकि मेरे स्थगन प्रस्ताव का मकसद था कि पुलिस इस तरह से अत्याचार कर रही है। पुलिस को यह अख्तियार नहीं है कि वह लोगों का धर्म भ्रष्ट करे। आज जो तफतीश करने के मोडर्न तरीके हैं उसमें कई तरीके बताये जाते हैं, उसमें आप लोगों को ट्रेण्ड करते हैं, उनके अलावा आपके पास में सी० आई० डी० भी हैं—लेकिन उन सबका इस्तेमाल न करते हुए कौनसे तरीके अख्तियार किये जाते हैं, जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं कि लोगों के बिजली के करेन्ट लगाये जाते हैं, चाहे भले ही लोग मर जायं, इसके अलावा लोगों की गुदा में डण्डे घुसेड़ दिये जाते हैं, और अध्यक्ष महोदय, इतनी शर्मनाक बात है कि किसी महिला के गुप्तांग में डण्डा घुसेड़ दिया जाता है, उसके बिजली के करेन्ट लगाये जाते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? उसके बाद भी उप-मंत्रीजी ने मेरे स्थगन प्रस्ताव पर इस प्रकार का जवाब दे दिया जिसकी मैं मिसाल पेश नहीं कर सकता—पूछा क्या जाता है और कहा क्या जाता है। मेरा निवेदन है कि सादड़ी के पुलिस अधिकारी जिस प्रकार इस केस को लेकर किसानों पर जुल्म कर रहे हैं, उसके सम्बन्ध में आप बतलायें कि क्या इस प्रकार की ज्यादती हुई है? और अगर हुई है तो उन ज्यादतियों को बन्द क्यों नहीं किया गया? आप उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं? साथ ही साथ इस प्रकार जो बलवन्तसिंह के लिये कहा, मैं उसे आज ही पेश कर सकता हूं, सदन के सामने पेश कर सकता हूं और वह सदन के सामने कह सकता है कि कितनी बेरहमी के साथ में उसको पीटा गया, कितनी उसके साथ ज्यादती की गई, बेरहमी के साथ पाखाने से भरा डण्डा उसके मुंह में ठूंस दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, अगर आप आज्ञा दें तो मैं बलवन्तसिंह को सदन में पेश कर सकता हूं जिससे मालूम हो कि हकीकत में पुलिस क्या कर रही है। मैं निवेदन कर दूं कि आप इस सम्बन्ध में प्रकाश डालें। यह कह देना ही काफी नहीं है कि फलां मियां रहते थे, यह तफतीश की, पचास रुपये फेंक दिये कि खाओ-पीयो और मौज करो। इससे पुलिस का चरित्र ठीक नहीं होगा बल्कि और खराब होगा। यह तो मामूली केस है जिसमें आपसी रंजिश है और जिसके कारण पार्टियों में टक्कर हो रही है। लेकिन इससे नुक्सान किसानों को हो रहा है। जो विजयराम है उसको मैं एक सदी से जानता हूं, उसके साथ मेरा रहने का इत्तिफाक हुआ है। वह बिल्कुल सीधा आदमी है। उसको अस्पताल से उठा कर ले आये। उसको अस्पताल से उठा कर लाने किसने दिया, जबकि वह ठीक नहीं था, डॉक्टर का फिटनेस का सर्टिफिकेट उसे नहीं दिया गया था। इस प्रकार की हरकतें करने में मन्शा क्या है? क्या यह चाहते हैं कि इन्सान इन्सानियत की जिन्दगी बसर न करे? इसलिये मेहरबानी कर के आप इस पर प्रकाश डालें और पुलिस के लोगों को प्रोटेक्ट न करें। मैं

(श्री अब्दुल जब्बार)

कहना चाहता हूं कि जिला चित्तौड़ के जो एस० पी० हैं, मिस्टर हिरण, वह बूढ़े हो चुके हैं, उनको आप रिटायर कर दें, लोंग-लीव उनको दे दें और यदि आपके पास ज्यादा पैसा हो तो उस पैसे को दे दें लेकिन इस प्रकार आप एडमिनिस्ट्रेशन को खराब मत करें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, आपके इस वक्तव्य में दो तथ्य मुझको समझ में आये हैं। एक यह कि ३०७ का मुकद्दमा हीरालाल अथवा अन्य किसी अभियुक्त, या जो अभियुक्त नहीं है, के खिलाफ पुलिस ने बनाया है। मैं निश्चित मत से कह सकता हूं कि कोई मुकद्दमा ३०७ का पुलिस की ओर से न तो बनाया गया है और न बनाये जाने की सम्भावना है। ऐसी स्थिति में माननीय सदस्य को भ्रांति मात्र है। ३०७, ताजीरात हिन्द का कोई मुकद्दमा न तो बनाया है और बनाये जाने की सम्भावना नहीं है। इसमें कोई तथ्य नहीं है।

दूसरा प्रश्न यह है, ज्यादती की जा रही है पुलिस की ओर से। अध्यक्ष महोदय, ९-१२-६५ को गोदावत की तरफ से एक दरख्वास्त एफ० आई० आर०, ५१ सोने की ईंटें उसने अमानती छिपाने की गरज से दी और जब गोल्ड कोण्ड रूल्स में रिलेक्सेशन हुआ, अमेंडमेंट हुआ तो उसने वापिस मांगी तो सात ईंट वापिस दी गई और बाकी की ईंटों में मुल्जिमान खयानत कर गये। उसकी तफतीश चल रही है। आपका ख्याल है, इस दौरान पुलिस की ज्यादती बराबर हो रही है और जो आपने उदाहरण दिया जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता कि वह स्थिति पैदा की गई बलवन्तसिंह के सम्बन्ध में। मैंने, अध्यक्ष महोदय, खास तौर पर एक पुलिस ऑफिसर को भेजा। ज्योंही यह स्थगन प्रस्ताव आया, इस स्थगन प्रस्ताव के आधार पर जांच करने के लिए एक ऑफिसर को मैंने भेजा और जांच करके मुझको उन्होंने विश्वास दिलाया कि दरअसल ज्यादती कुछ नहीं हुई है, लेकिन माननीय सदस्य बार-बार दोहराते हैं, कुछ ज्यादती हुई उसके एक-दो उदाहरण भी दिये हैं, तो मैं, अध्यक्ष महोदय, विश्वास दिलाता हूं कि अबकी बार और जिम्मेदार ऑफिसर को भेजकर जो आपने तथ्य दिये हैं उनकी जांच निष्पक्षता से करा कर मैं अपने आपको विश्वास कर लूंगा कि दरअसल हुई है या नहीं। और अगर हुई है तो मैं आपको निवेदन कर दूंगा। और अगर नहीं हुई है तो मौन रह जाऊंगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : मैं कुछ जानकारी करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय ! एक मिनट...

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय खड़े हुए हैं।

श्री विजयसिंह झाला : एक मिनट ! मैं पूछना चाहता हूं कि ५१ ईंटों की गोदावत ने एफ० आई० आर० दी है जब गायब हुई। पुलिस की मार्फत जब इन्क्वायरी हो रही थी उस समय ...

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय खड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : उसकी जांच हो रही है।

श्री विजयसिंह झाला : यह जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : जांच के दौरान जो कुछ होना है वह हो जायगा।

(श्री अध्यक्ष)

विधायी कार्य श्री बालकृष्ण कौल ।

श्री विजयसिंह झाला ! इसमें बहुत से लोग सोना खा गये हैं ।

(१२.१६ म० प०)

राजस्थान बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६६

(पुरःस्थापन)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग विधेयक ....

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त): यह नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

(१२. १८ म. प.)

अधिक अनुदान की मांग संख्या ६, ३६ व ४४—सामान्य प्रशासन इत्यादि

श्री अध्यक्ष : १९६३-६४ की अधिक अनुदान की मांगें ।

मांग संख्या ६

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९– सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में संधनित निधि में से ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,६५,०६३ रु० तक की राशि प्रदान की जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरी भी साथ रख दूं ।

श्री अध्यक्ष : एक-एक करके या साथ-साथ ?

(विराम)

कटौती के प्रस्ताव । माननीय सदस्य जो बोलना चाहें ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन की पर, या तीनों साथ लेंगे, या अलग-अलग ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप जिस पर बोलना चाहें ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सब पर बोल दूं ।

श्री अध्यक्ष : अलग-अलग, पहले मांग संख्या ६ ली जा रही है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : तीनों एक साथ ले लें ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सब एक साथ ले लें ।

श्री अध्यक्ष : तीनों एक साथ।

श्री भैरोंसिंह : तीनों एक साथ ले लें, जो बोलना चाहें वह बोल लें।

मांग संख्या ३६

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ७६–अन्य विविध अंशदान और अभिहस्तांकन के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०१,१८३ रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

मांग संख्या ४४

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १०३– सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,४६,४५६ रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इन मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:—

मांग संख्या ६

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) :

१. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६– सामान्य प्रशासन विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन में कार्य-कुशलता लाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३६

२. मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ७६– अन्य विविध अंशदान और अभिहस्तांकन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बनीपार्क नगर विकास योजना के लिये भूमि प्रवाप्ति का मुआवजा समय पर न चुकाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४४

३. मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १०३– सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर-भीलवाड़ा डिविजन में तेजी से काम न करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ६

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) :

४. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६– सामान्य प्रशासन विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्व मंडल में कमियों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४४

५. मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १०३– सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभिन्न डिविजनों में निर्माण कार्यों में फजूल खर्च पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ६

श्री चौसरसिंह बाबेल (बेगूं) :

६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६– सामान्य प्रशासन विभाग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (तहसील कार्यालयों के प्रशासन में खर्च को कम करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३६

७. मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ७६– अन्य विविध अंशदान और अभिहस्तांकन में

(श्री चौसरसिंह बाव्रेल)

से १००) रुपया कम कर दिया जाय (मुआवजा ठीक ढंग से नहीं दिया गया इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ४४

८. मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १०३–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आशा से अधिक तेज प्रगति से निर्माण कार्य नहीं किये गये, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ६

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) :

६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्व-मण्डल के सदस्यों की नियुक्ति में किये जाने वाले पक्षपात पर चर्चा के लिये) ।

१०. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिलाधीशों द्वारा जिला प्रशासन में पक्षपात करने पर चर्चा के लिये) ।

११. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला स्थापना में मेडिकल Re-imbursement की असुविधाओं पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३६

१२. मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ७६–अन्य विविध अंशदान और अभिहस्तांकन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (नगर विकास योजना, बनीपार्क के लिये अवाप्त भूमि के मुआवजे देने में पक्षपात करने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ४४

१३. मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १०३–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभिन्न डिविजनों में निर्माण की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

श्री मानधातासिंह (महुवा) :

१४ मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १०३–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण निर्माण कार्यों में अधिक खर्च पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ६

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) :

१५. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (दण्डाधीशों के मनमानी करने के कारण कार्य शिथिलता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३६

१६. मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ७६–अन्य विविध अंशदान और अभिहस्तांकन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बनीपार्क नगर विकास योजना की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ४४

१७. मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १०३–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विशेष विभिन्न डिविजनों में हुए

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

अधिक तेज प्रगति से निर्माण कार्यों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ६

श्री मानसिंह महार (आमेर) :

१८. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कर्मचारियों को महंगाई भत्ता समय पर न देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४४

१९. मांग संख्या ४४ मुख्य शीर्षक १०३–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (निर्माण कार्यों पर अधिक खर्चा व्यर्थ हुआ इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ६

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) :

२०. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन में होने वाले अधिक खर्च को कम करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४४

२१. मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १०३–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में योजनाहीन तरीकों के कारण अनियमिततापूर्ण खर्च को रोकने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ६

श्री चन्द्रसिंह वर्फा (बिलाड़ा) :

२२. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन विभाग में से से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील कार्यालयों में संशोधित वेतन शृंखला के अनुसार वेतन का बकाया वेतन चुकाने में सरकार असफल रही है इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३६

२३. मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ७६–अन्य विविध अंशदान और अभिहस्तांकन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (मुआवजे समय पर न देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४४

२४. मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १०३–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार की असावधानी के कारण निर्माण कार्यों में व्यय पूंजी का वास्तविक उपयोग नहीं हुआ, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ६

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) :

२५. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन विभाग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में अधिकारियों के महंगाई भत्ते बढ़ाने पर चर्चा के लिये)।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) :

२६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन विभाग में से १००) रु०

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन में होने वाले अधिक खर्च को कम करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४४

२७. मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १०३--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में अव्यवसिक व योजना विरन तरीकों से अनियमिततापूर्ण खर्च को रोकने पर चर्चा के लिये।)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, पी० डब्ल्यू० डी० की जो डिमाण्ड यहां पर रखी गई है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पी० डब्ल्यू० डी० की जिस वक्त की, १९६३-६४ की जो मांग है उसको यहां पर तीन या चार साल के बाद प्रस्तुत किया जा रहा है; जिसका कि मुख्य कारण यह है कि यह पी० डब्ल्यू० डी० की कार्य-प्रणाली है या जो कार्य पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा हो रहा है, वह इस प्रकार से हो कि जैसा हम चाहते हैं इस विभाग के द्वारा हमारे राजस्थान के अन्दर मीन्स ऑफ कॉम्युनिकेशन की जल्दी से जल्दी प्रगति हो। मगर उसमें भी जो प्रगति होनी चाहिये नहीं हो पा रही है। जहां तक डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर को तहसील से मिलाने और सब-डिस्ट्रिक्ट को तहसील हैड क्वार्टर से मिलाने का प्रश्न है इस विभाग ने जैसी योजना बनाई थी उस पर पूरा प्रयास नहीं कर पाया है और बहुत से स्थानों पर नाकामयाब रहा है। मैं निवेदन करूं कि आसीन्द से गुलाबपुरा की सड़क है, सब-डिविजन से मिलनी चाहिये थी मगर उसका निर्माण कार्य नहीं हुआ है। इस साल फेमीन की वजह से कुछ काम हुआ है मगर वहां पर भी पी० डब्ल्यू० डी० विभाग के एग्जिक्युटिव इन्जीनियर्स और एसिस्टेंट इन्जीनियर आदि की अकर्मण्यता की बात आपको बता रहा हूं कि उनके कारण वह काम पूरा नहीं हो रहा है। उनकी इस प्रकार से हठधर्मी चल रही है कि जो गांव ४ तथा ५ हजार की जनसंख्या की आबादी के ऊंटाली व खेजड़ी हैं और जहां से सड़क निकलनी चाहिये वहां से सड़क नहीं निकाल कर जंगलों में से होकर सड़क निकालना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सड़कें आदमियों को सहूलियतें देने के लिये बनाई जा रही हैं और अगर गांवों में लोगों को सहूलियतें नहीं मिलेंगी तो फिर उनसे क्या जंगलों में जानवरों को उनसे सहूलियतें मिलेंगी? यह एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रकार की यहां के लोगों को सुविधा देने की व्यवस्था की जा रही है। इस सम्बन्ध में उप-मंत्री महोदय के ध्यान में भी यह बात लाई गई और मंत्री महोदय से भी निवेदन किया गया मगर समझ में नहीं आता कि एग्जिक्युटिव इन्जीनियर ने इस एलाइनमेंट को बदलने के लिये क्यों प्रेस्टीज पॉइन्ट बना रखा है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि मीन्स ऑफ कॉम्युनिकेशन्स इस तरह से बनाये जावें जिससे उस क्षेत्र का विकास हो सके।

इसी प्रकार से जयनगर गांव है वहां पर सड़क गांव के बाहर से होकर निकलनी चाहिये मगर उसको गांव के अन्दर होकर निकालना चाहते हैं। गांव में तंग रास्ता है और इस वजह से एक्सिडेन्ट होने का

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

खतरा रहता है। गांव वाले जमीन भी देने को तैयार हैं मगर फिर भी गांव के अन्दर से सड़क निकालना चाहते हैं।

इसी प्रकार आसीन्द से भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से ब्यावर सड़क तीसरी पंच वर्षीय योजना में स्वीकृत हुई थी मगर तीसरी पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई मगर अभी तक वे सड़कें पूरी नहीं हुई हैं। इनको इस अवधि में पूरा करना चाहिये। करीब ७ या ८ मील का टुकड़ा है उस पर न सोलिंग का काम हुआ है न मेटल पड़ कर मेटलिंग हुआ है। वह ७-८ मील का टुकड़ा बाकी है। वह भी तहसील से हम अभी तक नहीं मिला पाये हैं। आगे का कार्यक्रम है उसको कैसे पूरा कर पावेंगे ?

ब्यावर और भीलवाड़ा दो ऐसी मंडियां हैं जहां पर साठ-साठ हजार की पॉपुलेशन है। इन दोनों मंडियों को आपस में मिला देंगे तो सारा क्षेत्र जो इन दोनों मंडियों के बीच मे पड़ता है उसका विकास होगा और वहां का विकास कार्य अच्छी तरह से चल सकेगा। इसलिये इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनवा दी जावे। इस सड़क के बीच में नेबाड़ी और खारी नदियें पड़ती हैं उसके बारे में भी निवेदन करूंगा कि पुलियें बनाई जावें। अगर इन पर पुलियें नहीं बनाई जावेंगी तो ७० मील की सड़क है वह रुक जावेगी। इसलिये जल्दी से जल्दी शुरू करने का प्रबन्ध करना चाहिये।

इसी प्रकार फेमीन के सम्बन्ध में कार्य चल रहे हैं, मगर उनमें इतनी ढिलाई है कि कार्य जो फेमीन का चल रहा है उसमें लोगों को राहत मिलनी चाहिये मगर लोगों को राहत नहीं मिल रही है और वहां के कर्मचारी गरीब लोगों को राहत कार्य में मदद नहीं कर रहे हैं। अभी इस समय उन लोगों को आवश्यकता इस बात की है कि देश पर विपत्ति है, उन गरीब लोगों के पास खाने को नहीं है, उनके पास काम नहीं है, अकाल सहायता सरकार देती है मगर पी० डब्ल्यू० डी० इस मामले में इतनी अकर्मण्य है, निष्क्रिय हो रही है कि जहां पर दस हजार आदमियों को काम मिलना चाहिये वहां पर एक हजार आदमी भी काम नहीं कर रहे हैं। इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि आज के युग में जब लोग दाने-दाने के लिये मोहताज हो रहे हैं, उनको सरकार की तरफ से सहायता मिल रही है और उस पर भी लोगों को काम पर नहीं लगाया जा रहा है और यह कहा जाता है कि उनके पास इम्प्लीमेंट्स नहीं हैं। इसलिये लोग बहुत दुःखी हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी राहत मिलनी चाहिये। जब सरकार उन लोगों को सहायता देने के लिये सहायता देती है तो उनको यह चाहिये कि उनको वे काम दें। जो लोग इस प्रकार से कार्य नहीं करना चाहते हैं और जनता को इस प्रकार से परेशान करते हैं और आराम नहीं देना चाहते ऐसे अकर्मण्य अधिकारियों के साथ कार्यवाही की जाए और ऐसे अधिकारी रखने चाहियें जो जनता को ज्यादा से ज्यादा आराम पहुंचा सकें। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी ध्यान देगी।

तीसरा कटौती प्रस्ताव मेरा इस बारे में है कि लोगों की जमीन ले ली जाती है और उनको समय पर मुआवजा नहीं दिया जाता है। भीलवाड़ा के अस्पताल के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय

अस्पताल बनाया गया था उस समय वहाँ के मालियों की और दूसरे लोगों की जमीन ले ली गई थी मगर उनको मुआवजा नहीं दिया गया। आज उस जमीन की कीमत ५ हजार रुपया बीघा है। सरकार उन लोगों को ६०) रुपया बीघा जमीन के दे रही है, उसको वे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब एक्विजीशन रूल्स में यह है कि मार्केट वेल्यू से उनकी कीमत दी जावे तो उनको भी वही कीमत मिलनी चाहिये जो मार्केट वेल्यू है। मगर आज तक पी० डब्ल्यू० डी० की वजह से उनका मुआवजा पूरी तरह से तय नहीं कर पाए हैं और गरीब लोगों को जो काश्तकार हैं, उनको न तो जमीन के एवज में जमीन मिली है न उनको मुआवजे के रूप में पैसा मिला है। मैं भीलवाड़ा के होस्पिटल की जमीन के बारे में अर्ज कर रहा हूं। आज दस वर्ष हो गये हैं अब तक उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। इसलिए उनको मार्केट वेल्यू से मुआवजा दिया जावे। सरकार उनको ६०) रुपया बीघा का मुआवजा दे रही है जिसको वे अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप उनको ६०) रुपया बीघा दे रहे हैं मगर आज वह जमीन भीलवाड़ा में ५ हजार रुपया बीघा में नहीं मिलती है। आप उनको ६०) रुपया बीघा में एक्वायर करना चाहते हैं, यह बड़े शर्म की बात है। उन लोगों को पूरा पैसा नहीं दे रहे हैं।

इसी तरह सरेड़ी बांध के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों के खेत बांध में डूब गये उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला। ये सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी है। सरकार ने तो पैसा भेज दिया है मगर सिंचाई विभाग की ढिलाई के कारण उनको मुआवजा नहीं दे रहे हैं। इसलिये उनको जल्दी से जल्दी मुआवजा दिलाया जावे।

सामान्य प्रशासन के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस बात की आवश्यकता है कि हमारे कर्मचारियों का नजरिया बदला जावे, उनका दृष्टिकोण बदला जावे। उनमें इस प्रकार की भावना भरी जावे कि आज के युग में समाजवादी व्यवस्था के ढांचे में ढाल कर देश को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाने की भावना हर एक व्यक्ति में होनी चाहिये। मगर देखा यह जाता है कि आज जिस मजबूती के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें हमें कमी नजर आती है और वह कमी हमारे अधिकारियों की और हमारे बड़े-बड़े अफसरों की है जिनके दृष्टिकोण में फर्क है और आज के युग के अनुसार ढांचे में नहीं ढल सके और इसी वजह से हमारे प्रशासन के ढांचे में कमियें नजर आ रही हैं। जितने भी फॉरेन कन्ट्रीज हैं और खास कर अमेरिका की नजीर देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन्स की पार्टी होती है। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी पावर में होगी तो हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट वही होगा और रिपब्लिकन्स होगी तो वे ही लोग बड़े-बड़े अधिकारी होंगे मगर यहां पर······

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-सु०) अध्यक्ष महोदय, हाउस का कोरम पूरा नहीं है। जब तक सदन का कोरम पूरा न हो सदन की कार्यवाही स्थगित की जावे।

(गणपूरक घंटी)

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे अधिकारियों का दृष्टिकोण

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

बदलना चाहिये और इनका दृष्टिकोण तभी बदल सकता है जब कि आर ए एस., आर. पी. एस., आइ. ए. एस., आइ. पी. एस. या अकाउन्ट सर्विसेज के लोग हैं इनको ट्रेनिंग पीरियड में ही समाजवाद की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जाय। यह इस प्रकार की समाजवाद की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था जब तक नहीं की जाती तब तक इन अधिकारियों का दृष्टिकोण नहीं बदल सकता। आज जितने बड़े अधिकारी हैं उनकी वही पुरानी अंग्रेजी शासन-काल की मनोवृत्ति है, वे समाज को अपने से बिल्कुल भिन्न समझते हैं। आज कोई भी आइ. ए. एस. अफसर बन कर आ जाता है तो वह गांव के ऐरे गैरे लोगों के साथ बातचीत करना तक पसंद नहीं करता, उनके साथ बैठना तक पसंद नहीं करता। जब हमारे अधिकारी इस प्रकार के हों तो वैसी दशा में हम हमारे देश को, हम हमारे प्रान्त को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इस विषय में सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया, इस बारे मे न हमारी सरकार सोचती है और न नेता लोग ही सोचते हैं। अगर इस बात को नहीं सोचा गया तो हमारे प्रजातन्त्र के, हमारे समाजवाद के अनेकों दुश्मन इसके चारों और इसे समाप्त करने में लगे हुए हैं, केपिटेलिस्ट्स, कॉम्युनिस्ट्स, फासिस्ट्स आदि प्रजातन्त्र के दुश्मन समाजवाद को समाप्त करने के लिये इसके चारों ओर लगे हुए हैं, इनके चंगुल में अगर हमारे अधिकारी फंस गये तो हमारा प्रजातन्त्र खत्म हो जायगा, हमारा समाजवाद खत्म हो जायगा.......

श्री परसराम मदेरणा : क्या माननीय सदस्य का सुझाव यह है कि हमारे यहां की सर्विसेज अमेरिकन पेटर्न पर हों ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : हां, मेरा तो यही सुझाव है। यह नहीं हो तो कम से कम ट्रेनिंग पीरियड में इन अधिकारियों को समाजवाद का पाठ पढ़ाया जाय ताकि हमारे देश को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने में ये अधिकारी लोग सहयोग दे सकें।

दूसरा मेरा निवेदन एब्जोशन कमेटी के सम्बन्ध में है, जिसके कि फाइनेन्स मिनिस्टर चेयरमैन हैं, इसमें खास तौर से कन्सोलिडेशन विभाग के बारे में मेरा निवेदन है, कन्सोलिडेशन प्रायः खत्म होने आया है, कन्सोलिडेशन विभाग के अधिकारी सरप्लस हो गये हैं, कन्सोलिडेशन विभाग समाप्त होने जा रहा है। इसमें जो सीनियर सर्विसेज के लोग रिट्रेन्च हुए उनको एब्जोशन कमेटी के सुपुर्द किया गया है। सीनियर सर्विस के लोग १६६३ में सरप्लस हुए और जूनियर सर्विसेज के लोग १६६२ में सरप्लस हुए। जो जूनियर सर्विस के लोग १६६२ में सरप्लस हुए उनको तो इन्सपेक्टर्स आदि की अच्छी पोस्ट पर एब्जॉर्ब कर लिया गया लेकिन जो सीनियर सर्विस के लोग १६६३ में सरप्लस हुए उन लोगों को पटवारी बनाया जा रहा है। जूनियर लोग तो इन्सपेक्टर बन जायं और जो उनसे सीनियर लोग हैं जिनकी सर्विसेज दस-दस-पन्द्रह-पन्द्रह और बीस-बीस साल की हैं उनको स्थानों के अभाव में पटवारी बना कर एब्जार्ब करें यह कतई न्याय संगत और उचित नहीं है। ये लोग काफी संख्या में हैं, इनकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये, एकॉर्डिंग टू सीनियोरिटी उनको एब्जार्ब किया जाना चाहिये।

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का सम्बन्ध है, यह जरूरी है कि

(श्री गंगासिंह)

सरकार का उसके साथ में घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिये किसी भी राज्य के अन्दर वहां की सर्विसेज कैसी हों, वहां की शासन-प्रणाली किस तरह से चलाई जावे, यह उस राज्य की हुकूमत से काफी सम्बन्धित है। आज से १९ साल पहले हमारे देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी, राजाओं के राज्य थे तो उन्होंने अपने हिसाब से हमारे यहां शासन-प्रणाली चालू की और अपने हिसाब से उन्होंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को स्वरूप दिया। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद हमारे रुख में परिवर्तन आया, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाय इसमें परिवर्तन आया, उसके साथ ही यह जरूरी था कि हमारी सर्विसेज कैसी हों, हमारा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो, सरकार का रवैया कैसा हो, सरकार का व उसका कैसा सम्बन्ध हो, इसके बारे में जो निर्णय लिया जाना चाहिये था, वह अब तक नहीं लिया गया है। इसी कारण से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के बीच काफी मात्रा में विभिन्नता है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस समय जबकि हमारे देश में प्रजातन्त्र है, और प्रजातन्त्र के रूप में हमारे यहां का राज्य चलाना है तो यह जरूरी है कि सर्विसेज का दिमाग आपके प्रति और आपका दिमाग सर्विसेज के प्रति कैसा होना चाहिये, इस प्रश्न को हल करना चाहिये। आज जो सर्विसेज चल रही हैं, जो पुराना अंग्रेजों का राज्य था, जो पुराने राज्य थे, पुराना एडमिनिस्ट्रेशन या उससे सम्बन्धित हैं। इस समय सर्विसेज के लिये जरूरी है कि सरकार को पूर्ण सहयोग दे कर चलें। ऐसे समय में सरकार को भी ध्यान रखना चाहिये कि सर्विसेज को किस तरह से सन्तुष्ट किया जा सके। पर इसके विपरीत फिलहाल देखा जाता है कि आपकी सारी सर्विसेज सरकार से भिन्नता रखती हैं, और पिछले कुछ महीनों से तो सर्विसेज का रुख ऐसा हो गया है कि राज्य सरकार हमारे लिये कुछ भी नहीं कर रही है। मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस समय यदि सरकार अपनी सर्विसेज को सन्तुष्ट नहीं कर सकेगी तो आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तौर से नहीं चल सकेगा। आज महंगाई का जमाना है और महंगाई इस हद तक पहुंच चुकी है कि जो तनख्वाह इन सर्विसेज को मिले वह इस महंगाई को ध्यान में रख कर दी जाय। महंगाई भत्ता बढ़ाने की उनकी मांग उपयुक्त है, इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। अगर ऐसा रुख आपका नहीं रहा तो सर्विसेज आपके खिलाफ हो जायगी और राज्य सरकार का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिगड़ेगा।

इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सम्बन्ध में भी मैं सरकार का ध्यान आपके द्वारा आकर्षित करना चाहूंगा। जयपुर के अन्दर सर्विसेज को काफी हद तक हाउस रेन्ट वगैरह की सहूलियत मिलती है पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इस प्रकार की सहूलियत नहीं मिलती है। नागौर जैसे शहर के अन्दर जहां कि मकानात का अभाव है आपके जयपुर से भी वहां मकानात ज्यादा महंगे मिलते हैं, वहां हाउस रेन्ट नहीं मिलता। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि वहां के कर्मचारियों को भी मकान भत्ता उस जगह की महंगाई को ध्यान में रखते हुए दिया जाना चाहिये। डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर भी इन सारे हालात को देखते हुए कि वहां मकानात महंगे मिलते हैं या सस्ते मिलते हैं,

(श्री गंगासिंह)
महंगे मिलते हैं तो कितने महंगे मिलते हैं इन सब बातों को देख कर वहां मकान किराया सर्विसेज को देने का तय किया जाना चाहिये ।

मैं रेवेन्यू बोर्ड के सम्बन्ध में भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में रेवेन्यू बोर्ड की शाखा को रखा है । रेवेन्यू बोर्ड के क्या २ कर्त्तव्य हो सकते हैं, रेवेन्यू बोर्ड ठीक तरह से काम करता है या नहीं, यह भिन्न सवाल है, काफी बहस इस पर की जा सकती है । मेरा ख्याल है कि रेवेन्यू बोर्ड की दो शाखाएं होना जरूरी है । एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव शाखा और दूसरी अपीलेंट केसेज आते हैं उनसे सम्बन्ध रखने वाली शाखा होनी चाहिये । अभी रेवेन्यू बोर्ड है वह एडमिनिस्ट्रेशन और अपीलेन्ट के दोनों काम करता है । जो केसेज रेवेन्यू बोर्ड में आते हैं उनमें गवर्नमेन्ट का काफी हस्तक्षेप रहता है । इसलिये यह आवश्यक है कि अपीलेन्ट ऑथोरिटी है वह सेशन जज की केटेगरी की या रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेज की केटेगरी की होनी चाहिये, ताकि यह जूडिशियरी की शाखा इन्डिपेन्डेन्टली काम कर सके ।

इसके साथ, जिलों में जो मजिस्ट्रेट्स, एस० डी० एम्स० व कलेक्टर्स हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा क्योंकि मैजिस्ट्रीयल पॉवर्स थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट्स को, एस० डी० एम्स या जिला मजिस्ट्रेटों को दी गई हैं, वे जब तक आप जुडीशियरी से बिलकुल सेपरेट नहीं करेंगे तब तक उनके पास रहेंगी । ऐसी हालत में जो जिला मजिस्ट्रेट्स हैं या एस० डी० एम० की पोस्ट्स हैं उन पर नए आइ० ए० एस० या आर० ए० एस० नहीं लगाने चाहिएं । क्योंकि ऐसा समय आ सकता है जब कि एस० डी० एम० को फायरिंग के आदेश देने पड़े ऐसे वाकयात हो सकते हैं जिस समय जनता इस हद तक पहुंच जाय कि जिस समय कन्ट्रोल करने की जरूरत पड़े उस समय अगर आप नए आदमी लगाएंगे तो हो सकता है कि वह उचित कदम न उठाए, गलत कदम उठाए । ऐसी हालत में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेरा सुझाव है कि आपको आर० ए० एस० और आइ० ए० एस० वालों को ट्रेनिंग देनी है और ट्रेनिंग देकर अनुभवी बनाना है लेकिन आपको जो पोस्ट्स हैं, उन पर कुछ समय का अनुभव हो उसके बाद ही पोस्टिंग करना जरूरी होता है, नहीं तो आपकी पावर्स का दुरुपयोग हो सकता है ।

इस समय जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में सर्विसेज का जो ट्रेन्ड है वह ठीक तौर पर नहीं चल रहा है, लोग काम नहीं कर रहे हैं । कलेक्टोरेट में क्या, एस० डी० एम० की कोर्ट में क्या, फाइल्स पड़े हुए हैं, केसेज डिस्पोज आफ नहीं हो रहे हैं । एक-एक अदालत में ४००-४००, ५००-५०० केसेज पड़े हुए हैं, तीन-तीन, चार-चार साल के पुराने केसेज हैं, ऐसी अवस्था अदालतों की होती जा रही है जिससे जनता को जो राहत मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल रही है । इसके लिए कम से कम आपको यह मालूम करना जरूरी है कि जिला स्तर पर किन-किन अदालतों में कितने-कितने केसेज पड़े हुए हैं, उनका कितना डिस्पोजल जल्दी से जल्दी कर सकते हैं और नहीं हुआ तो उसके क्या कारण हैं, जिससे सामान्य एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तौर पर चल सके ।

(श्री गंगासिंह)

जहां सेटलमेंट के केसेज हैं और खत्म होने के बाद उन केसेज को असिस्टेन्ट सेटलमेंट ऑफिसर्स या सेटलमेंट ऑफिसर्स के पास से एस० डी० एम० को दिये जाते हैं वह हजारों के तादाद में एक एक एस० डी० एम० के पास आये हैं और उन केसेज के अन्दर एस० डी० एम० अकेला निर्णय करने बैठे तो वर्षों लग सकते हैं तो कम से कम जो केसेज आपके सेटलमेंट के इन रेवेन्यू अदालतों के अन्दर ट्रान्सफर हुए हैं, उनके लिए कुछ समय के लिए एक अधिकारी असिस्टेन्ट कलेक्टर के रैंक का रखवाया जाय, जिससे सारे जिले के केसेज पर वे जल्दी से जल्दी फाइन्डिंग दे सकें।

जिला स्तर पर जो अधिकारी हैं वे समय के अनुसार काम भी नहीं करते हैं, उनके दौरे कब-कब रहते हैं, मालूम नहीं होता है, नहीं प्लान्ड-वे के अन्दर कार्यक्रम रहता है जिसके कारण एक अदालत में कभी २०-२०, २५-२५ केसेज रहते हैं और एस० डी० एम्स० दौरे पर चले जाते हैं और उसके कारण जो पार्टीज होती हैं, उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिये कम से कम आपके जो तहसीलदार, एस० डी० एम्स० हैं उनका सुचारु-रूप से दो-तीन महीने का प्रोग्राम होना चाहिए और प्रोग्राम के अनुसार करें तो यह होगा कि उन दिनों के अन्दर केसेज नहीं रखे जायें, ताकि पार्टीज भी उन्हीं दिनों में आएं जब दौरे न हों।

जिलों में जो एस० डी० एम्स० या थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट्स हैं वे काम दो-तीन-चार घंटे से अधिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके अन्दर काम करने की दिलचस्पी जागरुक नहीं हुई है। इसका कारण न मालूम क्या है। मैं दो-तीन वर्षों से देख रहा हूं। एक और दो के बीच लन्च रहता है। तीन बजे से फिर चाय पर जाते हैं और पांच बजे तक चाय पीते रहते हैं और पांच बजे के बाद १५-२० मिनिट काम करके चले जाते हैं। इससे यह होता है कि एक बजे तक जो काम होता है जिला स्तर के अधिकारियों के कार्यालयों में वह हुआ बाकी एक बजे के बाद जिलों में बहुत ही कम काम निकलता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि चाहे आप काम के घन्टे कम रखें परन्तु जितने घन्टे फिक्स करें उनमें वह अधिकारी कम से कम यह फील करें कि इस समय काम करना है, न खाने में जाना है, न टी पार्टी में बैठकर गपशप करने हैं। मैं दो-चार जिलों में घूमा हूं इसलिये कहता हूं। उनके दिमाग में यह बात होनी चाहिये कि सरकार की नौकरी करनी है और राज्य का काम ज्यादा से ज्यादा निकालना है।

इस तरह से मैं देखता हूं कि आपके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का टोन जिस रूप में होना चाहिये वह नहीं है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन धीरे-धीरे नीचे के स्तर पर जा रहा है। अगर आपने इस एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं सुधारा तो आपका प्रजातंत्र खतरे में हो सकता है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन प्रजातंत्र की बैकबोन है, सरकार की बैकबोन है इसलिए इसके टोन को ऊंचा रखने पर ही हम सारे प्रजातंत्र को कामयाब रख सकते हैं। इसलिए आपकी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का जो टोन डाउनवर्ड जा रहा है उसके लिए आप भरसक प्रयत्न करें और प्रशासन के मोरेल को ऊंचा उठाने की कोशिश करें।

मेरा दूसरा कट मोशन सार्वजनिक निर्माण कार्यों से सम्बन्धित है। सार्वजनिक

(श्री गंगासिंह)

निर्माण कार्यों के अन्दर अभी जो कार्य हो रहे हैं उनमें ठोस कार्य नहीं हो रहा है। ठेकेदार पी० डब्ल्यू० डी० के मारफत कार्य करते हैं, वे ऐसे खराब काम करते हैं कि कुछ समय के बाद मरम्मत आने लगती है। इसके अन्दर आपका वेल-प्लान्ड बेसिस होना चाहिये और चाहे २० काम की जगह १० काम करें परन्तु वे दस काम ऐसो मजबूती के साथ होने चाहिए जिसके कारण मरम्मत बार-बार न आये तथा वे कार्य सुचारुरूप से सम्पन्न हों। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान उन सड़कों की ओर दिलाऊंगा जिनके अन्दर करीब दो-तीन साल के अन्दर ही सड़कें टूट गईं। जो कुछ भी सड़कों का कार्य हुआ वह आपके इन्जिनीयर्स सोचें कि इसके अन्दर कौनसा मेटीरियल लगेगा, कैसा मेटीरियल लगेगा, किस तरह का मेटीरियल बिछाना पड़ेगा उसके बाद मेटीरियल डाल कर मजबूत बनाने की जरूरत है। अभी जो सड़कें बन रही हैं उनके अन्दर कंकर, मिट्टी जैसा है तो फालतू कंकर डाल कर सड़क का नाम क्यों करें, वह तो एक ही बरसात में खतम होने वाली है। कम से कम आप सड़क जैसे कार्य के अन्दर जिसमें लेबर पर बहुत पैसा लगता है उस पैसे का अच्छी तरह से सदुपयोग करें इसके लिये जरूरी है कि जिस तरह से घर का काम चलता है, हम अपना मकान बनाते हैं और देखते हैं कि कमजोर तो नहीं हो जाय, मेटीरियल तो अच्छा लग रहा है, ऐसे ही आपके अधिकारियों को करना चाहिये। तो मैं समझता हूं कि इसके लिये काफी अर्से के बाद में सार्वजनिक निर्माण में बार २ मरम्मत आती है उस मरम्मत का काफी पैसा बचाया जा सकता है।

उसके साथ-साथ, अध्यक्ष महोदय, अभी सड़कों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्य हो रहा है, सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि इस कार्य में कोई प्लानिंग नहीं है। आप जिस प्रकार चाहते हैं कि इस जिले में कार्य होना चाहिये वह कार्य वहां पर शुरू हो गया, उसके बाद में यह आपका कर्तव्य हो जाता है कि आप उस कार्य को पूरा करायें। दो साल में फेमीन के अन्तर्गत सड़कें बनी हैं, उसमें कई सड़कें इनकम्प्लीट रह गयी हैं। उसके लिये यह तय किया गया कि उन सड़कों को पी० डब्ल्यू० डी० के मार्फत पूरा कराया जाय। उन सड़कों पर लाखों रुपया खर्च हुआ। समय पर सड़कें पूरी नहीं हुईं। लाखों रुपया खर्च हुआ, अर्थ वर्क हुआ, दो-तीन साल मोड नहीं पड़ा तो सड़कें किसी काम की नहीं। एक कोने से, दूसरे कोने से शुरू करते हैं और बीच का एरिया यों का यों ही रह जाता है। इसलिये मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगा इस ओर कि फेमीन में बनी २०-३० सड़कें जितनी भी हैं उनको कम्प्लीट कराना जरूरी है वर्ना कम्प्लीट नहीं करायेंगे तो लाखों रुपयों का खर्चा फालतू चला जायगा। इस ओर ध्यान दिलाऊंगा कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में खाटू से तरनाऊ एक सड़क जाती है। तीन-चार मील का टुकड़ा रहा है उसको कम्प्लीट नहीं करायेंगे तो जो अर्थ वर्क हुआ है वह खतम हो जायगा और एक लाख रुपया लगा वह भी फालतू चला जायगा। इसलिये मेरा अनुरोध है कि ऐसे टुकड़े जो कम्प्लीशन पर हैं, एक २ दो २ मील के टुकड़े हैं, उनको ठीक नहीं करायेंगे या पूरा नहीं करायेंगे तो सड़क खराब हो जावेगी और लाखों रुपये सरकार के फालतू चले जावेंगे, इसलिये उनको

(श्री गंगासिंह)

कम्प्लीट कराना ही है। इसलिये आपके जरिये मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नागौर जिले में तीन चार सड़कें इन कम्प्लीट रही हैं उनको जल्दी से जल्दी सम्पूर्ण करायें जिससे सरकार का जो उन पर लाखों रुपया लगा हुआ है उसका दुरुपयोग न हो।

और साथ-साथ इस ओर भी ध्यान दिलाऊंगा कि सरकारी इमारतें हैं उनको समय-समय पर मरम्मत नहीं हो रही है जिसके कारण वे इमारतें काफी कमजोर होती जा रही हैं। इस ओर सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि रोड्स व पी० डब्ल्यू०-डी० के मार्फत स्कूल्स वगैरा बने हुए हैं और राज्य सरकार की ओर से कुए वगैरा का प्रबन्ध किया गया है उस ओर ध्यान दिलाते हुए यह कटौती प्रस्ताव प्रस्तावित करता हूं और राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि तीन-चार मील के सड़कों के टुकड़े रह गये हैं, वे तो कम से कम कम्प्लीट करायें।

श्री चौसरसिंह बाबेल (बेगूं) : अध्यक्ष महोदय, प्रशासन और पी० डबल्यू० डी० पर मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं, उस सिलसिले में मेरा निवेदन है कि यह सरकार करोड़ों रुपया इस तरह से खर्च करती है कि जिसका किसी प्रकार सदुपयोग नहीं होता है और असफल रहती है। प्रशासन में ऊपर से ढिलाई होने से नीचे भी काम ठीक नहीं होता है। लोग मारे-मारे फिरते हैं। रोज हम यहां पर आवाज करते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्या तो सेक्रेटेरियेट और क्या नीचे के दफ्तर इनमें सब जगह यह हालत है। इसलिये मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि रकम का सदुपयोग होना चाहिये। ६३-६४ के आइटम अब आ रहे हैं जबकि ६७ का बजट हम पास कर चुके हैं। यह सोचने की बात है कि क्या यह प्रशासन के लिये शोभनीय बात है कि हम से ६३-६४ के खर्च के लिये कहा जाता है कि अधिक हुआ है इसलिये इसको पास किया जाय। जबकि यह आना चाहिये था ६५ में, ६६ में। ६७ में ६३-६४ के आइटम आवें खर्चे के यह उचित नहीं है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

एक सड़क खराब होती है, वह ठीक नहीं होती है तो दूसरी हो जाती है, कहीं नालियां नहीं बनी हैं, कहीं पुलिया नहीं बनी हैं। सारे के सारे काम ऐसे हैं कि कोई उनको देखने वाला भी नहीं है। हम कहते हैं कि फलां जगह काम नहीं होता है लेकिन सुनते नहीं। आपकी पार्टी के लोगों के यहां पर जरूरत नहीं होती है तब भी वहां सड़कें बना देते हैं। नन्दवई से बेगूं रोज गाड़ियां जाती हैं, पन्द्रह हजार रुपये का श्रम दान भी हुआ लेकिन वहां पर सड़क नहीं बनाई जाती है और ऐसी जगह सड़कें बना रहे हैं जहां कि जरूरत नहीं होती।

तहसील हैडक्वार्टर्स को मिलाने के लिये कहा था लेकिन वहां पर भी नहीं बनी। राणा प्रतापसागर से बेगूं तहसील हैडक्वार्टर को मिलाने के लिये कोई सड़क नहीं बनाई। तहसीलों को मिलाने का प्रावधान है। बेनी पार्क में, बताया कि, रुपया पीछे दिया गया। आंकड़े मौजूद हीं है और कोई स्पष्टीकरण भी नहीं है। ब्याज के लिये कहा कि चार पर्सेन्ट के बजाय पांच पर्सेन्ट पर फैसल हुआ इसलिये ऐसा हुआ। उसमें अधिक फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन मंजूरी के लिये रखा गया है कि चार पर्सेन्ट के बजाय पांच पर्सेन्ट का

(श्री चौसरसिंह बाबेल)

फैसला बाद में हुआ। क्या कारण है, इसमें यह साफ नहीं बताया गया है। इसलिये मैंने ये कटौती प्रस्ताव रखें हैं वे उचित हैं। आप उन पर विचार करें और प्रशासन में ढिलाई है उसको निकालने की कोशिश करें। काफी आपका रुपया खर्च होता है। पारसोली, भैंसरोड़गढ, बेगूं में कोई मुन्सिफ कोर्ट नहीं है जबकि १०२ मील पर सिविल कोर्ट है। खास बेगूं में कोर्ट होनी चाहिये क्योंकि बेगूं के मुकद्दमे अधिक हैं। बापना कमेटी ने भी इस सम्बन्ध में रिपोर्ट दी। तीन साल हो गये कोई आपने उसका फैसला नहीं किया। करोड़ों रुपया बजट में खर्च होता है। जहां कोर्ट की जरूरत है वहां तो नहीं होती। बेचारे लोग मारे-मारे फिरते हैं, मामूली पेशियों पर मारे-मारे फिरते हैं। दो-दो, तीन-तीन पेशियों पर जाते हैं, होती नहीं हैं, मिनिस्टरों के पीछे फिरते हैं मजिस्ट्रेट लोग और लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। आप इस पर विचार करें और बापना कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बेगूं के अन्दर कोर्ट होनी चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री वित्त) : ज्युडिशियल ऑफिसर्स हैं वे मिनिस्टरों के पीछे कहां फिरते हैं ?

श्री चौसरसिंह बाबेल : हुकुम ! मैंने समझा नहीं।

श्री परसराम मदेरणा: आपने कहा बेगूं में सिविल कोर्ट नहीं है और दूसरी जगह लोग मारे-मारे फिरते हैं और ऑफिसर्स मिनिस्टर्स के पीछे फिरते हैं। ये सिविल कोर्ट हैं और ज्युडिशियल ऑफिसर्स का मिनिस्टर्स के पीछे फिरने का क्या सम्बन्ध ?

श्री चौसरसिंह बाबेल: हमारे यहां एस. डी. ओ. और तहसीलदार के पास ज्युडिशियल पावर्स हैं। मैं आपको मुन्सफी के लिये कह रहा हूं। बापना कमेटी की रिपोर्ट है। लॉ सैक्रेटरी ने भी कभी नहीं देखा होगा वहां जाकर। ज्यादा मुकद्दमें वहां है। मुन्सिफ कोर्ट वहीं होनी चाहिये जहां कि अधिक मुकद्दमे हों लेकिन आपने रखा है चित्तौड़गढ़। बेगूं तहसील के मुकद्दमे अधिक होते हुए भी वहां नहीं बनाई। आखिर आपका आधार क्या है ? जब इस प्रश्न को पहले उठाया था तो आपने आश्वासन भी दिया था।

श्री परसराम मदेरणा : आज ज्युडिशियल कोर्ट का प्रश्न कहां है ?

श्री चौसरसिंह बाबेल : मैंने प्रशासन से सम्बन्ध रखता है इसलिये कहा है। न्याय प्रशासन को भी आप देखते हैं। अतः आप से अनुरोध है कि आप इसको देखें और बेगूं के अन्दर सिविल कोर्ट बनाने की कोशिश करें।

(गण-पूरक घंटी)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई बोलने वाला नहीं है तो मैं बोलूं फिर।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत मांग के सम्बन्ध में मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं। पहले कटौती के प्रस्ताव के अन्दर रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर जो नियुक्तियां की जाती हैं उसके सम्बन्ध में है।

(श्री भैरोंसिंह)

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कई बार इस विषय पर चर्चा हुई है कि रेवेन्यू बोर्ड का गठन किस प्रकार से किया जाय। इसमें राजस्थान प्रदेश को छोड़ कर बाकी के राज्यों में रेवेन्यू बोर्ड का गठन अलग-अलग प्रकार से किया हुआ है। जिस समय राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट इस विधान सभा द्वारा पारित किया गया था उस समय विधान-सभा के समक्ष दो प्रश्न मुख्य रूप से विवादास्पद बने हुए थे। एक प्रश्न था रेवेन्यू बोर्ड का गठन, दूसरा अध्यक्ष का पद। मुझे याद है कि रेवेन्यू बोर्ड के गठन के प्रश्न को लेकर सदन में कई प्रकार की चर्चायें हुई हैं। सदन में इस बात की मांग की गई थी कि रेवेन्यू बोर्ड हाइएस्ट ऑथोरिटी है इसके ज्युडिशियल फन्क्शन्स हैं इसलिये इसके जो भी सदस्य हों उनका ज्युडिशियरी का एक्सपीरियन्स हो, वकालात का एक्सपीरियन्स हो, एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव हो, जिलाधीश के पद पर रह चुका हो ऐसे व्यक्ति को ही रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर और अध्यक्ष बनाया जाय। सरकार की ओर से मैं तो यह नहीं कहता कि सरकार ने इस बारे में हठधर्मी की हो। उस समय इस सम्बन्ध में सुझाव भी आया था उस पर गौर नहीं किया गया, गौर नहीं करने का परिणाम यह निकला कि आज दिन तक रेवेन्यू बोर्ड बिलकुल अनिश्चित स्थिति में है।

अध्यक्ष महोदय, सदन और राजस्थान की जनता और सर्विसेज को यह सुन कर बड़ा अफसोस हुआ कि अब तक जो भी रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य बने हैं, उनसे हमारी एक आकांक्षा और अपेक्षा रहती है कि रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य के प्रति किसी भी प्रकार से उसकी इन्टीग्रिटी में डाउट नहीं हो यह अपेक्षा जनता और सदन करता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह जो आशा लेकर के चल रहे थे पिछले दिनों में रेवेन्यू बोर्ड के दो मेम्बर्स के ऊपर इस बात का अप्रत्यक्ष रूप से लांछन लगा जिससे उनकी इन्टीग्रिटी को डाउटफुल माना गया है।

राजस्थान की सर्विसेज का हैड मुख्य सचिव होता है, उनको सुपरसीड करने वाला रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमेन होता है। राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी के बाद दूसरा दर्जा रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमेन का होता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि रेवेन्यू बोर्ड के भूतपूर्व चेयरमेन श्री मेनन जिनको सर्विसेज से हटाया गया जिनके लिये यह कहा जा सकता है कि उनका डिसमिसल नहीं हुआ, उनको चार्ज-शीट नहीं दी गई, उनकी सर्विस-शीट में एडवर्स रिमार्क नहीं दिये गये फिर भी उनका जो एक्सटेन्शन होना चाहिये था वह नहीं हुआ। उनके इस एक्सटेन्शन के न होने के पीछे प्रत्यक्ष रूप से भले ही न हो लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह बात छिपी हुई जरूर है कि उनकी इन्टीग्रिटी में सरकार डाउट करती है। इसी कारण जिन अधिकारियों की आयु ५५ साल हो जाने के बाद तीन साल का जहां एक्सटेन्शन होना चाहिये वहां उनका नहीं हुआ। तीन साल का एक्सटेन्शन नहीं होने के पीछे सबसे मोटा कारण दिया गया है वह है उनकी इन्टीग्रिटी डाउटफुल है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लिये यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमेन की इन्टीग्रिटी डाउटफुल हो इसके कारण उसकी सर्विसेज का एक्सटेन्शन न हो।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, यह बात इनके तक ही सीमित रही हो यह भी बात

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं। अभी जो रेवेन्यू बोर्ड के एक मेम्बर सरदार बलवन्तसिंह हैं उनको भी नोटिस दिया गया है कि आपका ५५ साल के बाद एक्सटेन्शन नहीं होगा। यही बलवन्तसिंह राजस्व मण्डल के चेयरमेन रह चुके हैं, एडीशनल चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी को ऑफिशियेट कर चुके हैं, ये ही बलवन्तसिंह कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी रह चुके हैं, इरीगेशन और पब्लिक वर्क्स सेक्रेटरी रह चुके हैं, जोधपुर डिविजन के कमिश्नर रह चुके हैं। इतनी ऊंची-ऊंची जगहों पर काम करने के बाद भी जब उनकी सर्विसेज के एक्सटेंशन का सवाल आया तो उनकी इन्टीग्रिटी डाउटफुल है यह कह कर उनको एक्सटेंशन नहीं दिया जा रहा है। जिसने इतने ऊंचे-ऊंचे पद पर काम किया, जिनकी सर्विस-शीट में किसी प्रकार का रिमार्क नहीं, आज से पहले छः महीने तक रेवेन्यू बोर्ड के जो चेयरमेन रह चुके, सी. एस. की पोस्ट पर ऑफिशियेट कर चुके आज उनको इस बात का नोटिस दिया जा रहा है कि आपकी इन्टीग्रिटी डाउटफुल है, इसलिये आपको अप्रैल १३ या १६ से एक्सटेंशन नहीं दिया जायगा। यह इस बात का सबूत है कि जिन रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर और अध्यक्ष के लिये जनता यह आकांक्षा और अपेक्षा लेकर चलती थी कि उनकी सर्विसेज बियॉण्ड डाउट होंगी, उनकी इन्टीग्रिटी में किसी प्रकार का सन्देह नहीं होगा, आज उन लोगों की इन्टीग्रिटी को डाउटफुल समझा जाकर उनको एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि करप्शन पटवारी से लेकर राजस्व मण्डल तक जो हाइएस्ट बॉडी है उस तक भी पहुँच गया है और यह करप्शन कब डिटेक्ट होता है, उस समय डिटेक्ट नहीं हुआ जब होना चाहिये, उस समय इस करप्शन को रूट आउट करने की कोशिश नहीं की जाती है लेकिन जब एक्सटेंशन का सवाल आता है तब उनकी इन्टीग्रिटी डाउटफुल है, यह समझा जाकर उनको एक्सटेंशन नहीं दिया जाता है। यह कब होता है कि जब ये अधिकारी सरकार के खिलाफ जजमेंट देना शुरू कर देते हैं तब सरकार को यह लगता है कि इनकी इन्टीग्रिटी डाउटफुल है। यही हाल श्री मेनन का हुआ और यही हाल मौजूदा सीनियर मेम्बर, श्री बलवन्तसिंह का हो रहा है। इनके और चीफ सेक्रेटरी के इनको सुपरसीड करने के बारे में कहा-सुनी हुई उसके कारण इनके और उनके बीच में जलन पैदा होने लगी। जिसकी सर्विस-शीट में आज तक कोई एडवर्स रिमार्क नहीं उसके खिलाफ जब भगवतसिंहजी और इनके बीच सुपरसेशन का सवाल चला तो उनका एक्सटेंशन बन्द किया जाय इसलिये यह किया गया कि इनकी इन्टीग्रिटी डाउटफुल है। आप जब एक आदमी को ज्युडिशियल पावर्स देते हैं तो यह उसके ऊपर है वह सरकार के खिलाफ फैसला दे या उसके फेवर में दे। उनके सुपरसेशन के मामले को लेकर जब हाई कोर्ट में रिप्रेजेन्टेशन भेजना शुरू किया इस तरह से इनके और चीफ सेक्रेटरी के बीच झगड़ा शुरू हुआ तो इनकी इन्टीग्रिटी को डाउटफुल समझा गया। इससे यह पता चलता है कि राजस्थान का रेवेन्यू बोर्ड जो हाइएस्ट ऑथोरिटी है उसके जो सदस्य हैं उनकी इन्टीग्रिटी भी डाउटफुल है। ऐसी हालत में राजस्व मंत्री महोदय को कोई काम करने का अधिकार नहीं। यह केवल राजस्व मंत्री का सवाल नहीं, राज्य के मुख्य मंत्री को इस बारे में खेद प्रगट करना चाहिये और सदन को कॉन्फिडेन्स में लेना चाहिये कि

(श्री भैरोंसिंह)

सर्विसेज की इन्टीग्रिटी जो इस लेवल पर चली गई है उसमें किसी प्रकार का सुधार किया जावेगा।

(१.०० म. प.)

यही प्रश्न सरदार बलवन्तसिंह का आया। आज तक कभी एडवर्स एन्ट्री उनकी सर्विस बुक में नहीं की गई। अब कहते हैं उनकी इन्टीग्रिटी डाउटफुल है। डाउटफुल किस बात की? उन्होंने कोई एक मोटर व्यापारी के साथ मोटर का ट्रान्जेक्शन कर लिया। उसको लेकर जोधपुर के एक पेपर में कुछ अरसे पहले एक खबर छपी। उस आदमी ने मुख्य सचिव को लिखा कि सरदार बलवन्तसिंह के खिलाफ उसे दावा दायर करने की परमीशन दी जावे। परमीशन नहीं दी गई और यह कहा गया कि ऐसे अखबार को इग्नोर करके चलना चाहिये। मामला वहीं बन्द हो गया। पर उस मेम्बर ने सेल्स-टेक्स के मामलों में सरकार की पोल खोल दी। सरकार के केस को इस ढंग से बताया गया कि जैसे सेल्स-टैक्स का इम्पोजीशन, इम्प्लीमेन्टेशन, उसका कलेक्शन जो कुछ भी है, सबमें सरकार अन्धी होकर काम कर रही है। अपने जजमेन्टों से उन्होंने ऐसा आभास दिया। अब ज्योंही इस तरह के जजमेन्ट देने उन्होंने शुरू किये कि विरोधियों ने देखा कि अब इनको मारने का अवसर है।

सरकार ने उनका वही बन्द पड़ा पुराना मामला उठाया, जिसको वह कहती थी कि इस अखबार की बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, उसी में छपी खबर के आधार पर जांच करने के लिये एस० पी० को भेजा गया कि छः साल पहले जो खबर अखबार में छपी थी, उसकी जांच की जाय। एन्क्वायरी कमेटी बैठी, पर उसने उनको एग्जोनेरेट कर दिया। फिर दुबारा जांच कराई गई, उससे भी कुछ नहीं बना तो फिर उस व्यापारी से, जिसके साथ मोटर का ट्रान्जेक्शन हुआ, स्टेटमेन्ट दिलाया गया और उस अधिकारी ने पुलिस के डी० आई० जी० को रिपोर्ट दी कि इन्होंने ४२० की है। अब केस रजिस्टर ४२० का हुआ या नहीं। पर कम्प्लेन्ट फाइल की गई कि व्यापारी और इन व्यक्ति के बीच में मोटर का जो ट्रान्जेक्शन हुआ उसमें इनका मेलाफाइडी इन्टेन्शन मालूम होता है। इसी को बहाना बनाकर सरकार ने कह दिया कि इनकी इन्टीग्रिटी में सरकार को डाउट है इसलिये इनकी सर्विसेज को एक्सटेण्ड नहीं किया जावेगा। दो व्यक्तियों के साथ भिन्न व्यवहार और इनके साथ करप्शन और इन्टीग्रिटी में डाउट होने के बाद ऐसी स्टेज में जाने के बाद जबकि ज्युडीशियरी में अपनी इन्डिपेन्डेन्ट व्यू जाहिर करना शुरू किया, उसके बाद इस तरह से स्टेप्स सरकार द्वारा उठाना इस बात का संकेत है कि सरकार कैसी भी गलती करे, बिना रूल्स बनाये, बिना कुछ किये जैसा चाहे एक्ट को इम्पोज करदे, किसी प्रकार का टैक्स इम्पोज करदे, बिना देखे-भाले टैक्स इम्पोज करदे, और वसूल करले, कोई ज्युडीशियरी की कुर्सी पर बैठकर सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कह सकता। सरकार का हुक्म ही खुदा का हुक्म है। इसको चेलेन्ज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। कोर्ट को जुरिस्डिक्शन लेने का अधिकार नहीं। यह स्थिति यह हुकूमत आज पैदा करना चाहती है। मेरा उनके बारे में यह कहने का तात्पर्य नहीं कि उनको एक्सटेन्शन दिया ही जाना चाहिये। आप दें

(श्री भैरोंसिंह)

या न दें, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं। पर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इतने दिनों तक हाईएस्ट पोस्टों पर रह जाने के बाद इस स्टेज पर जाकर इन्टीग्रिटी की बात सरकार के दिमाग में आने की बात कही जाती है तो ऐसा लगता है सरकार को अपनी सर्विसेज के बारे में बहुत देर से पता लगता है। उनका कन्ट्रोल उनपर नहीं है। वे एफीशियेन्ट नहीं हैं कि उनको समझ सकें और इस स्टेज पर जाकर मालूम पड़ता है तो मैं कहता हूं कि राजस्थान की सर्विसेज का सारा ढांचा रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर से लेकर सेक्रेटेरियट से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सारा एडमिनिस्ट्रेशन का सरकार का ढांचा नीचे से लेकर ऊपर तक करप्ट है। जहां भी हाथ डालेंगे वहीं पर करप्शन मिलेगा। मेरा मतलब यह कह कर यह जाहिर करने का नहीं है कि सारी ही सर्विसेज करप्ट है। पर आज स्थिति ऐसी है कि जो सरकार की हां में हां करे, उसकी "जी हुजूरी" में रहे, उसके हुक्म को ही खुदा का हुक्म माने वह है ऑनेस्ट। जो ऐसा नहीं करे, वह डिसऑनेस्ट, उसकी इन्टीग्रिटी डाउटफुल। आज के ये ऑनेस्ट मौज करते हैं, और सही माने में जो ऑनेस्ट हैं वे रोते हैं। डिसऑनेस्ट कमाते हैं, मौज-बहार करते हैं, सरकार के मंत्रियों की गुड बुक्स में रहते हैं। वे कुछ भी करें उनको हर प्रकार का रिलेक्सेशन मिलता है। पर जो ऑनेस्टली चलना चाहें, अपना स्वतन्त्र जजमेन्ट दें, ज्युडीशियल माइन्ड एप्लाई करें उसकी इन्टीग्रिटी डाउटफुल बन जाती है, एक्सटेन्शन जो वाजिब है, वह भी नहीं मिल सकता। जांच अलग होती है।

तो ये सारी स्थितियां रेवेन्यू बोर्ड में चलीं। यदि राजस्व मन्त्री और इस हुकूमत से पूछा जावे कि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में राजस्थान की विधान सभा ने यह अधिकार दिया था कि सरकार रेवेन्यू बोर्ड के सदस्यों और चेयरमैन की क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब करे, तो आज तक उसने क्यों नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूँ कि सन् ५५ में कानून बनने के बाद आज ६५ तक ११ वर्ष के समय में भी रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बरों की क्वालिफिकेशन को प्रेस्क्राइब क्यों नहीं कर सकी? और रिजल्ट यह कि रेवेन्यू बोर्ड में इस बात की पीटीशनें चल रही हैं कि इसका कॉन्स्टीट्यूशन इस बिना पर डिफेक्टिव है। यह कानून के अन्तर्गत काम नहीं कर सकता। यह मामला मेजर बैंच को रेफर किया हुआ है। यह मामला सब-ज्युडिस है, इसलिये इस पर बोलना नहीं चाहता।

पर सरकार की एफीशियेन्सी कैसी है इसके लिये बोलना चाहता हूं कि ११ वर्ष हो गये, एक्ट में प्रावधान है कि उनकी क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब की जावेगी पर आज दिन तक ११ वर्ष के बाद भी नहीं कर पाई। इससे लगता है कि हमारी सरकार रेवेन्यू बोर्ड को ऐसा समझ कर चल रही है कि जब मरजी हो उसे दबा दिया जावे, जैसा जब चाहे दबा कर जजमेन्ट करा दिया जावे।

इन दो आदमियों के कारण अब बाकी के मेम्बरों को भी डर लग रहा है। वर्तमान रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन को यह सरकार फंसा रही है। यह सरकार की मनोवृत्ति इस बात का संकेत कर रही है कि वर्तमान चेयरमैन, कुछ भी गड़बड़ी अगर करेंगे तो कोटा में उन्होंने अपने-अपने और अपने लड़कों के नाम से जमीन खरीदी है, गंगानगर में क्लेक्टर थे उस समय अपने और

(श्री भैरोंसिंह)

अपने लड़कों के नाम से जमीन ली है, कई जगह कलेक्टर और रेवेन्यू सेकेट्री की हैसियत से अपने और अपने लड़कों के नाम से पुलिस के वेपन्स खरीदे हैं। आज तो सरकार मौन धारण कर के बैठ गई है इन मामलों पर, पर जहां चेयरमैन ने कुछ सही तरीके से अपना ज्युडीशियरी माइन्ड एप्लाई करना शुरू किया, इन्डिपेन्डेन्ट जजमेन्ट डिलीवर करना शुरू किया, मैं आज कहता हूं कि उसी चतुर्वेदीजी को यह हमारी सरकार तभी चार्ज-शीट देकर कहेगी कि अमुक-अमुक काम आपने अनियमित तरीके से किये, अमुक-अमुक भूमि के टुकड़े अनियमित रूप से अपने और अपने बेटों के नाम पर लिये। अमुक-अमुक हथियार कलेक्टर और रेवेन्यू सेकेट्री और चेयरमैन रहते हुए अपने और अपने लड़कों के नाम से खरीदकर बेचकर नाजायज तौर पर गेन किया। यह तलवार आज सरकार ने उनके सिर पर लटका दी है। जिस व्यक्ति के सिर पर इस प्रकार के चार्ज लटक रहे हैं उससे क्या हम यह उम्मीद करके चलें कि उसके हाथों जनता को न्याय मिलेगा ? ज्युडिशियल फंक्शन के रूप में सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त कर सकेंगे लोग ? यह असम्भव है। इसलिये कि राजस्थान रेवेन्यू लॉज कमीशन ने अपनी सेकण्ड रिपोर्ट में जो रेवेन्यू बोर्ड के बारे में व्यवस्था की है उसमें परिवर्तन किया जावे, इसकी जो सिफारिशें की हैं, मेम्बरों की नियुक्ति चीफ जस्टिस, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, चीफ सेकेट्री इन तीनों की सिलेक्शन कमेटी बनाई जाकर उसके द्वारा कराई जावे। उसकी इन सिफारिशों के बारे में मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि रेवेन्यू कानून के सम्बन्ध में लोगों की स्वस्थ भावना के लिये उनकी आस्था इसमें जमाने के लिये यह आवश्यक है कि रेवेन्यू बोर्ड का गठन रेवेन्यू लॉज कमीशन की इन सिफारिशों के आधार पर किया जाय और इस तरह से इस बोर्ड के बारे में जनता का कॉन्फिडेन्स गेन किया जाय। पर आज यह नहीं हो रहा है।

यही हाल आज जिला-स्तर के प्रशासन का है। यह सरकार माने या न माने; पर यह तथ्य है, निर्विवाद है। जिला-स्तर पर कलेक्टर को आप एक एप्लीकेशन दे दीजिये; तहसीलदार, एस. डी. ओ., एम. डी. एम. को दरख्वास्त दे दीजिये, तारीखें अवश्य पडेंगी। एक-एक छोटे से छोटा मामला, लकड़ी काटने का मामला ले लीजिये, जिसमें जुर्माना होता है केवल दो रुपया। पर वह जुर्माना होता है छः महीने बाद और कम से कम चालीस-पचास पेशियां पड़ चुकती हैं तब। हर महीने में एक पेशी। आप किसी केस की किसी फाइल को उठा कर देख लीजिये किसी में लिखा होगा कि तहसीलदार हाजिर नहीं, कलेक्टर हाजिर नहीं, एस. डी. एम. हाजिर नहीं, कभी वकील हाजिर नहीं, कभी विरोधी पार्टी हाजिर नहीं। कभी लिखा मिलेगा कि कागजात रेवेन्यू इन्सपेक्टर के पास भेज दिये जावें। ऐसे एक दो मामले नहीं हैं, हजारों की तादाद में ऐसे मामले हैं जिनमें वर्षों निकल गये पर जुर्माना हुआ बाद में जाकर २) रु० या ४) रु० का, पर छः वर्ष तक लगातार चक्कर वह अदालत का काट रहा है। तो एस. डी. एम. और कलेक्टर के और तहसीलदार के दफ्तरों का यह हाल है। वह रेवेन्यू कलेक्टर ही नहीं है, दुनिया भर के धन्धे उसको करने पड़ते हैं। फुरसत मिलती नहीं। जनता की दरख्वास्तें सुनने की

Page No. 52

(श्री भैरोंसिंह)

और उनको डिसपोज ऑफ करने की न उनको फुरसत है, न नीचे के अधिकारियों को फुरसत है। जनता किसको जाकर कहे ? भगवान के भरोसे है वह तो। किसी बात की एप्लीकेशन दे दो। इस सरकार के इन अधिकारियों और नीचे के कर्मचारियों में यह कर्टसी तक आज नहीं है कि जनता ने, किसी ने दरख्वास्त दी तो उसकी किसी के यहां से कोई रसीद भी आ जावे। रसीद देना तो आज के ये कलेक्टर, एस. डी. एम. और तहसीलदार अपनी इज्जत के खिलाफ समझते हैं। उनको गरूर है कि वे तो ज्युडिशियल ऑथोरिटी हैं। जो एप्लीकेशन पेश हो जावे, उसकी न रसीद है न कुछ और। अगर उसको कुछ देखना है तो नकल लेकर देख जाओ कि क्या हुक्म उस पर लिखा गया है क्या नहीं। अफसोसनाक हालत है यह। आज डेमोक्रेसी है। पर आज भी इन अधिकारियों का वही वतीरा है जो अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में इस नौकरशाही का था। जनता किसी भी मसले की शिकायत करे। यह उस अधिकारी की ड्यूटी होनी चाहिये कि इस बात की जानकारी वह एप्लीकेन्ट को दे कि तुम्हारी दरख्वास्त मिल गई है और उस पर अमुक प्रकार का एक्शन लिया गया है या लिया जा रहा है। पर दुर्भाग्य यह है कि हमारे इन कमजोर इनएफिशियेन्ट मन्त्रियों की कमजोरी और इनएफीशियेन्सी का फायदा उठा कर ये सरकारी अधिकारी और कर्मचारी वही ब्रिटिश सरकार के वक्त का वतीरा और रवैया बना कर चल रहे हैं। यह जनता को इफेक्ट करता है उनका रवैया आज जनतंत्र के शासनकाल में। वे जनता के आवेदन पत्र रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, उनका जवाब देना उनकी शान के खिलाफ वे समझते हैं।

इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक किया जाय। जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप जनता को सहूलियत पहुँचाने के लिये बनाया जाय। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कलेक्टर का कोर्ट है, उसके नीचे एस० डी० एम० और तहसीलदार का कोर्ट है जो रेवेन्यू लॉज़ के मातहत काम करते हैं, कम से कम उनके केसेज़ अमुक समय में डिस्पोज़ ऑफ हो जाने चाहियें, इस तरह की एक अवधि मुकर्रर की जाय। यह नहीं होता है तो जनता परेशान होती है, त्राहि-त्राहि करती है, वकील पैसा कमाते हैं, जनता की जेबें खाली होती जाती हैं और सस्ता न्याय नहीं मिलता जनता को।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से पी० डब्ल्यू० डी० का प्रश्न आता है। पी० डब्ल्यू० डी० के लिए जितना कहा जाये उतना ही कम है। कहते हैं किसी को मुआवजा देने की गरज से यह मांग प्रस्तुत की गई है। मुआवजा इस बात का देना है 'अन्य विविध अंशदान और अभिहस्तांकन' इस अनुदान में अतिरिक्त भूमि अवाप्ति के लिए मुआवजे देने के कारण है। यह भूमि बनीपार्क नगर विकास योजना के लिए चाहिये थी। अब यह बनीपार्क की भूमि का मामला माननीय मंत्री महोदय जानते हैं कि कितना कॉम्प्लीकेटेड है। कितनी बार उनके हाथ से कागज निकले होंगे, कितनी बार कागजों के ऊपर हुक्म में रद्दोबदल हुई होगी, कितनी बार केबीनेट लेवल के ऊपर डिस्कशन किया गया होगा। यह सब माननीय मंत्रीजी को मालूम है। यह विवाद कई बार हाउस में भी आ चुका है लेकिन मैं एक बात मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपके सामने एक बार नहीं अनेक बार इस सदन में कहा गया कि

(श्री भैरोंसिंह)

एक बार जिस लैण्ड के एक्वीजीशन का नोटिस दे दिया और लैण्ड एक्वीजीशन की कार्यवाही पूरी हो गई और उस कार्यवाही के अन्तर्गत कब्जा लेने का समय निकट आ गया और पेमेन्ट उसका किये जाने का वक्त आ गया उस समय हमारी सरकार कार्यवाही करने के बाद में एक्वीजीशन के नोटिस को क्यों वापिस विथड्रॉ करती है ?

आज बनीपार्क एक्सटेन्शन स्कीम में जिस व्यक्ति की जमीन सरकार ने ली उसके मुआवजा लेने का प्रश्न आया, उसके लिए एक्सेस डिमाण्ड की तजवीज कर रहे हैं यह भी होगा और इसमें कोई पर्टीकुलर पॉइन्ट के ऊपर विरोध करने का सवाल नहीं होता। विरोध होता है सरकार की नीतियों के लिए जिसके अन्तर्गत सरकार इस प्रकार की जमीन अपने नाम पर अपने अधिकार में दूसरों से लेती है, उसका प्रश्न आता है। जयपुर में अध्यक्ष महोदय, इस सारे जयपुर में यदि आज इस बात की एन्क्वायरी की जाये कि जिस समय सन् ५२ में हमारे पहले इलेक्शन हुए और हम विधान सभा में आकर बैठे और ५२ से लेकर ६५ तक कितनी भूमि ऐसी है कि जिसमें लैण्ड एक्वीजीशन का नोटिस सरकार की मन्जूरी से दिया गया है। अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने अपनी तरफ से दिया बस मालिकों को बुलाया और उसके बाद में जब पता लगेगा उस मालिक को कि मेरी ५ लाख रुपये की जमीन सरकार ५० हजार रुपये में एक्वायर करने वाली है तो उसके सेक्रेटेरियट के बीच में और अपने मकान के बीच में चक्कर लगने शुरू हुए और दलालों के साथ जोड़-तोड़ शुरू हुई और दलाल की मार्फत कई अधिकारियों को प्लॉट्स दे दिये और पैसे दे दिये और मेरी समझ में नहीं आता कि यह हुकूमत आखिर लैण्ड एक्वीजीशन की कार्यवाही जो कि पब्लिक परपज के लिए ले रही है उसको रात को क्या सपना आ जाता है कि दूसरे दिन नोटिस निकालती है कि इसको रिलीज किया जाता है।

आज आवश्यकता इस बात की है मैं, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, कि यह उनकी जानकारी में है कि किस प्रकार के केसेज में जिसमें लैण्ड एक्वीजीशन की कार्यवाही करने के बाद में, पट्टे और जमीन के कब्जे करने के बाद में मकान के प्लॉट्स लेने के बाद उन्हीं सरकारी अधिकारियों ने जिन्होंने रिकमन्डेशन की थी कि पब्लिक परपज के लिए किसी अमुक जमीन की आवश्यकता है इन्होंने ही लिखा कि पब्लिक परपज के लिए ही वापिस रिलीज की जाये। आखिर यह पब्लिक परपज क्या है ? अब यदि पब्लिक परपज के लिए बदल देते हैं तो जयपुर के अन्दर सरकारी जमीन तो है ही लेकिन इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, ऐसी जमीन भी है कि जो या तो मन्दिरों की है या किसी मठ की है या किसी रामद्वारे की है वह जमीन जितनी भी है आज उन पर न तो ओरीजिनल मालिक का कब्जा है, न मन्दिर में जिसको पूजा के लिए पट्टा दिया गया था उसका कब्जा है और न धर्मशालाओं के जमीन के ऊपर जिसके नाम से डीड लिखी है उसका कब्जा है बल्कि कुछ आदमी एन्क्रोचमेन्ट करके उस जमीन के काबिज बनकर बैठे हुए हैं। वह यह करते हैं कि मन्दिरों में, धर्मशालाओं में जो मकान के मालिक बनकर बैठे हैं उन्हीं मकानों में आबादी की जमीन के अन्दर एक-दो वर्ष से नहीं बल्कि ५०-६० वर्षों से जो लोग बसे हुए हैं उनको

Page No. 54

(श्री भैरों सिंह)

निकाल कर अधिकारियों के सहयोग से बड़े-बड़े प्लॉट्स बनाकर आधे पैसे वह खाना चाहते हैं और आधे पैसे की रियायत वह अधिकारियों को करना चाहते हैं। सारी जमीन जिसमें गरीब रहते थे, जो गरीब वर्षों से रहते आ रहे थे उनका निष्कासन किया जा रहा है और सरकारी अधिकारी उनसे मिलकर कहते हैं कि पट्टे लाओ नगर विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष से मिलेंगे, म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन से मिलेंगे किसी से दरख्वास्त लेकर तुम्हें तो खाली करवा देंगे और उस जमीन को हमें बेच दो और इससे तुम्हें भी पैसा मिल जायेगा। सरकार यह तो काम कर रही है कि किसी गरीब ने नारी के नाके में मकान बना लिया, सोडाले मैं मकान बना लिया वहां गैंग जाता है और झोंपड़ियों को तोड़ आता है और इस बहादुरी से आता है कि जैसे हमारे स्वायत्त शासन विभाग के कर्मचारियों ने कोई शेर मारा हो।

मैं बरकत साहब! आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि आपमें दम हो तो जयपुर में तीन-तीन मंजिल की अट्टालिकायें एग्रीकल्चरल लैण्ड में लोगों ने बनाली और सरकार से बिना पूछे बनालीं, सरकार की बिना इजाजत के बना लीं, उनको नहीं तोड़ा जा सकता। सरकार को पिछले दिनों सदन में भी बताया गया था कि गोपालवाड़ी में मकान बन रहे हैं क्या उनमें से किसी को सरकार ने गिराया? एक्वीजीशन की कार्यवाही चल गई, गोपालवाड़ी की सारी जमीन के लिए एक्वीजीशन की प्रोसीडिंग्स लेकर कब्जा लेने की स्थिति में सरकार आ गई और रातों रात पता नहीं क्या समझौता हुआ कि सेठ ने लाखों रुपयों में उस जमीन को बेचकर धन इकट्ठा कर लिया एग्रीमेन्ट के ऊपर दस्तखत नहीं हुए और एग्रीकल्चरल लैण्ड के ऊपर आज बड़े-बड़े भवन बने हुए हैं। आपने किसी को तुड़वाया? सेठ ने एग्रीमेन्ट किया है उसके मुताबिक न तो आप काम करवा सकते हैं। माननीय मंत्री महोदय ने पिछले दिनों जोश में कह दिया था कि मैं जांच करवाऊंगा और यह भी कहा था कि मैं कुछ घोषणा करने वाला हूं। वह भी जोश में कह गए। आज तक न तो घोषणा हुई और न कोई कार्यवाही हुई, न जांच हो हुई सब जोश ठंडा हो गया। मैं पहले भी कह रहा था कि आप जो घोषणा कर रहे हैं वह जोश में ना करें ....

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत्त शासन मंत्री): उसकी जांच के लिए चीफ सेक्रेटरी के तहत एक एन्क्वायरी बैठ गई है कि वह रेस्पोन्सीबिलिटी फिक्स-अप करें और उनके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा। एडीशनल चीफ सेक्रेटरी को उसका हैड बना दिया गया है कि वह एन्क्वायरी करें।

श्री भैरोंसिंह: कब बनाया गया?

श्री बरकतुल्ला खां: अभी ऑर्डर्स किये हैं।

श्री भैरोंसिंह: आपने कहा था कि हाउस में बताऊंगा, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है।

श्री बरकतुल्ला खां: एन्क्वायरी रिपोर्ट आने के बाद में रिपोर्ट पेश करूंगा।

श्री भैरोंसिंह: मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने खैर एक वाजिब बात तो सुनी।

मैं निवेदन करना चाहता था कि यह तो एक गोपालबाड़ी का किस्सा है, यहां तो, अध्यक्ष महोदय, कई गोपालबाड़ी

Page No. 55

(श्री भैरोंसिंह)

बनी हुई हैं उनका क्या होगा ? उसकी जांच भी होगी लेकिन कई गोपालबाड़ी बनी हुई हैं जो आपके ध्यान में हैं उनका क्या होगा ? जिनमें बिना सरकार की इजाजत के लोगों ने मकान बना लिए, गवर्नमेन्ट के देखते-देखते बना लिए उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात सरकार को बुरी लगेगी, शायद इसको सरकार सीलिंग के नाते स्वीकार नहीं करेगी कि जैसे लैण्ड सीलिंग हुई और ५६ में सीलिंग की कार्यवाही चलने लगी कि ६ अक्टूबर को जिनके पास जमीन होगी वह इन इन शर्तों पर ट्रान्सफर कर सकेंगे। उसके बाद में ६१ आ गया, ६२ आ गया, ६३ आ गया, ६४ आ गया, ६५ आ गया और आज ६६ आ गया और अब आकर उसको लागू किया। इस बीच में करोड़ों रुपयों की रजिस्ट्रियां हो गईं। सरकार ने सीलिंग लागू कर दिया। यह सरकार नहीं हुकूमत भी बदल जाये तो उस कानून को ५६ से लागू नहीं कर सकती। जिन लोगों ने ट्रान्सेक्शन्स कर दिये उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। आज यही हालत जयपुर शहर की है।

केन्द्रीय मंत्री श्री मेहरचन्द खन्ना ने राजस्थान सरकार के लिए कहा है कि जितने हाउसेज राजस्थान में थर्ड फाइव ईयर प्लान में बनने चाहिएं उतने नहीं बन पाये और राजस्थान में हाउसिंग प्रॉब्लम है, राजस्थान में हाउसेज की शार्टेज है। राजस्थान की हुकूमत उन लोगों को जो हाउसेज बनाना चाहते हैं उनको जमीन नहीं देना चाहती है। मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक पॉलिसी लेकर चलिये। या तो आप बेक डेट निश्चित कर दीजिए कि किसी भी टाउन में जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर में सरकार इस तारीख के बाद में किसी भी प्रकार की भूमि में कोई पक्का मकान बनाता है तो उसको एन्क्रोचमेन्ट मानकर तोड़ देगी। सरकार घोषणा कर देती है लेकिन उसका पालन नहीं होता और जयपुर, जोधपुर, बीकानेर सब शहरों में, अध्यक्ष महोदय, कम नहीं होंगे तो ७-८ हजार मकान ऐसे होंगे जो कि अनधिकृत रूप से बना लिए गए होंगे और इन पर २५-३० लाख से कम पूंजी भी नहीं लगी होगी। आज सरकार इनको तोड़ नहीं सकती। अगर इनको सरकार तोड़ने का तय कर लेगी तो २५-३० लाख की पूंजी उपलब्ध नहीं होगी और सरकार को विवश होकर उनको रेगुलराइज करना पड़ेगा।

तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी लोगों ने बना लिया है उसको रेगुलेराइज करने की व्यवस्था की जाये और यदि सरकार भूमि का एलॉटमेन्ट नहीं कर सकती तो प्राइवेट कॉलोनाइजेशन की स्कीम बनाकर जयपुर में उसको लागू किया जाय। जोधपुर में लागू करते हैं, बीकानेर और उदयपुर में लागू करते हैं। जहां दिल्ली में प्राइवेट कॉलोनाईजेशन चलाई जाती है, कानपुर में प्राइवेट कॉलोनाईजेशन चलाई जाती है, उसको लखनऊ और इलाहाबाद में चलाया जाता है। बम्बई में भी अभी कुछ दिन पहले प्राइवेट कॉलोनाईजेशन लोगों ने ऑफर किया है। अब वे कौनसी जमीन पर कॉलोनाइजेशन करेंगे यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन महाराष्ट्र की हुकूमत इस पर विचार कर रही है कि हाउसिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिये हमें प्राइवेट कॉलोनाईजेशन की व्यवस्था करनी चाहिये।

(श्री भैरोंसिंह)

लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि राजस्थान की हुकूमत न प्राइवेट कॉलोनाईजेशन को एन्करेज करने को तैयार है और न जो हाउसेज के लिये प्लॉटों की जरूरत है उसकी पूर्ति कर पाती है। बल्कि इसके विपरीत जिन्होंने मकान बनाये है उनको भी तुड़वाने की सोचती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार कम से कम इस मामले मे अपना स्पष्ट दृष्टिकोण बता दें ताकि लोगों को मालूम हो जाय कि उनको मकान बनाना चाहिये या नहीं। कोई मकान बन गये हैं तो उनका क्या परिणाम निकलने वाला है। यदि आप यह चाहें कि जैसा हनुमानगढ़ के इलेक्शन में हुआ कि लोगों को कह दिया कि वोट दो और दुकानें बना लो। लेकिन दुकानें बनी और जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट निकला, उन पर बुलडोजर चल गया और सब दुकानों का सफाया कर दिया। तो आपको अगर बुलडोजर ही घुमाना है तो लोगों को बता दो कि जब सरकार का बुलडोजर घूमेगा तो न कोई मकान बचेगा न कोई हवेली बचेगी। बुलडोजर अगर किसी को छोड़ेगा तो असर वाले मकानों को लेकिन झोंपड़ी अवश्य नहीं बचेगी। यह कह कर आप चलो ताकि लोगों को ख्याल रहे कि सरकार के बुलडोजर में बारूद है, सरकार के बुलडोजर में ईंधन है, ड्राइवर है और जब यह बुलडोजर चलता है तो मकान टूटते हैं। लेकिन जब कभी सरकार का यह बुलडोजर चलता है तो उसका परिणाम उन्हीं लोगों को भुगतना पड़ता है जो गरीब हैं, जिनका कोई जरिया नही, जिनकी कोई सिफारिश नहीं है।

तीसरी मांग है, अध्यक्ष महोदय, पी० डब्ल्यू० डी० की। इस विभाग के लिये तो जितना कहा जाय उतना ही कम है। मुझे ऐसा लगता है कि यह विभाग मन्त्रीजी के कन्ट्रोल में नहीं है। मन्त्रीजी कन्ट्रोल करने की इच्छा करते हैं और उनको कभी २ विभाग को कन्ट्रोल करने का जोश भी आता है, जैसे कोई इन्जेक्शन दिया हो, लेकिन उस इन्जेक्शन का असर दो ही मिनिट का होता है। दो मिनिट के बाद अगर इनसे पूछें कि आपने दो मिनिट पहले क्या करने का निश्चय किया था तो वे कहेंगे कि इन्हें याद नहीं है। आज यही हालत राजस्थान पी० डब्ल्यू० डी० की है। राजस्थान की पी० डब्ल्यू० डी० में दो प्रकार के स्केंडल चलते हैं। पी० डब्ल्यू० डी० के मिनिस्टर साहब भी नहीं हैं और डिप्टी मिनिस्टर भी नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त): डिप्टी मिनिस्टर मौजूद हैं। इनमें कितनी देर तक उबाल रहता है और उसका असर कितनी देर में खत्म हो जाता है, यह सब मैं उनको बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह: आप बता देंगे, लेकिन आप उनको ही बुला लीजिये ना?

श्री परसराम मदेरणा: मैंने कहला दिया है, आप तो बोलिए।

श्री भैरोंसिंह: आप पी० डब्ल्यू० डी० के डिप्टी मिनिस्टर थोड़े ही हैं?

श्री परसराम मदेरणा: मैं पी० डब्ल्यू० डी० का डिप्टी मिनिस्टर हूं।

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, पी० डब्ल्यू० डी० के डिप्टी मिनिस्टर साहब को मैं कहूंगा कि अपने मन्त्री महोदय को कम से कम इतना पेथेडिन का इन्जेक्शन दें कि

(श्री भैरोंसिंह)

जिसका असर कम से कम तीन-चार घण्टे तक तो रहे। मुझे इस बात का कटु अनुभव है कि राजस्थान के कुछ मंत्री भले हैं जो शायद सुखाड़ियाजी की कृपा पर जीते हैं। सुखाड़ियाजी चाहें तो उनको निकाल दें और सुखाड़ियाजी चाहें तो उनको रखें और चाहें तो न रखें। वे इस बात के लिए मन्त्री-मण्डल में नहीं रहते हैं कि वे कितने एफिशिएण्ट हैं, डिपार्टमेंट के ऊपर, डिपार्टमेंट के वर्किंग के ऊपर उनका कितना कण्ट्रोल है और जो सरकार का करोड़ों रुपया खर्च होता है, उस खर्च का वे एफिशिमेंटली कितना आउटपुट ला सकेंगे, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर महोदय पी० डब्ल्यू० डी० विभाग के ऊपर अपना कोई अधिकार नहीं रखते। आप पी० डब्ल्यू० डी० के किसी भी ऑफिसर से पूछ लीजिये, सब ऑफिसर पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर को खुले आम बुराई करेंगे। मैं इतना कह सकता हूं कि राजस्थान में और भी विभाग हैं लेकिन अभी तक किसी विभाग के किसी अधिकारी ने अपने मन्त्री की खुले आम, इस प्रकार से खुले रूप में आलोचना नहीं की। मन्त्री की आलोचना, उसके विभाग के ऑफिसर्स खुले आम आलोचना करें इस प्रकार की घटना और किसी विभाग में नहीं हुई है, लेकिन यह विभाग एक अवश्य है कि जिस विभाग के मन्त्री की आलोचना उसके अधिकारी करने में कोई संकोच नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन को याद होगा कि इन्जिनियर्स के प्रमोशन के प्रश्न को लेकर एक मामला हाई कोर्ट में गया। हाई-कोर्ट के अन्दर वह मामला जिस दिन निर्णय दिया उस दिन हमारी सरकार के प्रवक्ताओं ने मन्त्री महोदय के आदेश से इस बात का वहां एश्योरेंस दे दिया था कि उनके प्रमोशन में गड़बड़ी हुई है उसको दुरुस्त किया जायगा। उनके प्रमोशन के अन्दर जो मार्किंग हुआ है, जो फोर्ज्ड मार्किंग हुआ है उसको दुरुस्त करके जस्टिस किया जायगा। दुर्भाग्य की बात है कि उस समय इस सरकार के एश्योरेंस पर रिट खारिज हो गई कि सरकार ने एश्योरेंस दे दिया है। लेकिन उस एश्योरेंस को एग्जीक्यूटिव नहीं किया गया, सरकार ने उस एश्योरेंस को ब्रीच किया और उस ब्रीच की वजह से कुछ इन्जिनियर्स फिर हाई कोर्ट में गए। उन्होंने जाकर फिर हाई कोर्ट में रिट दायर की और इस दुबारा दायर की गई रिट पर भी सरकार ने फिर एश्योरेंस दे दिया और उस एश्योरेंस के शब्दों के अन्दर चीफ इन्जिनियर, पी० डब्ल्यू० डी० ने क्या लिखा है। चीफ इन्जीनियर ने हाई कोर्ट में जो हलफनामा पेश किया है तो उसमें क्या लिखा है कि मैं तो केवल उनके हुक्म के आधार पर हस्तांतरण करता हूं। मैं तो उनके हुक्म को तामील करने वाला हूं। कोई भी डिपार्टमेन्ट का हैड इस तरह के कण्टम्चुअस वे में इस तरह से कहे कि जो भी ट्रांसफर होते हैं, जो भी प्रमोशन होते हैं वे सब मन्त्री के हुक्म से होते हैं। जब उनके ऊपर हाई कोर्ट के अन्दर इन्जीनियर्स ने और इन्जीनियर्स के एडवोकेट ने उन पर रेसपोंसिबिलिटी कायम करने की कोशिश की तो चीफ इन्जिनियर यह कह कर निकलने लगे कि मैं तो जो कुछ भी करता हूं मंत्री महोदय के आदेश से करता हूं, वे ही मुझे आदेश देते हैं कि इसका यहां पोस्टिंग कर दो, इसका यहां प्रमोशन कर दो, वहां प्रमोशन कर दो, मैं तो बस उन्हीं के आदेशों से काम करता हूं, बाकी कुछ नहीं करता। आज उनके

Page No. 58

(श्री भैरोंसिंह)

पास किसी काम के लिए जाते हैं तो वह कह देते हैं कि मन्त्री महोदय के पास जाओ। यह समझ में नहीं आता कि आखिर चीफ इन्जीनियर अपने जूनियर इन्जीनियर्स और असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स के खिलाफ हो जाय तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। मंत्री महोदय स्वयं जानते हैं कि इस बात को कि इन्जीनियर्स के मार्किंग में, उनके प्रमोशन में, उनके सिलेक्शन कमेटी के निर्णयों को लागू करने में कई प्रकार की खामियां हैं। लेकिन बदकिस्मती तो यह है कि यह उन खामियों को मानने के बावजूद उन इन्जीनियर्स को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दिला सके, और जब उनको राहत नहीं मिलता तो इसका परमानेन्ट इम्पेक्ट इन्जीनियर्स पर यह पड़ता है कि कुछ इन्जीनियर्स अपने काम में दिलचस्पी लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं और जब दिलचस्पी नहीं लेते तो जो पी. डब्ल्यू डी. का आउटपुट है, जो एफिशियेंसी है, पी. डब्ल्यू. डी. के काम का स्थायित्व है, इन तीनों चीजों में कमी होती है। बिल्डिंगें बनती हैं तो उसके साथ ही साथ टूट भी जाती हैं। बिल्डिंगें बनाते हैं तो उसके साथ-साथ उसके मैंटीनेन्स का प्रॉविजन भी रख कर चलते हैं। रोड्स बनाते हैं तो रोड्स गायब हो जाती हैं। छोटी २ चीजें तो गायब हो सकती हैं, पैंसिलें और होल्डर गायब हो सकते हैं, बक्सों की चोरी हो सकती है लेकिन राजस्थान के पी० डब्ल्यू० डी० मंत्री महोदय के राज्य में सड़कें गायब हो जाती हैं। सड़कें उड़ जाती हैं। अब वे कैसे उड़ जाती हैं, कोई बक्स में दबा कर या कांख में दबा कर, सिर पर उठा कर ले जाता है या क्या करता है? लेकिन पी० डब्ल्यू० डी० की रोड्स गायब हैं। अब वे गायब कैसे हो गईं कि फैमीन में गायब हो गईं, फैमीन का हिसाब-किताब अभी तक नहीं बन पाया। तो रोड्स गायब हुईं या नहीं इसकी जानकारी भी नहीं है। इस प्रकार की स्थिति सरकार के कागजों की है। इन सबका कारण यही मिलता है कि आज यह विभाग इण्डिपेन्डेन्ट है। इस विभाग के अधिकारियों पर कन्ट्रोल नहीं है, जो सरकार के द्वारा स्वीकृत प्लान्स हैं उनसे एक्सेस एक्सपेंडीचर हो जाता है लेकिन उन-पर सरकार की स्वीकृति लेने की आवश्यकता वे महसूस नहीं करते। मैं इस बात को बड़े दुःख के साथ मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं कि आपके बिल्डिंग और रोड्स के हैड में ५६ काम ऐसे हुए हैं जिन कामों पर एस्टीमेट्स की सेंक्शन नहीं हुई। ५६ कामों में एस्टीमेट्स सेंक्शन नहीं हुए और उन पर २८ लाख रुपया खर्च हुआ है। आपकी इन-एफिशियेंसी के कारण आपके नीचे के विभाग की इनएफिशियेंसी के कारण बिना सेंक्शन के काम कर दिये गये २८ लाख रुपये के और इसी प्रकार के ५ प्रतिशत से एबाऊ सेंक्शन्ड अमाउन्ट से फाइव पर्सेन्ट से एबाऊ के जो काम हो गये हैं और जो नहीं होने चाहिए थे और जो एक आदमी की इन-एफिशियेंसी के कारण ७६ कामों में राज्य का २५ लाख रुपया खर्च हो गया। इन दो कामों में ही २८ लाख और २५ लाख मिला-कर ५३ लाख रुपये के काम पी० डब्ल्यू० डी० विभाग ने हमारे मंत्री महोदय की छत्रछाया में बिना इजाजत के कर दिए हैं और इसके लिये हमारे मंत्रीजी कहेंगे कि हम इसको रेगुलराईज करेंगे...

श्री परसराम मदेरणा : यह आप किसी रिपोर्ट में से पढ़ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह ऑडिट रिपोर्ट में से पढ़ रहा हूं। यह रिपोर्ट आपने यहां रखी नहीं है, लेकिन मैंने इसको देखा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : बिना सर्कुलेट हुए ही आपके पास कहां से आ गई ?

श्री भैरोंसिंह : आ गई बस, आपने भी पढ़ा है इसको और मैंने भी पढ़ा है। जिस समय आप पढ़ रहे थे उस समय कुछ नहीं कहा, अब इस समय बात कर रहे हैं।

तो मेरा निवेदन करना यह है कि एक पी० डब्ल्यू० डी० में ही यदि ५३ लाख रुपयों का काम बिना सेंक्शन के हो जाएगा तब तो अध्यक्ष महोदय, हमारा कितना-सा बजट है, उस बजट के अन्दर इस प्रकार की गड़बड़ी होती रहे और इंजीनियर्स अपनी मर्जी से काम करते रहें तो हो गई व्यवस्था। अब मंत्री महोदय से कोई शिकायत करे तो शिकायत सुनने की उन्होंने कसम खा रखी है, और उस कसम में यह तय कर रखा है कि भैरोंसिंह शिकायत कर दे तो नहीं सुनते हैं और मेरे अलावा अगर श्री ज्वालाप्रसादजी शिकायत कर दें तो नहीं सुननी। इस पर भी इन्होंने शिकायत की और मैंने भी शिकायत की है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: १ लाख ८ हजार का, अध्यक्ष महोदय, आज तक जवाब नहीं दिया है अजमेर के गड़बड़ घोटाले का।

श्री भैरोंसिंह : आपने भी कोशिश कर ली और मैंने भी कोशिश कर ली है। आप उस वक्त में कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। आपका प्रभाव था, आपका दबाव था। मंत्री-मंडल का गठन इनकी सलाह से होता था।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : He is introducing extranuous things in the debate.

श्री अध्यक्ष: बात तो सही है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो इनका रुतबा बढ़ाया है मगर वे इस बात से नाराज होते हैं तो यह दूसरी बात है। मैं तो इनकी इज्जत बढ़ा रहा हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अच्छी बात है, बढ़ा भाई।

श्री भैरोंसिंह : अजमेर में मीरशाली का निर्माण हुआ। उस मामले को लेकर इस सदन में एक बार नहीं अनेक बार चर्चा हुई है। इससे मंत्री महोदय गुस्से में आये। जब गुस्सा आता है तो लाल होते हैं और लाल होकर वे घोषणा करते हैं और घोषणा करने के बाद में ज्यों-ज्यों ललाई उतरती है तो घोषणा खत्म हो जाती है। मीरशाली के बारे में आपने कहा था कि जांच करायेंगे। उस वक्त ऐसा लगता था कि इन्जीनियर्स को मार दिया जायेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि मंत्री महोदय इतने निर्दय नहीं हैं। निर्दयता का तो सवाल ही नहीं जो कुछ यहां पर कहा था उससे भी पीछे हट गये। उसके बारे में आज तक क्या कार्यवाही की गई ? पी० ए० सी० सरकार के बारे में स्ट्रिक्चर्स पास कर दे। पी० ए० सी० मौके पर जाकर उसको एक्जामिन करे और एक्जामिन करके सरकार को रिपोर्ट दे दे। सरकार को एकाउन्टेन्ट जनरल, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी और सब मिल कर सरकार को कह दे कि बहुत बड़ा घोटाला हो गया, और उस घोटाले पर मंत्री महोदय

(श्री भैरोंसिंह)

सांप की तरह फन फैलाये हुए बैठे हैं। क्यों नहीं आज तक उसके ऊपर एक्शन लिया ? क्यों नहीं आपने उन इन्जीनियर्स को सस्पेन्ड किया ? पी० डब्ल्यू० डी० के छोटे-छोटे कारीगरों व ओवरसियरों के खिलाफ तो आप कार्यवाही करते हैं और उनको सस्पेन्ड करते हैं तो क्यों नहीं आपने उन इन्जीनियर्स के खिलाफ एक्शन लिया ?

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं हनुमानगढ़ टाउन और हनुमानगढ़ जन्क्शन के बीच सड़क बन रही थी तो मन्त्री महोदय ने हाउस में दो साल पहले घोषणा की थी कि उस पर इतना बड़ा ब्रिज बन रहा है और ऐसा डामर बिछेगा कि वह सड़क कितनी ही घग्घर की बाढ़ आये वह टूटेगी नहीं उसके बीच में पुलियां बनेंगी जिससे हनुमानगढ़ टाउन और जन्क्शन के बीच में लोग आसानी से आ-जा सकेंगे। अभी पिछली बार मैं हनुमानगढ़ गया तो मैंने पूछा कि सड़क कहां गई तो लोग कहने लगे कि टूट गई। कैसे टूट गई ? टूट गई सो टूट गई। लेकिन वहां के लोगों ने दावा किया। हनुमानगढ़ जन्क्शन और टाउन के एडवोकेट्स ने मिल कर सरकार पर दावा किया है कि इन्जीनियर्स ने जान-बूझकर इस प्रकार का मेटीरियल इस्तेमाल किया है कि जिस मेटेरियल के कारण वह पानी का किसी प्रकार से मुकाबला नहीं कर सकती थी इसलिए वह टूट गई। अगर वह टूट गई तो उसके बारे में आपने क्या एक्शन लिया ? अभी उप-मंत्री श्री दौलतरामजी हैं नहीं मगर उनको सारी जानकारी है।

इसी प्रकार से भवन बनते हैं और टूटते हैं। एम० एल० एज० क्वार्टर्स के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि उनका नमूना देखने लायक है। जिस समय यह मकान बन रहे थे और उनके किवाड़ बन रहे थे तो मैंने लोगों से पूछा कि किवाड़ की लकड़ी बड़ी कमज़ोर है। उन्होंने कहा कि आप चिन्ता मत करो। हम भी नये थे और मकान लेने का लालच था। हमने सोचा कि पी० डब्ल्यू० डी० वालों की शिकायत करेंगे तो बंगला नहीं मिलेगा। एक बार किसी तरह से इनमें घुस जायें। घुसने के बाद हमने देखा है कि एक-एक किवाड़ में १२-१२ चीरें हैं। एक साधारण आदमी भी अपने मकान में किवाड़ लगाता है तो पीढ़ियों को कल्पना करके चलता है कि मेरे बेटे और पोते सुख से रहेंगे। यहां पर तो पोते का सवाल ही नहीं है। मकान में १० वर्ष के अन्दर ही किवाड़ों मे चीरें लग रही हैं। किवाड़ टूटते हैं। वह क्यों ? जबकि स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वे बनाये जाते है। उसमें पहले स्पेसिफिकेशन दिया जाता है कि इसी प्रकार की लकड़ी काम में आयेगी। सारे स्पेसिफिकेशन का नमूना निकल रहा हैं। आप यदि एम० एल० एज० क्वार्टर्स में आयें तो वहां पर पता लग जायेगा कि स्पेसिफिकेशन के अनुसार काम होता है कि नहीं। अध्यक्ष महोदय, यह सब होता है वह स्केन्डल ऑफ कान्ट्रेक्टर्स से होता है।

जो माननीय सदस्य बहरोड़-बान्सूर से आये हैं वे जिस समय पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर थे तो बनने से पहले साधारण एम० एल० ए० थे और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन कुछ दिन के लिए दूर हुए थे तो ज्योंही वे पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर बने तो विधान सभा में एक सवाल आया कि अमुक जगह हाई स्कूल की बिल्डिंग टूट गई, गंगापुर में, तो मंत्री महोदय ट्रेजरी बेन्चेज पर जोश में आये और यह टेलिग्राम

(श्री भैरोंसिंह)
कर दिया कि उन सातों इन्जीनियर्स को मोअत्तिल किया जाये । ७ इन्जीनियर्स मोअत्तिल किये गये। उनको पता नहीं था कि सुखाड़िया के मंत्री-मण्डल में वे स्वतन्त्रता से काम नहीं कर सकते हैं । जोश में कर तो गये मोअत्तिल, लेकिन कुछ दिनों में उनको रीइन्स्टेट करना पड़ा । उसके बाद जोश ठंडा हो गया और अब बिल्कुल ही जोश नहीं रहा। यह सारी स्थिति सब कुछ बनी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बान्सूर) : मेरे पास वह डिपार्टमेन्ट रहा था केवल एक साल। तो मेरे टाइम में तो कई इन्जीनियर्स छोड़ कर चले गये थे। डिपार्टमेन्ट दूसरी जगह चला गया, तब जा कर इन्जीनियर्स बहाल हुए । मेरे टाइम में कोई बहाल नहीं हुआ जैसा कि आपने बताया ।

श्री भैरोंसिंह : इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि जो कुछ मैं कह रहा था उसकी आपने ताईद कर दी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ताईद का सवाल नहीं है। इसमें सवाल एक नया उठ गया है। भूतपूर्व मंत्री महोदय कहते हैं कि एक साल रहे और उसके बाद में फिर गड़बड़ियां शुरू हो गईं। आपका (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) फर्माना क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप कह रहे हैं कि इनका जोश ठण्डा हो गया। यह जोश ठण्डा नहीं हो गया मेरा, लेकिन डिपार्टमेन्ट ही मेरे पास ठण्डा हो गया था। एक साल रहा था तब की अर्ज करता हूं। उसके बाद में क्या हुआ, मुझे पता नहीं।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको यह दृष्टान्त देता हूं मन्त्रीजी, कि कितनी तत्परता से उन्होंने एक साल में जोश ठण्डा कर दिया और अब आप खुद ही ठण्डे हो गये। एक साल के अन्दर ही पी० डब्ल्यू० डी० को सारी बातों से दूर कर दिया और इन्जीनियर्स भाग गये। आपके राज्य में यह इन्जीनियर्स करप्ट वापिस राजस्थान में सर्विस में आना चाहते हैं। मेरी आलोचना से किसी प्रकार की प्रेरणा आपको नहीं मिलती है तो अपने भूतपूर्व मन्त्री से प्रेरणा लें कि करप्ट आदमी भाग जायें। लेकिन यहां उल्टी आ रही है गंगा। अगर इस गंगा को लायेंगे और इस गंगा को रोकने के लिये, मैं विश्वास दिलाता हूं कि, आपने काम किया तो टैक्स का भार जो जनता के ऊपर बार-बार आ रहा है और पी० डब्ल्यू० डी० के काम के लिये बार-बार पैसा कहीं न कहीं से जुटाना पड़ता है उसके अन्दर इतनी बचत होगी कि उस बचत के कारण निश्चित रूप से काफी टैक्स के बर्डन से हम बचेंगे। लेकिन यह चीजें, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय सीरियसली नहीं लेते हैं और सीरियसली नहीं लेते हैं तो इसका परिणाम हमको भोगना पड़ता है। पी० डब्ल्यू० डी० का काम इससे नहीं चलता है तो नहीं चलने की वजह से जनता को उसका परिणाम भोगना पड़ता है। सरकार का खर्चा खूब हो रहा है।

पी० डब्ल्यू० डी० के कॉन्ट्रेक्ट्स को अगर जांच की जाय तो कॉन्ट्रेक्ट्स के ओरीजिनल एग्रीमेंट जो हैं तो ओरीजिनल एग्रीमेन्ट्स में फाइनल पेमेन्ट होने तक कितने और कई बार वेरियेशन्स क्यों होते हैं ? एक बार किसी कॉन्ट्रेक्टर से एग्रीमेंट हो

(श्री भैरोंसिंह)
गया कि यह मकान ५ अक्तूबर तक पूरा होगा मगर वह ५ अक्तूबर तक पूरा नहीं होता है और दूसरे साल तक पूरा नहीं होता है और एग्रीमेंट में बार-बार चैन्जेज हो जाते हैं।

एक नई टेक्नीक और चली है एग्रीमेंट के बारे में। यह जो इन्जीनियर्स हैं जो कि टेक्निकल हैण्ड उनकी ईजाद की हुई है। एक क्लॉज उसमें ऐसी रखते हैं निश्चित रूप से कि अमुक एक सामान की सप्लाई सरकार करेगी। कहीं पर कोल आ गया, कहीं पर इंगलैंड आ गये, कहीं पर आयर्न बार्स आ गये। एक आइटम ऐसा उसमें निकाल देंगे कि अमुक सामग्री पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा दी जायेगी या सरकार सप्लाई करेगी। सप्लाई सरकार कहां से करेगी? जब इन्जीनियर चाहे या इन्जीनियर नहीं चाहे कि अमुक काम कॉन्ट्रेक्टर समय पर पूरा करे या न करे तो उस सामान के लिए कॉन्ट्रेक्टर मांग करता रहेगा और इन्जीनियर उस पर नहीं करता रहेगा। काम पूरा नहीं होगा तो दूसरा इन्जीनियर आयेगा तो वह उस पर पैनाल्टी इम्पोज़ करेगा कि ५० हजार की पैनाल्टी लगनी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो मैंने बताया है उसका कम से कम एक स्टेटमेंट तो तैयार करवा लें एग्रीमेंट के बारे में।

राजस्थान में पिछले पांच वर्षों में जो एग्रीमेन्ट्स एक तारीख में हुए हैं। फाइनल होने के बाद उसका पेमेन्ट कितने दिनों बाद किया गया? दूसरा स्टेटमेन्ट इस बात का दे दें कि फाइनल एग्रीमेन्ट तय करने से पहले कितनी पैनेल्टी इम्पोज करने के लिये तय किया था और कितनी पैनल्टी वसूल की गई। ५०,०००) रु० की पैनल्टी इम्पोज करने का तय होता है तो उसमें से मुश्किल से १०००) रु० वसूल करते हैं और ४९,०००) का पता नहीं क्यों नहीं वसूल की जाती? पैनल्टी वसूल नहीं करने का कारण यह है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रपोजल देता है उसके बाद सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर के पास मामला जाता है और फिर चीफ इंजीनियर के पास जाता है। एक-एक स्टेज पर यही कहा जाता है कि ठेकेदार के साथ इतनी पैनल्टी इम्पोज़ करना अन्याय होगा इसलिये १ ,०००) रु० काट दिये जाते हैं। जब दूसरे के पास मामला जाता है तो वह कहता है कि १० हजार काटना कम है इसलिये २०,००० रु० छोड़ दिये जाते हैं, इस प्रकार होते होते सारी पैनाल्टी रिड्यूस हो जाती है। यह रकम न तो सरकार के खजाने में आती है और न काम ही पूरा होता है। रकम सरकार के खजाने में आने के बजाय इंजीनियर्स की जेबों में चली गई। जनता का पैसा खर्च हो गया, सरकारी खजाने में आया नहीं और काम पूरा हुआ नहीं। इसलिये मैं पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि कम से कम वे इतना तो कंट्रोल रखें कि कोई भी काम उनसे पूछे बगैर नहीं किया जाय और स्टेटमेन्ट बनवाकर चैकिंग करें। लेकिन आज न चैकिंग होता है और न व्यवस्था होती है और ऐसा भंयकर परिणाम होता है। लोग यह समझते हैं कि दुबारा बद्रीप्रसादजी आयेंगे तभी काम होगा वर्ना दूसरे कोई मंत्री नहीं हैं जो इस विभाग पर कंट्रोल रख सकें।

श्री मान्धातासिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग के

(श्री मान्धातासिंह)

सम्बन्ध में मेरा एक कटौती-प्रस्ताव है। इस विभाग के सम्बन्ध में अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत कुछ कह दिया है इस लिये मेरे कहने के लिये बहुत कम रह जाता है, फिर भी थोड़ा बहुत निवेदन कर देता हूं। यह एडमिटेड फेक्ट है कि पी० डब्ल्यू० डी० में भ्रष्टाचार दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। एक वह जमाना था जैसा भैरोंसिंहजी ने कहा मिनिस्टर से इंजीनियर डरते थे क्योंकि मिनिस्टर्स इंजीनियर्स के खिलाफ एक्शन ले सकते थे लेकिन अभी ऐसा समय है जबकि हर इंजीनियर आजाद है, मर्जी आवे जैसा करता है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है क्योंकि वे जानते हैं कि मिनिस्टर में ताकत नहीं है उनके खिलाफ एक्शन लेने की। एक उदाहरण मैं आपके सामने देता हूं। एक बहुत बड़े इंजीनियर हैं नाम शायद उनका श्री भटनागर है, उनके पास ब्यूक गाड़ी है। ब्यूक गाड़ी राजा महाराजा रख सकते हैं वह कैसे रख रहा है...

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): ठेका है क्या राजा-महाराजाओं का?

श्री मान्धातासिंह: एक और इंजीनियर हैं, दूसरे उदयपुर में विराजमान हैं। उदयपुर डिविजन में पहले भीलवाड़ा थे, फिर चित्तौड़ में रहे, फिर उदयपुर में सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर हैं शायद उनका नाम जगदबालाल माथुर। उनको घुमा-फिरा कर उदयपुर में ही रखा जाता है। उसका कारण यह बताया जाता है कि ये मिनिस्टर्स को कॉन्ट्रेक्टर्स से डोनेशन्स दिलाते हैं। कॉन्ट्रेक्टर्स को दबा कर कांग्रेस के लिये डोनेशन दिलवाते हैं। वे कॉन्ट्रेक्टर्स से कहते है कि कांट्रेक्ट तब तक नहीं मिल सकता जब तक डोनेशन नहीं दोगे। वे ही इंजीनियर्स तरक्की पाते हैं जो मिनिस्टर्स या कांग्रेस पार्टी को डोनेशन दिलवाते हैं। अभी कांग्रेस अधिवेशन के समय भी उनसे काफी डोनेशन्स लिये गये।

झालावाड़-कोटा डिविजन में एक कम्पनी जिसका नाम शायद 'राज' कम्पनी है। उसके अंदर बताया जाता है माननीय मंत्रीजी, पी० डब्ल्यू० डी० के हैं उनके आस-पास के लोगों के अधिक शेयर्स हैं उनके मर्जीदानों के शेयर्स हैं। इसी कम्पनी को करीब-करीब ७५ पर्सेन्ट ठेके दिये जाते हैं। इस डिविजन का हैडक्वार्टर पहले बारां में था उसको झालावाड़ शिफ्ट कर दिया गया तो झालावाड़ शिफ्ट करने का क्या कारण है। ऐसे कई उदाहरण मिल सकते हैं पी. डब्ल्यू.-डी. के बारे में, मैं एक और निवेदन करूंगा...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैं समझदारी मे आपसे पूछता हूं पहले तो आपने कहा 'मर्जीदान' कोई मर्जीदान नहीं है, न आप न हम। सब स्वतंत्र हैं। दूसरा आपने कहा 'राज' कंपनी है उसको ठेके देते हैं। यदि उस कंपनी का मिनिमम टेन्डर आता है तो उसको ठेका देने से कौन मना करेगा? आप इन्स्टान्सेज ऐसी दीजिये जो हमारी समझ में आवे और टू दी पॉइन्ट होनी चाहियें।

श्री मान्धातासिंह: बाहर से जो रिपोर्ट आई है वह यह है कि इस कंपनी को ज्यादा फेवर किया जाता है और ज्यादा ठेके इसी को दिये जाते हैं।....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: ठेके देने के लिये रूल्स हैं रूल्स में आता है तो ठेके देते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): आप चाहते क्या हैं?

Page No. 64

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके पास कोई मिसाल हो तो पोइन्ट आउट करिये।

श्री मानधातासिंह : माननीय सदस्य यदि चाहेंगे तो डिटेल्स लाकर स्पष्ट कह दूंगा कि किस-किस के शेयर्स हैं। इस समय पूरे डिटेल्स मालूम नहीं हैं, जितने डिटेल्स मालूम थे उतने मैंने आपके सामने रखे। लेकिन कहा यह जाता है कि मंत्रीजी के नजदीक के आदमी हैं उनके शेयर्स हैं इस कारण इस कंपनी को फेवर किया जाता है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि विरोधी पक्ष के एम. एल. एज़. जिस क्षेत्र से आये हैं उन क्षेत्रों की उपेक्षा की जाती है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र महुवा है; महुवा से टोडा भीम जाने वाली सड़क बेकार पड़ी है। मंत्रीजी भी वहां पर गये थे, उन्होंने भी तसलीम किया कि उस सड़क की मरम्मत होनी चाहिये लेकिन मरम्मत इसलिये नहीं हो रही है कि वहां का एम. एल. ए. विरोधी पक्ष का है। इसी तरह से आसपुर से डूंगरपुर जाने वाली सड़क की हालत खराब है। चित्तौड़गढ़ से बूंदी तक जो सड़क बनाई गई है उस पर डामर नहीं हुआ है और जो चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़ जो सड़क जाती है उसे वाया मंदसौर, मध्यप्रदेश से हो कर जाना पड़ता है, डाइरेक्ट कोई सड़क नहीं बनाई गई है। इसी तरह के कुछ उदाहरण और दे सकता हूं जहां विरोधी पक्ष के सदस्यों के क्षेत्रों की उपेक्षा की जाती है। कंडीशन आॅफ रोड्स भी चिन्ताजनक है। पहले जो सड़कें बनती थी वे बरसों तक चलती थीं लेकिन आज जो सड़कें बनाई जाती हैं वे साल भर बाद ही बेकार हो जाती हैं और मरम्मत चलती रहती है। खाली सड़क ही नहीं डेम्स वगैरा की भी यही हालत है। साल भर पहले हम हनुमानगढ़ उप-चुनाव में गये थे, वहां पर जो तिलवाड़ा साइफन बना हुआ है वह थोड़े समय में ही क्रेक हो गया। जो निर्माण किया जाता है उसमें ऐसा मेटीरियल लगाया जाता है कि जिसके कारण जल्दी ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि आपको कॉन्ट्रेक्टर्स की तरफ देखना पड़ता है उनसे डोनेशन्स लेते हैं। यदि आप डोनेशन्स लेना बंद करदें तो नुकसान नहीं भुगतना पड़े और निर्माण कार्य ठीक तरह से हो।

बोर्डर रोड्स के बारे में मुझे यह अर्ज करना है कि बोर्डर रोड्स एसेन्शियल चीज है; बोर्डर स्टेट होने के कारण बोर्डर रोड्स की हालत बहुत अच्छी होनी चाहिये, लेकिन कुछ महीनों पहले हमने बोर्डर का दौरा किया था; हमने जो वहां की सड़कों की हालत देखी वह बहुत ही बदतर है। बाड़मेर-चोहटन के बीच तो मोटर निकालना भी मुश्किल है जबकि बोर्डर रोड्स बहुत अच्छी हालत में होनी चाहियें लेकिन इस तरफ तवज्जोह नहीं दी जाती है हांला कि यह भी सुना जाता है कि स्पेशल इंजीनियर्स इस काम के लिये मुकर्रर किये हैं।

एक अर्ज और करना चाहता हूँ। अभी इंजीनियर्स का कुछ ऐसा रवैया है कि उनके विभाग का सेक्रेटरी आई. ए. एस. नहीं होना चाहिये, चीफ इंजीनियर ही एक्स-आॅफिशियो-सेक्रेटरी टू गवर्नमेन्ट होना चाहिये। इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि टेक्निकल पर्सनल्स चीफ इंजीनियर के नीचे हैं और एग्ज़ीक्युटिव पर्सनल्स सेक्रेटरी के नीचे हैं। यह आम चीज है। हर स्टेट में सेक्रेटरी टू गवर्नमेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के आदमी होते हैं और टेक्निकल

(श्री मानधातासिह)
सर्विस के चीफ इंजीनियर के नीचे होते हैं, यह उचित नहीं होगा कि सेक्रेटरी टू गवर्नमेन्ट चीफ इंजीनियर को बनाया जाय। आई. ए. एस. ही होना चाहिये। मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं, इन सबके ऊपर मैं कुछ सुझाव के रूप से संक्षेप में कहना चाहता हूँ सरकार को फाइनेन्स मिनिस्टर साहब!

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : हैं नहीं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या मतलब है!

मैं अर्ज यह कर रहा था कि मैं कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूँ संक्षेप में सरकार को···

श्रीमती सुमित्रा (झुन्झुनू) : फाइनेन्स मिनिस्टर हैं नहीं।

श्री बरकतुल्ला खां : फाइनेन्स को बुलाने गये हैं!

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह जो बगैर कहे कर दें वह देवता लोग होते हैं और जो कहने से मान सकता है वह मनुष्य श्रेणी में आता है और जो कहने से भी न माने, अध्यक्ष महोदय, कह दें फिर भी जो नहीं माने उसको क्या कहा जाय—यह सदन सोचे।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सुझाव संक्षेप में पेश करना चाहता हूँ। रीएम्बर्समेन्ट के बारे में, जिसकी यहां चर्चा आई है, एक अजीब तरीके की बात हो रही है। सर्विस क्लास को मेडिकल सुविधा मिले, उसे चिकित्सा-सुविधा मिले—इसमें कोई दो राय नहीं हैं लेकिन इस सिस्टम को इस किस्म से, अध्यक्ष महोदय, अख्तियार करते हैं जिसकी वजह से चिकित्सा-सुविधा मिलने के बजाय दूसरी बातें होने लगती हैं। एक यह मालूम नहीं होता है, सारे डिपार्टमेंट्स को मिला कर यह पता नहीं चलता है कि रीएम्बर्समेंट के अन्दर सरकार को कितना रुपया देना पड़ता है क्योंकि यह एक जगह इकट्ठा नहीं होता है इसलिए यह पता चलना मुश्किल है कि हमने अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिये जो सुविधा दी है उसके लिये आया हम क्या खर्च करते हैं। यह एक जगह कन्सोलिडेटेड रूप में नहीं आता है। मेरा यह सुझाव है कि अच्छी मेडिकल सर्विस मिलने के लिये सैन्टर ने जो दूसरी जगह पर मेडिकल सर्विस का तरीका अख्तियार कर रखा है वैसे ही कन्ट्रीब्यूशन के जरिये नॉमिनल पैसा काट कर एल. आई. सी. के जरिये कर्मचारियों को सब अस्पतालों में और ज्यादा अस्पतालों में चिकित्सा-सुविधा मिले और वह इजीली अवेलेबल सुविधा हो। इससे हम काफी दिक्कतों से बच जायेंगे, जैसे इस दिक्कत से बच जायेंगे कि आज दवा खरीदने के लिये नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इससे आज यह स्थिति चल रही है कि जो हमने तीन स्टोर खोल रखे हैं—उसमें क्या चीज है और क्या नहीं है—लेकिन जो दवाइयां बिकती हैं उनके अन्दर सब लोग मिले रहते हैं, उसमें डॉक्टर भी मिले रहते हैं और इन स्टोर्स में जो दवा नहीं होती है उसी का नाम डॉक्टर लोग लिखना शुरू करते हैं। आज ऐसा रूप बन रहा है इसके अन्दर कि जिस तरह हम कोशिश करते हैं किसी चीज को रोकने की ताकि इसके

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

अन्दर बेईमानी नहीं हो और इसके लिए सरकार जितना प्रयत्न करती है, उसके बावजूद भी कोई रास्ता दूसरे लोग निकाल लेते हैं। मैं कहता हूं कि आज दवाइयों के प्रेस्क्रिप्शन और दूसरी चीजों की जांच की जाय तो मालूम होगा कि नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए ही लोगों को स्टोर्स में जाना पड़ता है। उन्हें स्टोर्स में इसी बात के लिए जाना पड़ता है कि वह वहां से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाये और नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाकर जहां से उसे दवाइयां मिलती हैं और इस तरह एक हिस्सेदारी स्टोर्स वालों को मिल जाती है। इसके सिवाय कोई तरक्की इस मामले में की हो ऐसा मेरा विश्वास नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर सरकार को मौलिक रूप से विचार करना चाहिए। हमें, सदन को यह मालूम होना चाहिए कि रीएम्बर्समेंट के मामले में हम कितने लाख रुपया सारे कर्मचारियों पर खर्च करते हैं। आज डिफरेन्ट डिपार्टमेन्ट्स, में सब डिपार्टमेन्ट्स में अलग-अलग रीएम्बर्समेंट करने का पैसा है-- वह एक जगह आता नहीं है। मैं कहूंगा कि इसके ऊपर सोचना चाहिए।

दूसरी बात है नगर विकास की मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर बड़े शहरों का सत्यानाश हो रहा है जब से आपके नगर विकास मण्डल पैदा हुए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सेक्शन ५ के लिए, क्योंकि मैं भी इसकी सिलेक्ट कमेटी में था और इसको पास करवाने वालों को मैं कसम तो नहीं दिलवाता लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि सदन के अन्दर क्या विश्वास दिया था उन्होंने ? यह विश्वास दिया था, अध्यक्ष महोदय, पहले सेक्शन ५ के अन्तर्गत मास्टर प्लान बनेगा उसके बाद में काम शुरू होगा। आज आप जो कानपुर का विकास हुआ है, इन्दौर का विकास हुआ है, बम्बई का विकास हुआ है-- उसको उठा कर देख लीजिये; कोई भी यू. आई टी. कभी बनी है, तो खास बात यह हुई है कि पहले काम ऑफिस का शुरू हुआ है और पहले शहर का ऐयर मेप लेकर, शहर के लेवल्स लेकर और बीस वर्ष में शहर का क्या हाल होगा-- इस बात की कल्पना करके एक व्यवस्थित रूप में शहर को बसाने के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के अनुसार मास्टर प्लान बनता है। यह मास्टर प्लान बनाने की बात को हमको समझाया गया और फिर सदन से वह पास करवाया गया। लेकिन आज डिस्टोर्ट करके उसके जरिये एक ड्यूअल गवर्नमेन्ट शहरों के अन्दर कायम कर रखी है। इस कारण वहां न तो म्युनिसिपल कमेटी चल पाती है और न यू. आई. टी. चल पाता है और इससे शहर के सारे लोग परेशान हैं। आज कोई मकान बनवाना चाहता है तो उसको छः जगह के चक्कर काटने पड़ते हैं। और फिर ७५ रुपये लेकर यू. आई. टी. नक्शा पास कर देता है जब कि कोई फीस लेने का कोई कानून नहीं है। अजमेर के अन्दर आज एक नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है कि जो भी मकान बनवायेगा वह पहले नक्शा म्युनिसिपल कमेटी में दे और म्युनिसिपल कमेटी से एप्रूव करवाये और उसके बाद में यू. आई. टी. से। इस कारण हर आदमी परेशान हो कर घूम रहा है, पहले वह म्युनिसिपल कमेटी से पास कराये। जब मुश्किल से कुछ- कराके वहां से निकले तो उससे यू. आई. टी. में ७५ रुपये लिये जाते हैं इस बात के कि जांच

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कर के एप्रूवल देंगे। इस कारण जो आदमी मकान बनाने वाले हैं वे परेशान हो रहे हैं और अजमेर की प्रगति रुक गई है। आज मकान बनाने के अन्दर इस तरह से खींचातानी होती है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मैं कहूंगा कि इसके ऊपर पूरी बहस के साथ सदन को सोचना चाहिए कि क्या सेक्शन ५ के अनुसार कोई मास्टर प्लान बनाये बगैर किसी सिटी का इम्प्रूवमेन्ट हो सकता है? क्या यू. आई. टी. आज म्युनिसिपल कमेटी के अधिकारों का हनन करने के लिए है, म्युनिसिपल कमेटी को खत्म करने के लिए हैं, और जो चुने हुए लोग हैं उनके अधिकारों पर कुठाराघात करने के लिए है? आज आखिर चल क्या रहा है, अजमेर में एक नोटिफिकेशन निकाल दिया, लेकिन आप उसे पैसे नहीं देते हैं, यह नहीं करते हैं कि दो करोड़ रुपये दे दिये शहर को सुन्दर और विकसित करने के लिए दें किन्तु एक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं कि यू. आई. टी. ने यह सड़क इम्प्रूवमेन्ट करने के लिए ले ली है और सड़क के दोनों ओर जो सौ-सौ गज जमीन हैं वह उसके अन्दर आ गई है। अब उसमें जो थड़ियां हैं, जो खोमचे वाले लोग हैं उनसे पैसा वसूल करके वहां यू. आई. टी. में तनख्वाह बांटते हैं। और अजमेर शहर के अन्दर म्युनिसिपल कमेटी ने जो स्कूलों के लिए जमीन रखी थी उसको यू. आई. टी. बेच-बेच कर खा रही है, उसको बेच कर लोगों को तनख्वाह बांटती है और उन लोगों को तनख्वाह देती है। जिनको आपने नोमीनेट कर रखा है। यू. आई. टी. बनाते वक्त यह बात कही गई थी कि इलेक्टेड आदमी को शहर का इम्प्रूवमेंट करते वक्त लिहाज आ सकता है इसलिए उसके अन्दर टेक्निकल आदमियों के अलावा दूसरा नहीं हो सकता है, इसलिए उसके अन्दर टेक्निकल आदमी रखने होंगे, इन्जिनीयर्स होंगे और उसका चेयरमेन कलेक्टर होगा। यह आपने साफ कहा है कि वह खुद विचार करके, आम जनता की जरूरत का अनुभव करके शहर को इम्प्रूव करेंगे। लेकिन अजमेर में क्या इम्प्रूवमेन्ट हुवा है सिवाय इस बात के कि सर्किट हाउस, जिसके अन्दर आप लोग ठहरते हैं, के चारों तरफ सड़कें चौड़ी हो गई हैं और अजमेर में कोई रुपया नहीं लगाया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप यह फिगर्स बतायें कि कितनी लोगों को तनख्वाह बांटी गई है और कितनी जमीन बेची गई है उनसे कितना रुपया आया है, और कितना आपने दिया है? आपने उनको एक पैसा भी नहीं दिया और नोमीनेशन की पॉवर को अख्तियार करके आपने अजमेर में दरिन्दों को छोड़ दिया है, जो जनता की जमीनों को बेच-बेच कर खा रहे हैं और तनख्वाह बांट रहे हैं इम्प्रूवमेन्ट के नाम पर।

इम्प्रूवमेन्ट का नारा तो है, लेकिन मैं सिद्धान्त रूप से आपको कहता हूं कि मौलिक रूप से इस पर विचार करें कि जिस शहर का मास्टर प्लान नहीं है उसका इम्प्रूवमेन्ट नहीं हो सकता है। ऐसे शहर में कोई इम्प्रूवमेन्ट लाने में हमेशा नाकामयाब रहे हैं जिस शहर में मास्टर प्लान नहीं है—इसलिये ऐसे शहर में यू. आई. टी. के ऑफिस को बन्द कर देना चाहिये। इस सदन के द्वारा इसलिये आपको ताकत नहीं दी गई थी कि आप शहर के लोगों को परेशान करें और म्युनिसीपल कमेटी, जो एक इलेक्टेड बॉडी है, के अधिकारों का हनन करके एक नोटिफिकेशन जारी करें। आपको क्या

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

अधिकार है ? जब आपका मास्टर प्लान बन जाये उसके बाद शहर का एक टुकड़ा, एक हिस्सा आप उसे दे दीजिये कि वह उसका इम्प्रूवमेन्ट करे, उसके बाद में उसका बिल दे दिया जाय म्युनिसिपल कमेटी को, और म्युनिसिपल कमेटी उस बिल को पे कर दे। उसके बाद में दूसरी चीज लें। लेकिन आज सारे शहर पर कब्जा कर रखा है। आज उसमें ऐसे लोग हैं जिनको इम्प्रूवमेन्ट का बिल्कुल ज्ञान नहीं है और ऐसे व्यक्ति को आपने चेयरमेन बना कर रख दिया है। उसके बाद में अजमेर में जितनी जमीन है, और जिस जमीन पर लोग खेती करने वाले हैं उन खेतों के पास में डण्डा गाड़ देते हैं, यह जमीन लेने वाली है इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट। बिना नोटिफिकेशन के कोई जमीन नहीं ले सकते लेकिन उसके लिये कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई कलेक्टर से नोटिफिकेशन नहीं निकलवाया है, केवल वहां डण्डा गाड़ा हुआ है कि यह जमीन यू. आई. टी. लेने वाला है। अरे लेने वाले हो तो कुछ काम करो। हमने कितनी बार कहा कि बाबा! कोई मास्टर प्लान अजमेर का दो। वह ३ लाख की आबादी का शहर है उसकी प्रगति के लिये आज कितना खर्च कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप जयपुर के लिये कितना रुपया बांटते हैं इसमें। आज सारे राजस्थान के लिये जो रुपया आता है २ करोड़ के नाम में आपको जो रुपया इसके लिये मिलता है उस सारे रुपयों का आधे से ज्यादा आप जयपुर में खर्च करते हैं। आधे से ज्यादा रुपया जयपुर में लगाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि दूसरे स्थानों को किसी चीज की जरूरत नहीं है। मगर और शहरों में राजस्थान में इतना पैसा खर्च नहीं होता। मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने उनमें रोक-टोक करके वहां की उन्नति में बाधा डालने वाली संस्थाएं यू० आई०.टी० में बाधा डालने वाली डाल रखी है। वहां पर वे मकान नहीं बना सकते और वहां के लोग तकलीफ पा रहे हैं।

इसके साथ में दूसरी बात आपको निर्माण की कहना चाहता हूं। इसके लिये बहुतसी बातें कही गईं मगर इस बात को राजस्थान में इन्कार नहीं किया जा सकता कि पी. डब्ल्यू. डी. खाती है। कितना खाती है और कौन-कौन खाते हैं उसका अन्दाजा नहीं लगा सकते। मगर फिर भी ६ आना या ८ आना काम तो होता ही है और इसलिये सड़कें भी बनी हैं और निर्माण के कार्य भी हुए हैं। इसको जायज भी आंका जाता है। मगर मैं यह कहूंगा, कि यहां क्या सारे देश में इस बात की चर्चा है और उसको रोकने की कोशिश होती है तो उसको रोका नहीं जाता। मैं इस बात को साफ करूँ कि अजमेर का एक केस है जिस पर जोर दिया गया। तो वह डी. ई. के पास भेज दिया गया। आपका यह जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है यह ऐसा है जिसमें कोई भी कागज अगर पड़ जावे तो उसके बाद मिनिस्टर और सुखाड़िया साहब को कोई नहीं पूछ सकता। केसेज चले, सबूत हुए, ६७ हजार के लिए ए. जी. ने कहा कि ६७ हजार का घपला है तो उसको उठा कर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को दे दिया। जी. ए. डी. को दे दिया उसने क्या किया ? उसने उस केस को उठा कर डी. ई. को दे दिया। आज ६७ हजार का मामला है। आज चार्ज शीट पेश नहीं हुई है। अभी डी. ई. के पास भेज दिया है। डी. ई. कहते हैं डिपार्ट-

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

मेंटल इन्क्वायरी हो। ये सारे उसके नीचे हैं उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर कोई पूछता है तो कहते हैं कि यह डी. ई. के पास है। वह क्वासी-ज्युडिशियल बॉडी है। जितने केसेज वहां पर जाते हैं जैसे खामोशी में हों। खामोशी को क्या कहते हैं, खामोशी में वे घुस जाते हैं, बला-ए-खामोशी में घुस जाते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी अच्छे रैंक के आदमी को किसी प्रकार से सजा नहीं मिलनी चाहिये। अगर उनमें से किसी के खिलाफ कोई केस हो तो वह चलता रहे। डी. ई. में वह पड़ा रहे। उसको सस्पेन्शन का एलाउन्स देते रहें, डिपार्टमेंट के अफसर हैं इस तरह से एक पूरी प्रिवीकौंसिल घर में कायम कर रखी है और किसी को सजा नहीं देते। जब राजा साहब के पीछे पड़ते हैं और पूछते हैं तो वे कहते हैं कि मैंने उस केस को जी. ए. डी. में भेज दिया। यह आपका जी. ए. डी. विभाग क्या है समझ में नहीं आता ? क्या कर रहा है ? यही आपका जी. ए. डी. डिपार्टमेन्ट है जो हमें खा रहा है। राजा साहब कहते हैं कि मैं क्या करूं, मैंने तो जी. ए. डी. में भेज दिया, आप जाने और जी. ए. डी. वाले जाने। जब जी. ए. डी. वालों से कहते हैं तो वे कहते हैं कि यह जुडिशियल मामला है इसको तीन-चार साल में निकाल देंगे। मैंने कई ऐसे केसेज देखे हैं जिनको आपने रंगे हाथ पकड़े हैं मगर उनके खिफाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई और वे रिटायर हो गये। जब आपसे पूछा तो आपने कहा कि अब कुछ नहीं कर सकते वह तो रिटायर हो गया। जिनके खिलाफ आप कोई कार्यवाही नहीं करना चाहें उसके खिलाफ तो आप तीन-चार साल यों ही बगैर कार्यवाही के निकाल देते हैं और जब वह रिटायर हो जाता है तो कह देते हैं कि अब तो यह रिटायर हो गया हम कुछ नहीं कर सकते और जिसके खिलाफ आपको एक्शन लेना होता है आप जल्दी एक्शन ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं एक ईमानदार व्यक्ति मूलसिंहजी है या कोन हैं जो कल रिटायर होंगे वे ईमानदार हैं। उनके रिटायरमेन्ट में एक दिन बाकी रहता है। आप यह चाहते हैं कि कहीं वे एक दिन में रिटायर नहीं हो जावे, उनके रिटायर होने के एक दिन पहले उनको चार्जशीट पकड़ा दी। आप बतायें कि जिन पर आपकी मर्जी हो उसको आप कुछ नहीं कहते और उल्टा यह कहते हैं कि जो चाहो करो जितना करना चाहो करो, राज अपना है, तीन-तीन वर्ष आप बिता देते हैं और बाद में कह देते हैं कि अब तो वह रिटायर हो गया है कुछ नहीं हो सकता और जिस पर आपकी नाराजगी हो जावे उसको एक दिन रिटायरमेंट में कम हो उसी दिन नोटिस पकड़ा देते हैं। इसी तरह से पी० डब्ल्यू० डी० से जी० ए० डी० और जी० ए० डी० से डी० ई० के पास कागज जाते हैं और उसके बाद चार्जशीट बनने के लिये चार्जशीट बनाने वाले बाबू के पास पड़ा हो, इस तरह का क्रम चलता रहेगा और आगे भी चलता रहेगा।

इस सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहता हूं। यहां वे सदन के माननीय सदस्य अभी नहीं हैं, मैं सीधा प्रश्न नहीं कर सकता, आपके मार्फत निवेदन करूंगा, क्योंकि इस सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है और सदन की प्रतिष्ठा सब की प्रतिष्ठा है। उन्होंने कहा और एक सर्वमान्य सदस्य पर चार्ज लगाया कि दो हजार रुपये खा गये। उस पर

Page No. 70

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
मिनिस्टर ने कहा कि यह गलत बात है और मैं कभी भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। उस पर उन्होंने कहा कि मैं साबित करूंगा कि दो हजार आते हैं। उन्होंने कहा कि मैं क्रिमिनल प्रोसिडिंग करके नीचे दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं प्रिविलेज मोशन कमेटी में लाऊंगा। मिनिस्टर बड़े ईमानदार थे, उनको प्रिविलेज मोशन लाना था। मगर यह प्रिविलेज मोशन मिनिस्टर ने नहीं रक्खा।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय सदस्य का रेफरेंस है वह मेरी तरफ है और मैं इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि दो हजार रुपयों का चार्ज लगाया गया था और आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह चार्ज लगाया था कि ट्रांसफरों में भ्रष्टाचार है। उस पर मैंने प्रोटेस्ट किया और उस पर जनसंघ के नेता हैं उन्होंने कहा उसके जवाब में मैंने बताया। पार्टी के चीफ व्हिप ने इस सम्बन्ध में प्रिविलेज मोशन मूव किया। उस वक्त मैंने उनके कथन पर एतराज किया और मैं अध्यक्ष महोदय को संबोधित करते हुवे, आपसे भी मिला और डाक्टर को शहादत में पेश किया था और यह कहा था कि इस मोशन को ले लिया जावे। अब इस बात को लेकर कहते हैं तो मैं यह कहूंगा कि बिलो रेंक बात नहीं आनी चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और मैं यह पूछना चाहता हूं, मैं इसको प्रीच नहीं करना चाहता। मैंने तो उस समय आपको सपोर्ट किया था और मैंने जब आपने कहा उस समय तालियां बजाई थीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि दूसरों ने क्यों मूव किया ? आपने उसको मूव क्यों नहीं किया ? बार २ उसको मूव नहीं किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, यही मैं जानना चाहता हूं।

श्री बरकतुल्लाखां : पार्टी के चीफ व्हिप हैं वे गवर्नमेंट के चीफ व्हिप हैं उनकी तरफ से मूव हुआ। आप कहते हैं कि मैंने उसको क्यों नहीं रखा, मैं यह कहना चाहता हूं कि पार्टी के चीफ व्हिप हैं वे मोशन को रखते हैं और उन्होंने रखा है। आप यह कहना चाहते हैं कि मैंने उसको क्यों नहीं रखा, मुझे रखना चाहिये था, यह सही नहीं है। पार्टी व्हिप ने रख दिया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह आर्ग्यूमेन्ट दिया मगर मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने क्यों नहीं रखा....

श्री बरकतुल्ला खां : मैं यह पूछना चाहता हूं कि चीफ व्हिप रखे या मिनिस्टर खुद रखे उसमें क्या अन्तर पड़ता है। चीफ व्हिप ने रखा और वह आया, वह गवर्नमेन्ट के चीफ व्हिप हैं और मैं गवर्नमेन्ट का सदस्य हूं और पार्टी का मेम्बर हूं। इसमें आपको कोई शंका हो उसको दूर करनी चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं यह निवेदन करूंगा कि दोनों ही ईमानदारी का दावा करते हैं। समझ में नहीं आता की कौन ईमानदार है; दोनों ईमानदार और सही हो नहीं सकते।

श्री बरकतुल्लाखां : उन दिनों जब यह बात आई तो मैंने अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन दिया और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपके सामने हाजिर हुआ था। इसमें

(श्री बरकतुल्ला खां)
सदन को डोज करने का प्रश्न नहीं आता है। बिलो दी बेल्ट हिट करते हैं उनको जवाब देना चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपको बिलो दी बेल्ट हिट करना नहीं चाहता। मगर मैं चार्जेज् लगाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरी इच्छा नहीं थी कि इस बारे में कुछ कहता लेकिन सदन की प्रतिष्ठा के लिये यह प्रश्न छेड़ा था। आपकी क्या बात हुई यह सदन को मालूम नहीं कि आपसे क्या बात हुई ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने केवल यह कहा कि मंत्री प्रस्ताव नहीं लाये जिस पर आपने आपत्ति की और उस पर मंत्री महोदय ने कहा कि इस प्रकार का प्रस्ताव चीफ व्हिप की तरफ से आया इस वजह से प्रस्ताव नहीं किया। इससे आपको संतोष हो जाना चाहिये। उन्होंने सारी कार्यवाही कर ली।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : देखिये, मेरे को काहे का संतोष हो जाय। चीफ व्हिप ने नहीं कहा, चीफ व्हिप लाया और मंजूर नहीं हुआ तो दुबारा क्यों नहीं लाये ? लोजिकली तो कोई बात बताओ। यह तलवार आखिर कब तक लटकती रहेगी ? हम भी तो रोज चलते हैं। मैं इस बात का जस्टिफिकेशन आज भी नहीं समझता, चाहे तो माननीय सदस्य श्री मानसिंहजी महार, चाहे आप, कोई भी हो इस तरह के चार्जेज् नहीं लगाने चाहिये। चार्जेज् लग जायें तो सदन के सामने प्रिविलेज मोशन आना चाहिये। इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि मिनिस्टर महोदय प्रिविलेज मोशन लाने को तैयार हैं और माननीय सदस्य उसे फेस करने को तैयार है तो फिर प्रिविलेज मोशन आना चाहिये, आखिर प्रिविलेज कमेटी बना काहे के लिये रखी है, गलत या सही कुछ न कुछ साबित तो होना चाहिये। मैंने यह सदन की प्रतिष्ठा के लिये रखा है वरना यह तो रोज चलता रहता है।

श्री अध्यक्ष : यही तो मुश्किल है कि यह रोज चलता है. कितने मामले जायेंगे प्रिविलेज कमेटी के पास।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल; जयपुर) लोगों को पता तो चले कि जो माननीय सदस्य सदन में बातें करते हैं, उनके पीछे तथ्य क्या हैं ? यहां आरोप लगाया और उसकी छानबीन होकर किसी को दण्ड मिले तो एडमिनिस्ट्रेशन पर इफेक्ट पड़ने वाला है।

श्री अध्यक्ष : अब आप कोई दूसरी बात कहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय

(२.११ म. प.)
(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री भैरोंसिंह : अलग-अलग हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : लोक सभा है, मैं इस विषय में जोर दे रहा था कि लोक सभा में इस प्रकार का मसला आया था, कबीर और दूसरे मेम्बर के बीच में तो तुरन्त स्पीकर साहब ने उस मामले को हाथ में ले लिया और स्पीकर साहब ने छानबीन कर के फैसला दे दिया। श्रीमानजी ने समझ रखा है उसके बजाय मैं उनकी सेवा करना चाहता था। पर जो बातें कहीं गई उनसे ऐसा लगता है कि कहीं पानी मरता है।

श्री बरकतुल्ला खां : जहां पानी मरे वहां जरुर पानी जाना चाहिये, पर जहां पानी नहीं जाये वहां लांछन नहीं लगाना चाहिये। आप यह कहते हैं कि आप मुझे बचाना चाहते हैं, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिये......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपको सजा तभी मिलेगी। प्रिविलेज मोशन को चला कर उसमें बच जायेंगे तभी आपकी पोजीशन क्लीयर होगी। इस तरह से काम नहीं चलेगा, आपने सदन को वचन दिया था तो प्रिविलेज मोशन चलाना चाहिये। भैरोंसिहजी चैलेंज देते हैं, उन्होंने भी कहा था कि आपने रुपया खाया है।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय सदस्य भैरोंसिहजी यहां बैठे हुए हैं, मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने यह बात कही थी ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप खड़े होकर बताइये कि आपने क्या कहा था।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जोश में ज्यादा हैं और ईमानदार आदमी जोश में होता है, यह बात सही है। तो इनमें जो जोश आ रहा है वह सही है। प्रश्न यह था कि श्री मानसिहजी महार ने डॉक्टरों के प्रश्न को लेकर मन्त्री महोदय की इन्टीग्रिटी को चैलेंज किया था और उन्होंने चैलेंज को स्वीकार करते हुए कहा था कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन मूव करेंगे। मैंने भी कहा था कि प्रिविलेज का मोशन लाकर अपनी पोजीशन को क्लीयर करें। वह नहीं होता तब तक यह बात सही है, मैं यह नहीं कहता कि आपकी इन्टीग्रिटी डाउटफुल है या नहीं, पर आप पर एक अभियोग लगा हुआ, इस असेम्बली में मौजूद है, जब तक आप अपनी पोजीशन को साफ नहीं करते तब तक यह कह कर चलना कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का इल्जाम नहीं है, हम मान लेंगे, पर पार्लियामेंटरी पोजीशन के लिहाज से आपकी पोजीशन साफ है, यह आप नहीं कह सकते। जिन माननीय सदस्य ने आप पर उस दिन आरोप लगाया था वह आज भी आप पर प्रोसीडिंग्स में चल रहा है और इस हाउस की उस प्रोसीडिंग्स को आपकी पीढ़ी के बच्चे पढ़ेंगे तो वे यह देखेंगे कि मेरे पिताजी पर इस प्रकार का आरोप लगाया गया था। तीन वर्ष की मयाद आपके हाथ में है कि अध्यक्ष महोदय से कह कर, पार्टी के चीफ व्हिप से कह कर उस पोजीशन को विन्डिकेट करा दें। आप अगर यह साबित कर देते हैं कि इल्जाम गलत है तो इल्जाम लगाने वाले को नसीहत मिलेगी कि इस प्रकार के एली-गेशन नहीं लगायेंगे।

श्री बरकतुल्ला खां : नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि श्री भैरोंसिहजी जो जनसंघ के नेता हैं उन्होंने भी यह चार्ज लगाया था कि मैंने पैसे ले कर डॉक्टरों का ट्रान्सफर किया। मैं उनसे पूछना चाहता था कि उन्होंने ऐसी बात कही या नहीं, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है कि जनसंघ के नेता ने ऐसी बात कही हो। मैंने यह बात सदन में नहीं सुनी। माननीय सदस्य नसीराबाद से आने वाले उनकी तरफ से कहना चाहते थे, इसलिये मैंने उनसे यह जानकारी चाही और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी बात नहीं कही। मैंने प्रिविलेज मोशन मूव किया,

(श्री बरकतुल्ला खां)
वह स्पीकर साहब के सामने आया। अगर मैं बचना चाहता तो प्रिविलेज मोशन नहीं लाता, पर मैं प्रिविलेज मोशन ला चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह: माननीय सदस्य ने आपकी पोजीशन को विंडीकेट करने की कोशिश की है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मेरे लफ्जों को पकड़ें तो मैं नहीं कह सकता मुझे लफ्ज याद हैं, इस सम्बन्ध में मानसिंहजी ने कहा था तो एक इन्टरप्शन में जनसंघ के नेता ने कहा था, मुझे याद है, मैं बताऊंगा। और अगर मेरी गलती होगी तो जोधपुरी सम्माननीय मिनिस्टर साहब को कहूंगा मेरी गलती होगी, तो मैं अपने शब्द वापिस लेने में कभी नहीं हिचकिचाऊंगा। मुझे याद है, माननीय सदस्य मानसिंहजी महार गवाह थे, कुछ शब्द उन्होंने कहे थे तो आपने भी स्वाहा कहा ऐसी मुझे याद आती है।

श्री भैरोंसिंह: मुझे मौका मिलेगा तो मैं सबको स्वाहा करूंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आपसे आज तक तो कोई स्वाहा हुआ नहीं, पर आपकी स्वाहा कहने की आदत है।

श्री भैरोंसिंह: कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं, उसे तो खुदा का वाक्य समझ कर सरकार को आचरण करना चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: यह उस पर छोड़िये। आपको हमको जो चीजें देखने को मिलती नहीं, उन्हें देखनी पड़ती हैं। आप रुपये का एक पहलू देखते हैं, ये दूसरे पहलू को देखते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जोर दिया था। कि इसका फैसला होना चाहिये और उस फैसले को जिस अच्छे ढंग से सम्माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंहजी ने बताया उससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि यहां पर कई चीजें उठती हैं उनका कोई फैसला करने की कोई व्यवस्था होनी चाहिये। हम भाई-भाई की तरह यहां बैठे हैं कोई चार्जेज लगाये जाते हैं तो उनके पीछे कोई मोटिव नहीं, अनुभवों की बातें हैं। मैं नहीं जानता कि मानसिंहजी को व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकती है। वे अपने कर्त्तव्य का पालन करते हैं। जैसी भी भगवान ने उनको बुद्धि दी है, वे उसके अनुसार अपने कर्त्तव्य का पालन करते हैं, हंसाते रहते हैं। मिनिस्टर भी कर्त्तव्य का पालन करते हैं पर यहां सदन में ताल ठोक कर भाग जाते हैं; न कुश्ती, न दंगल, न मजा।

तारीखों की इन्तजार किया करते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए उस चीज की याद मैंने दिलाई। इसके साथ ही मैं इसको सपोर्ट करता हूं और डिनाई नहीं किया है भैरोंसिंह ने। इस पर फिर कभी चर्चा करूंगा।

श्री मानसिंह महार (आमेर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन बातों की ओर संकेत किया उनमें तो जाऊंगा नहीं क्योंकि उनकी आदत है कि वे बे सिर पैर की बातें करते हैं। उस चीज को मैं छोड़ता हूं। मैं गत चार वर्षों से देखता हूं कि वह सिद्धांतों की बहुत दुहाइयां देते हैं, हालांकि खुद बिल्कुल सिद्धांतहीन व्यक्ति हैं कोई उनका सिद्धांत नहीं है, मगर दूसरों के सामने दुहाई जरूर देते हैं। इस विधान सभा में

(श्री मानसिंह महार)
कई बातें कही जाती हैं उन बातों पर कुछ मंत्री लोग एक्शन भी लेते हैं, मैं मानता हूं, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य जिस समय भाषण देते हैं तो चारों तरफ लोगों के कान आ जाते हैं कि कहीं सदन में हंगामा तो नहीं हो रहा है। आप भी, उपाध्यक्ष महोदय, जब चेम्बर में बिराजते होंगे तो जब माननीय सदस्य का भाषण होता होगा तो आप महसूस करते होंगे कि आज विधान सभा में कोई बहुत बड़ा हंगामा है। मैं इन चीजों की ओर नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल उस चीज को इगनोर करता हूं। जो कुछ फैक्ट्स होते हैं वह सदन के सामने रखता हूं, वह जिम्मेदारी के साथ रखता हूं। मैं उन फैक्ट्स को कहे बिना विधड़ा नहीं करता। अगर कोई गलत बात कह दी और कोई मित्र उसको साबित करेंगे तो मंत्रियों से माफी भी मांगूंगा, मैं कोई जिद्दी नहीं हूं। अगर कोई गलती करूंगा, मैं कोई दावे के साथ नहीं कहता कि मैं गलती नहीं करता, लेकिन अगर करूंगा और ट्रेजरी बैंचेज वाले कहेंगे तो क्षमा मांगूंगा। मैं अहंकार नहीं रखता लेकिन सही बात यह है कि इस प्रकार की दलीलें करने से कोई तत्व नहीं निकलता, भैरोंसिंह ने दो शब्द कह दिए, यह कह दिया, वह कह दिया।

अब मैं आता हूं अपने कटौती प्रस्तावों पर........

श्री उपाध्यक्ष : अभी तक आपने फरमाया वह कटौती प्रस्तावों पर नहीं था ?

श्री मानसिंह महार (आमेर) : वह तो इसका जिक्र हुआ था....

श्री भैरोंसिंह : वह रामायण की भूमिका थी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने जिम्मेदारी का भाषण दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आप कहें तो इसको एक्सपंज करदें।

श्री मानसिंह महार : जो कुछ श्री ज्वालाप्रसाद ने कहा उसको एक्सपंज करदें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हमारी दोनों की बात को एक्सपंज करदें।

श्री मानसिंह महार : उन्होंने जो भी अनर्गल बात कही है उसको एक्सपंज किया जाय।

तो मैं निवेदन करता हूं कि जो एक्सेस मांगें आई हैं सरकारी कर्मचारियों के भत्ते को लेकर कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले लिया उसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता था; लेकिन क्योंकि भाषण लम्बे चौड़े हो चुके हैं इसलिये मुझे कहना पड़ेगा कि यह जो महंगाई भत्ते का मामला है वह हर तीसरे चौथे महीने उठाने से कभी भी इसका हल नहीं निकलेगा। यह एक बीमारी है जो राजस्थान सरकार रूपी लकड़ी है उसमें दीमक की तरह लगी हुई है और राजस्थान सरकार रूपी लकड़ी को यह दीमक खाती जा रही है। अब यह लकड़ी इतनी जर्जर होती जा रही है कि अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो सरकार खत्म हो जायगी। सरकार पर यह दोष आयेगा कि इस सरकार ने राजस्थान में प्रजातंत्र को खत्म किया। अभी भी समय है। आज मुख्य मन्त्री सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। आज भी समय है कि जब वह

(श्री मानसिंह महार)

उनसे मिलें तो मुख्य मंत्री उनसे प्रेमपूर्वक बात करें और उनको कुछ न कुछ महंगाई भत्ते के रूप में दें। जब तक उनको पर्याप्त महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा तब तक उनमें असंतोष कायम रहेगा और यदि वह असंतोष कायम रहेगा तो इस सरकार की गतिविधियों में फर्क आएगा, इस सरकार की एफिशियेंसी में फर्क आएगा। सरकारी कर्मचारियों में असंतोष मतलब सरकारकी एफिशियेंसी खत्म। इसलिये मैं एक बात फिर मंत्रीमण्डल के सदस्यों से निवेदन करता हूं कि आप इस पर गंभीरता से सोचें और उनको महंगाई भत्ता दिलाएं। पिछली बार जब इस समस्या पर जिक्र आया तो मैंने अध्यक्ष महोदय से कहा था और आज उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि इस सरकार की आंखें और बुद्धि नहीं है। अगर इसकी आंखें खोलनी हैं या इसकी मोटी बुद्धि में कोई चीज लानी है तो आप और हमको कोई कार्यवाही करनी पड़ेगी। उस कार्यवाही में आप अग्रसर हो सकते हैं। वह किस तरह? आप और अध्यक्ष मिल कर अपने विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों का वेतन-स्तर, महंगाई भत्ता वगैरह, सब केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर करदें। विधान सभा तो अपनी है। विधान सभा के स्टाफ पर मुझे गौरव होता है यह कहते हुए कि इनके विरुद्ध कभी भी करप्शन या पक्षपात की बात नहीं आती। क्या विरोधी पक्ष क्या कांग्रेस पक्ष सभी कहते हैं कि समान रूप से विधान सभा के कर्मचारी काम करते हैं। अगर और सर्विसेज भी इसी प्रकार से सच्चाई से काम करने लगें तो कोई शिकायत का मौका नही मिले। जब इतना अच्छा स्टाफ है, आपके नीचे तो आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इन लोगों का वेतन-स्तर और महंगाई भत्ता इमिजियेटली सेंटर के स्टाफ के मुकाबले में कर देना चाहिए। जब हम यहां पर कर देंगे तो सरकार की आंख भी खुलेगी और वह अपने कर्मचारियों का वेतन-स्तर व महंगाई भत्ता बढ़ाएगी। मैं यह सही अर्ज करता हूं। वर्तमान वेतन-स्तर जो कर्मचारियों का है वह इस महंगाई में बहुत कम है, इस ओर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा।

मैं यही चाहूंगा कि मुख्य मंत्री को जो कुछ एलान करना है वह १४ तारीख से पहले करें। १४ तारीख को विधान सभा अधिवेशन खत्म हो रहा है और ऐसी महत्वपूर्ण घोषणा विधान सभा के समय में ही हो जानी चाहिए। अगर बाद में करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह विधान सभा के लिए अच्छा नहीं है।

अब मैं पटवारियों के बारे में भी निवेदन करूंगा। उनका वेतन-स्तर इतना नीचा है कि जिसकी कोई हद नहीं। सरकार क्या कहती है कि पटवारी इतने हैं, इतना एक्स्ट्रा खर्चा हम कहां से करें? मैं उनको सुझाव देता हूं कि खर्चे को कम करना सरकार के हाथ की बात है। आज गांवों में ग्राम सेवक, पटवारी और पंचायत सैक्रेटरी, तीन विभूतियां काम करती हैं। इन तीन विभूतियों को देखने से यह महसूस होता है कि यह शीयर वेस्ट आॅफ मनी, या क्रिमिनल वेस्ट कहना चाहिए। आज प्रत्येक पंचायत में आप एक पटवारी-कम-ग्राम सेवक-कम-पंचायत सेक्रेटरी रखें तो जो वर्तमान स्टाफ है उसका समावेश हो जायगा, आपको एडीशनल स्टाफ की जरूरत

(श्री मानसिंह महार)

नहीं होगी। एक प्रकार से एक संगठित इकाई हो जायगी और उसमें जो सेक्रेटरी, पटवारी होगा या ग्राम सेवक कहें, कुछ भी कहें, सरकार का जिस नाम से प्रेम हो, वह रख दें लेकिन वह अगर हो जायगा तो पंचायतों का स्टैंडर्ड है, वह ऊंचा उठेगा, ग्राम सेवकों की आपस में जो फिरके-बाजी चलती है वह खत्म हो जायगी। और खर्चे में भी काफी बचत होगी। जो बचत आप इस प्रकार का काम करके करेंगे उस बचत से पटवारी-कम-ग्राम सेवक-कम-सेक्रेटरी पंचायत रखेंगे तो मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि इस प्रकार का आदमी हों तो उसको मंहगाई मिला कर मिनिमम कम से कम १५०) दिया जाय। उसकी इतनी मिनिमम तनख्वाह कर दी जाय, यदि आपको अच्छी तरह से और एफिसियेन्टली काम लेना है तो। सरकार को इस विषय में गम्भीरता से सोचना चाहिये और ये तीन-तीन पोस्टे हैं उनको खत्म करना चाहिये। मैंने इस सम्बन्ध में विचार किया, कुछ लोगों से भी विचार-विमर्श किया और सरकारी कर्मचारियों से भी बातचीत की तो एक अड़चन है कि ग्राम-सेवकों की तनख्वाह का पैसा ब्लॉक्स में है उसको ८० पर्सेन्ट सैंट्रल गवर्नमेन्ट से सहायता मिलती है उसमें से दी जाती है और यदि उन तीनों ही पोस्टों को एक कर दिया जावेगा तो ८० पर्सेन्ट या जितनी भी दी जाने वाली सहायता है वह नहीं आवेगी। इस बारे में मेरा निवेदन है कि अभी आप उन्हीं ब्लॉक्स को ले लीजिये, जिनमें सेन्टर से सहायता नहीं आती है। दस बारह वर्ष जिस ब्लॉक को हो जाते हैं तो उसके बाद में गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया उस ब्लाक के ग्राम सेवकों को ८० पर्सेन्ट तनख्वाह की सहायता नहीं देती है। इसलिये जिन ब्लॉक्स में सहायता नहीं आती है उन ब्लाक्स में एज एन एक्सपेरिमेन्टल बेसिस पर ही इसको शुरू कीजिये। वे ब्लॉक्स काम करते रहेंगे जिनमें गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया से सहायता आती है और जिनमें नहीं आती है वहां पर एक ही पोस्ट रख कर इसको शुरू कीजिये। तीन वर्ष से यह सुन रहे हैं कि पटवारी को ग्राम सेवक बनाया जाय लेकिन वह नहीं हो रहा है उससे पंचायतों को कितना नुक्सान हो रहा है उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते जो पंचायत में न हों। ग्राम सेवक और पंचायत में मन मुटाव हो जाता है तो कई दिक्कतें आती हैं। इसी प्रकार पटवारी की बात है। अभी डिफेन्स फंड का मामला चला। तीनों पोस्टों का एक ही में समावेश होता तो बहुत रुपया इकट्ठा हो जाता। पटवारी एक तरफ खींचता है, ग्राम सेवक दूसरी तरफ खींचता है और पंचायत तीसरी तरफ खींचती है। तो डिफेन्स फण्ड में जितना रुपया आना चाहिये था वह नहीं आया।

इन सारी बातों को देखते हुए सरकार से नम्र निवेदन करता हूं कि तीनों पोस्टों को एक करें। सरकार की यह डिफिकल्टी जिनाइन है कि जिन ब्लाक्स में ८० पर्सेन्ट सहायता भारत सरकार से आती है वहां इसको लागू करने से उनको फाइनेन्शियल लॉस होता है। उन ब्लाक्स को आप छोड़ दीजिये और जिनमें सहायता नहीं आती है तो उनके लिये एज एन एक्सपेरिमेन्टल बेसिस पर ही सरकार की ओर से घोषणा कर दी जाय तो अच्छा है।

अब मैं पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेन्ट के ऊपर आता हूं। इस पर मेरा कटौती प्रस्ताव भी

Page No. 77

(श्री मानसिंह महार)

है। अधिक धन खर्च किया योजना पर, जो अन्याय पूर्ण है, गलत है। इस महकमे के बारे में प्रत्येक पूर्व वक्ता ने इतनी डिटेल्स में बातें बताई हैं कि मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं यह बात दावे के साथ कहूंगा कि उन्होंने जो कुछ बातें बतायीं वह एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर और चीफ इन्जिनीयर के स्तर तक ले जा कर छोड़ दिया। वह एक साइड है। उसको अधूरा रख देते हैं। ये जो सारे घोटाले होते हैं उनकी जड़ तो न बेचारा चीफ इन्जीनियर है,न बेचारा एडीशनल चीफ इन्जीनियर है, न एग्जिक्यूटिव इन्जीनियर है, इन घोटालों की जड़ तो जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने जिक्र किया कि एक पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर आये। निहायत ईमानदार। उन्होंने आते ही गंगापुर के हाई स्कूल के मामले को लेकर सात इन्जीनियरों को मोअत्तिल किया। यह सही है उन्होंने मोअत्तिल किया। इससे राजस्थान में एक जबरदस्त तहलका मच गया। मन्त्रीजी भी करने को तो कर गये लेकिन वे स्तब्ध रह गये। उन पर इतने दबाव आये कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन वे भी अपनी बात के आदमी थे और अपनी बात पर अडिग कायम रह कर उन्होंने उनको रिइन्स्टेट नहीं किया। उसका नतिजा क्या हुआ कि एक साल के बाद पी० डब्ल्यू० डी० का महकमा उन मंत्रीजो से ले लिया गया। दूसरे मंत्री जी को दिया गया और जादू की लकड़ी की तरह वे भ्रष्टाचारी इन्जीनियर सब रिइन्स्टेट हो गये। यह तो पुराने जमाने की बात है। आज तो जमाना ही बदल गया।

आज तो सस्पेन्शन और रिइन्स्टेटमेन्ट का सवाल ही नहीं। आज तो नजारा ही दूसरा है। आज तो नजारा वह है कि XXX उनकी निगाहें इस लाड़ले राजस्थान पर हैं। वे कहते हैं कि किसी तरह से राजस्थान में घुस जायें। एक बार राजस्थान की नौकरी में आजाये तो आना तो क्या हमने बाजी मार ली साल दो साल में हम लखपति। यह नजारा है। तो यह राजस्थान के मुख्य मन्त्री के सोचने की बात है। उनको सोचना चाहिये कि आज यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अभी तो शुरू ही किया है। भैरोंसिंह जी डेढ़ घण्टा बोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे समय में नहीं बोले, पहले बोले हैं।

श्री मानसिंह महार : मेरे सामने तो दोनों ही मालिक है।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि अब नजारा ही बदल गया। आज राजस्थान का पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेण्ट जो है वह भ्रष्टाचार का हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा अड्डा हो गया है। सबसे बड़ा अड्डा भ्रष्टाचार का राजस्थान का पी० डब्ल्यू० डी०। उसका कारण क्या है ? टॉप पर आदमी, टॉप हेरारकी ऑफ राजस्थान पी० डब्ल्यू० डी० वहां करप्शन की चरम सीमा। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं। यह नहीं कि मैं अपने शब्द इसमें कोई इन्टरप्शन हो तो उसमें दुबक जाऊंगा। यह नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय ! मैं दावे से कहता हूँ, जिम्मेदारी से कहता हूं कि आज राजस्थान में जितना भ्रष्टाचार मंत्रि-मण्डल-स्तर पर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट में होता है उतना हिन्दुस्तान में कहीं नहीं होता। मंत्री-स्तर पर कहता हूं। मैं कोई

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाले गये।

Page No. 78

(श्री मानसिंह महार)
इन्जीनियर्स पर नहीं जाता हूं। मैं सब पर जाता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके पास कम्पेरेटिव फिगर्स ऑफ करप्शन हो तो रख दें।

श्री मानसिंह महार : बिल्कुल बताता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : स्टेटवाइज़।

श्री मानसिंह महार : × × × ×.

श्री उपाध्यक्ष : ये कौनसे स्टेटिस्टिक्स हैं ?

श्री मानसिंह महार : मैं इन प्रान्तों में जाकर जांच करके आया हूं और उसी आधार पर कहता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : इन्हीं के बनाये हुए हैं।

श्री मानसिंह महार : मेरे बनाये हुए हैं। मैं तो अपनी लिस्ट मंत्रीजी की सूचना के लिये बता रहा हूं × × × × और राजस्थान में २५ पर्सेन्ट।

श्री रघुनाथ विश्नोई : २५ पर्सेन्ट।

श्री मानसिंह महार : बिल्कुल दावे से कहता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बेसिस ?

श्री मानसिंह महार : बेसिस बता रहा हूं। सारी जगह जाकर आया हूं।

कोटा-झालावाड़ की संस्था के बारे में मेरे पूर्व के एक मित्र ने जिक्र किया। मैं आपसे निवेदन करूं कि हम क्या बतायेंगे राजस्थान के चीफ इन्जीनियर ने उस कम्पनी के लिये क्या नोट दिया है वह आज मन्त्रीजी यहां पढ़ कर सुना दें। इन्स्पेक्शन नोट में चीफ इन्जीनियर श्री बी० डी० माथुर ने क्या लिखा है उस नोट को पूरा पढ़ कर सुना दें। वह नोट सही होगा, उनको एक्ज़ोनोरेट करते हुए तो मैं उनके लिये फिर क्षमा प्रार्थी होऊंगा। वह पूरा नोट पढ़ दें। यह नहीं कि इधर-उधर की एक-दो लाइनें पढ़ दें।

मैं उन आदमियों में से नहीं जो अपनी बात पर टिक नहीं रहते मैं यह कहना चाहता हूं कि आज यह जो महकमा है वह भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा तक पहुंच गया है। यहां कहा जाता है कि हेवी वेहिकल्स बहुत हो गये इस कारण आगे-आगे सड़क बनती जाती है और पीछे-पीछे टूटती जाती है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। मंत्री पद पर बिराजमान होते हुए यह बात कहें इससे अधिक दुर्भाग्य और क्या हो सकता है! आप कहते हैं आगे सड़क बनती है और पीछे टूटती है तो आप सड़क बनाने का तरीका सोचिये। आप ज्यों-ज्यों सड़क बनाते जाते हैं उस पर डामर करते जाइये टूटने का अन्देशा न रहे तरीका तो यह है। इसके अलावा और भी कई मेकेनाइज्ड तरीके हो सकते हैं। नाथूरामजी इजरायल जाकर आये वहां से वे तरीका सीख कर आये। आप भी हो आइये। पहले भी आप फॉरेन मिनिस्ट्री में रह चुके हैं। आप विदेशों में गये भी होंगे, जैसा कि आपके गोरेपन से महसूस होता है। फॉरेन कन्ट्रीज से आप कोई मेथड सीख कर आये हों तो उससे इस गरीब भारत को लाभ पहुंचाइये। आप कुछ तो सुधार इसमें कीजिये। ऐसा तो नहीं होना

× × × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री मानसिंह महार)
चाहिये कि अगली पांच साल की सड़क बने और पिछली टूटती जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य का विषय तो यह है इस विभाग में खर्चा तो होता बहुत है इधर सड़क बनाते हैं उधर टूटती जाती है। राजस्थान के पी० डब्ल्यू० डी० विभाग की कोई भी सड़क को ले लीजिये, फेमीन रिलीफ की सड़क लीजिये। आपके यहां ऐसे भी नमूने हैं; सड़क जो बनी ही नहीं लेकिन उसका कागजों में हिसाब-किताब है। जब पूछा जाता है कि सड़क कहां है तो कहा जाता है गरमी के कारण धूल ज्यादा उड़ने से वह धूल में इधर-उधर हो गई। सड़क ही दब गई। यह महकमा बड़ा विचित्र है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस महकमे के बारे में जयपुर रियासत के समय जब यहां पर कौंसिल थी तो कांग्रेसी सदस्य इस महकमे की बुराइयां करते थे और अब भी सुनता हूं कांग्रेस की सरकार हो जाने से इस महकमे में रियासतों के समय से दस गुना भ्रष्टाचार बढ़ा है। इस पर भी उस पक्ष में बैठने वाले मित्र मौन रह जाते हैं। हमारा मंत्रीजी से कोई द्वेष नहीं है। वे हमारे मालिक हैं। महाराजा झालावाड़ हमारे मालिक हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हम हमारी तरफ से वेग एलीगेशन नहीं लगाते ?

श्री मानसिंह महार : आप यह चाहते हैं कि मैं मिनिस्टर महोदय पर एलीगेशन लगाऊं और इनको मिनिस्टरी से हटवाने के लिये कहूं। आप जो बातें करके मुझे अपने ट्रुप में लेना चाहते है वह मैं आने वाला नहीं हूं। आपको मैं जानता हूं आप महाराजा साहब के विरोधी हैं। मैं आपके ट्रुप में नहीं आऊंगा।

श्री दलपतिसिंह (आबू) : किधर से किधर चले जाते हैं ?

श्री मानसिंह महार : आप लोग इस तरह मुझे इन्टरप्ट करके मेरा थीम खत्म करना चाहते हैं। यह, उपाध्यक्ष महोदय, इनकी पॉलिसी है।

इसलिये मैं निवेदन कर रहा था पब्लिक वर्क्स के मिनिस्टर महोदय हमारे आदरणीय हैं उनसे हम आशा करते हैं कि वे इसमें कुछ न कुछ सुधार अवश्य करेंगे। मंत्री बन जाने से या विभाग के संभाल लेने से कुछ काम नहीं होता, यह मैं जानता हूं आपके पास बहुत विभाग है सार्वजनिक निर्माण है बिजली विभाग ये दो ही बहुत अहम विभाग हैं इसके अलावा भी और महकमें हैं मंत्रीजी को चाहिये कि अगर वे इतने विभाग नही संभाल सकते तो उनको अपने पास विभागों की कमी करनी चाहिये। पी. डब्ल्यू. डी. और इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों इतने बड़े महकमे हैं कि इनका संभालना बड़ा मुश्किल है इसलिये मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप एक विभाग को छोड़ दें। पी. डब्ल्यू. डी. पर अधिक खर्चा होता है वहां इलेक्ट्रिसिटी के बजट में भी डेढ़ करोड़ का घाटा बता दिया है। इसलिये मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये घाटे के महकमे को छोड़िये।

अब मैं सार्वजनिक निर्माण के बारें में निवेदन करूं जैसा जनसंघ दल के नेता ने

(श्री मानसिंह महार)

एम. एल. एज. क्वार्टर की तरफ ध्यान दिलाया मैं कहना चाहता हूं जयपुर की किसी भी पी. डब्ल्यू. डी. बिल्डिंग को देख लीजिये। इसके अलावा अजमेर का जो किस्सा है उसके बारे में मैंने भी उस फाइल को देखा है। वह भी क्लीयर केस है। सदन में जब-जब भी जिक्र आया काफी दिलचस्पी दिखाई एक्शन लेने की, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय बात यह है एक्शन वे अपने मातहत किसी पर ले नहीं सकते क्योंकि जिसका दामन साफ हो वही तो एक्शन ले सकता है। जब नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही फरमे से ढलकर लोग आते हैं तो वहां एक्शन लेने का सवाल नहीं होता।

सदन को बताना चाहता हूं कि अजमेर का घोटाला वह किस प्रकार का घोटाला है, कोटा और झालावाड़ का घोटाला है और किसी भी जगह का घोटाला हो उस पर एक्शन नहीं होने वाला चाहे जनसंघ के नेता सौ बार कह दें, स्वतंत्र पार्टी वाले कह दें चाहे कांग्रेस वाले कह दें कुछ होना जाना नहीं। या तो मंत्री महोदय आज यहां स्पष्ट कह दें कि हमारे सभी इन्जीनियर पाक दामन हैं कोई भी गलत काम नही करता तो मैं मान लूंगा। आपने मंत्री बनने के बाद एक भी इन्जीनियर को सस्पेन्ड किया हो तो बता दीजिये। किसी के खिलाफ एन्क्वायरी हुई हो और उसके बाद किसी को सजा हुई हो वह भी बता दीजिये। अगर मैं गलत कहता हूं तो क्षमा मांगूंगा। यह मैं कह रहा हूं किसी को बदनाम करने की नीयत से नहीं कह रहा हूं। लेकिन यह बात सही है कि राजस्थान का लाखों रुपया इस तरह से बरबाद हो रहा है। इस सदन में कोई केस हम रखते हैं तो उसका जवाब तक नहीं दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक केस आपके सामने रखना चाहता हूं हरमाड़ा घाटी का। हरमाड़ा रोड़ के निर्माण में भारत सेवक समाज द्वारा जो घोटाला किया गया उसकी ओर मैंने पहले भी ध्यान दिलाया था। मैंने इस बारे में पी० डब्ल्यू० डी० वालों से नहीं भारत सेवक समाज में घोटाला करने वालों से बात की है। उन्होंने कहा है कि जब तक नन्दाजी हमारे सिर पर है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस समय भी मंत्रीजी ने कागज पर बात लिखी थी। मैंने सोचा कि शायद मेरी बात का जवाब मिलेगा लेकिन जवाब के समय सब बातें मंत्री महोदय ने उड़ा दीं। मैं पहले ही यह जानता था कि वे इस बारे में बोल नहीं सकते। हमको थोड़ा मंत्री लोगों के लिये सख्त होना पड़ेगा। वह इसलिये कि हम कोई मुद्दे उठायें लेकिन उनके लिये कहा गया कि वे वेग हैं। हम आपके सामने पुलन्दे रख सकते हैं आप जवाब तो दें। जो मित्र हमारी बात को वेग कहते हैं मैं उनके सामने एक स्पष्ट उदाहरण रखता हूं हरमाड़ा घाटी का दुबारा रख रहा हूं। हरमाड़ा घाटी में भारत सेवक समाज द्वारा जो कन्स्ट्रक्शन का कार्य हुआ जिसके लिये हमारी राजस्थान सरकार ने और भारत सरकार ने पैसा दिया उसमें कितना नुकसान हुआ इसी एक बात को बता दें। अगर आप यह कहदें कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है तो मैं मान जाऊंगा कि मंत्रीजी का अंकुश है, सही तरीका है।

ये चन्द शब्द मैंने पी० डब्ल्यू० डी० के बारे मे कहे। अब मैं रेवेन्यू विभाग के

(श्री मानसिंह महार)

बारे में कुछ कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा तहसील के पटवारियों के बारे में दो शब्द कहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, यह विभाग ऐसा है जिसके बारे में जो कुछ कहा जाय वह बहुत थोड़ा है । माननीय राजस्व मंत्री महोदय यहां पर विराजमान नहीं हैं। मैं उनसे पूछता तहसील बैराठ में एक पटवारी का तहसील आमेर से तबादला हुआ । उपाध्यक्ष महोदय, एक पटवारी का तबादला होता है बैराठ में होता है उस पटवारी को पर्टीकुलर गांव में नहीं लगाने के खातिर राजस्थान गवर्नमेन्ट के टॉप लेवल के आदमियों की सिफारिश दौड़ाई । वह पटवारी तीन महीने तक बिना काम किये बैठा रहा। यह मैं बताना चाहता हूं कि इससे राजस्थान के एक्सचेकर पर कितना भारी नुकसान हुआ ।

तीन महीने वह फुटबॉल की तरह दौड़ता है। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि कैसा अन्धेर है। जयपुर के उस समय के कलेक्टर श्री ए. के. राय से मैं मिला। कहा, यह क्या तमाशा हो रहा है। एक पटवारी को आप ऑर्डर दे देते हैं कि वह चार्ज ले। चार्ज लेने जाता है तो सामने वाला कहता है, नहीं देता। आप दूसरी बार दूसरी जगह का आॅर्डर देते हैं वहां भी यही हाल, तीसरी जाह का देते हैं वहां से भी बेरंग वापिस लौटता है, रिपोर्ट करता है। कलेक्टर साहब फिर मजबूर। वह भी आॅर्डर कैंसिल। चौथी जगह किया। तो इस तरह तीन महीने वह फुटबाल की तरह दौड़ता रहा। बाद में उसका तबादला जयपुर तहसील में होता है। बैराठ छूट जाती है। तो आज हालत यह है कि एक पटवारी सर्किल में चार्ज लेने की इजाजत मिलती है तीन-चार महीने में जाकर। आप सोचिये कि हमारे एक्सचेकर पर कितना खर्चा इस तरह से बैठता है ।

माननीय उप-मंत्रीजी लम्बा-चौड़ा नोटिंग कर रहे हैं तो कर लीजिये। मैं उस पटवारी का नाम भी बता देता हूँ। उसका नाम है समुन्दरसिंह ।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित): मैं तो आपकी बात की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा हूं ।

श्री मानसिंह महार : यह भी मालूम हुआ कि आप हमारी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हमारा सौभाग्य है। राजस्थान का उत्थान तो आप ही जैसे उप-मंत्री करेंगे। जो इस विधान सभा में सरकार के खिलाफ बात कहें और आप कान में तेल डाललें तो मैं तो यही कहूंगा कि भगवान इसके पहले आपको बहरे कर देता तो अच्छा था। मैं तो यही आशीर्वाद देता हुआ अपना आसन ग्रहण करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : सरकारी पक्ष ।

श्री मानसिंह महार : (अल्प विराम के अनंतर) अभी तो वे तैयार ही नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है। अगर कोई और बोलना चाहे तो बोल लें। चार बजे रिप्लाई देंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): माननीय उपाध्यक्षजी, जिन-जिन विभागों की डिमाण्डों पर आज चर्चा हो रही है उनके बारे में मैं थोड़ा निवेदन कर देना चाहता हूं।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

सबसे पहले मैं पी. डब्ल्यू. डी. को लेता हूं। इस विभाग में बड़े पक्षपातपूर्ण रवैये से काम होता है। टोंक डिस्ट्रिक्ट में निवाई तहसील में जो सड़कें इस विभाग के द्वारा पहली योजना काल में बनाने के लिए स्कीम बनी वह आज तक तीसरी योजना के अन्त तक और चौथी योजना के आरम्भ काल तक नहीं बन सकीं। इससे अधिक इस विभाग का निष्क्रियता और पक्षपातपूर्ण रवैया क्या हो सकता है? मैंने इस बारे में बार-बार निर्माण मन्त्रीजी का ध्यान भी आकर्षित किया।

वैसे तो बहुत सी सड़कें हैं, पर एक का जिक्र कर देता हूं। निवाई से बौंली की सड़क का निर्माण कार्य पहली योजना में प्रारम्भ हुआ। इसका सवाई माधोपुर वाला हिस्सा बन चुका, पर इस पर इस तरफ लगने वाला पैसा टोंक डिस्ट्रिक्ट के एक्स-रेवेन्यू मिनिस्टर और मौजूदा पंचायत मिनिस्टर श्री दामोदरलालजी व्यास ने अपने क्षेत्र में ले जाकर खर्च कर दिया। इसके बाद राजस्थान में इमर्जेन्सी आ गई और अकाल की स्थिति भी आ गई।

इस साल किसी तरह उसका काम फिर शुरू हुआ है, पर इस मन्द गति से चल रहा है कि मुझे डर है कि वह चालू योजना में भी पूरा होगा या नहीं। मैंने इस सड़क के बारे में प्रश्न भी पूछे हैं। बजट में हर बार इसके लिये पैसा रखा गया पर लैप्स होता गया। हर बजट में एक अच्छा अमाउन्ट रखा गया लेकिन खर्चे के नाम पर एक पैसा नहीं लगाया गया।

इसी तरह से सरकारी इमारतों का हाल है। जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया, एक साल इमारत बनती है, दूसरी और तीसरी साल उसका टूटना शुरू हो जाता है। इस तरह की कई इमारतें मैंने देखीं। जयपुर की कलेक्टोरेट की बिल्डिंग ही ले लीजिये। इसे बने मुश्किल से कुछ साल हुए होंगे, पर आप देखें कि इसकी खिड़कियां, सीढ़ियां, फर्श जहां-तहां से टूट चला है। दीवारों में भी दरारें नजर आएंगी कहीं-कहीं।

तो विभाग द्वारा गलत तरीके से कमजोर मेटीरियल लगाकर काम चलाया जाता है और ज्यादा से ज्यादा पैसा ठेकेदारों के द्वारा बचाया जाता है।

इसी तरह घाट गेट पर स्टेट रोडवेज का स्टेशन है। उसकी भी यही दशा है। वहां फर्श पर खड्डे बन गए हैं। दीवार मे दरारें चल गई हैं। तो इस तरह से विभाग द्वारा काम होता है। अधिकांश पैसा गलत रूप से हड़प लिया जाता है।

इसी के साथ-साथ मैं अन्य विभागों के सम्बन्ध में भी निवेदन कर देना चाहता हूं।

(१ म. प.)

श्री श्रवणलाल : हाउस का कोरम नहीं है।

(गणपूरक घण्टी)

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्षजी, जो व्यवस्था एम० एल० एज० के लिए पी० डब्ल्यू० डी० की तरफ से है इसके बारे में भी समय-समय पर सदन का ध्यान आकर्षित किया गया है। मैंने जहां-जहां भी एम० एल० एज० के लिये ठहरने की व्यवस्था पी० डब्ल्यू० डी० की तरफ से की गई है उनको देखा है। जहां

(श्री जयनारायण सालोदिया)

तक गवर्नमेंट होस्टल का प्रश्न है, वहां जो व्यवस्था है वह भी इतनी नाकाफी है कि एक एम० एल० ए० के स्तर के लिये इतने निम्न स्तर की व्यवस्था है कि एक छोटा सा कमरा और उसमें खटमल और मच्छरों के ढेर हैं। कोई भी बाहर का आदमी जो इस वातावरण में न रहा हो वहां दो घण्टे भी बैठना चाहे तो नहीं बैठ सकता उन कमरों में। वह छोटे-छोटे कमरे हैं और उनमें न रोशनी जाती है और न धूप आती है, न समय पर सफाई होती है और न पुताई होती है। जिसके कारण खटमल और मच्छर मरे पड़े हैं। इसी तरह से मेरे से पूर्व वक्ता ने एम० एल० एज० बंगलों के बारे में कहा है। मेरा अनुभव है और अगर कहीं निम्न स्तर की व्यवस्था है तो आप धाबाईजी की हवेली को देख लो। माननीय उपाध्यक्षजी, ऐसा महसूस होता है कि धाबाई जी की हवेली एम० एल० एज० के रहने के काबिल नहीं है बल्कि किसी रिक्शा चालकों के लिये है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां एक पैसे का फर्नीचर भी नहीं है, न कमरों में बिछायत है और न खिड़की और दरवाजों के पर्दे हैं। मैं कहता हूं जिस कमरे में मैं रहता हूं मुझे अनुभव है कि उसमें सरकार ने एक सिंगल पैसे का सामान नहीं रखा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अपने लोगों के लिये पर्दे की आवश्यकता नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : बहुत अच्छा। माननीय सदस्य ने बहुत ही भावपूर्ण एक आदर्श की बात कही है, लेकिन मैं यह देख कर ताज्जुब करता हूं कि वही एम० एल० ए० विधान सभा के सदस्यों के लिए इस तरह की बात कहते हैं तो फिर वह माननीय मंत्रियों के लिये क्यों नहीं कहते कि वह भी झोंपड़ियों में रहें और रिक्शाओं में क्यों नहीं चलें? उन्होंने क्या पट्टा लिखा लिया है कि वह बंगलों पर लाखों रुपया खर्च कर सकते हैं। आखिर वह भी हमारे बराबर के सदस्य हैं फिर उनको क्यों नहीं कहते? उनके बच्चे और मेहमान और निम्न स्तर के लोग सरकारी गाड़ियों में गुलछर्रे उड़ाते फिरते हैं और एम० एल० एज० के लिये आप इस तरह की बात करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, जिस धाबाईजी की हवेली में मैं रहता हूं उसकी आपको बात बताऊं। अगर आप रात के समय जायें तो आपको मालूम होगा कि किधर से जाना था किधर पहुँच गये, किधर पहुँचना चाहिये था और किधर पहुँच गये। अगर आप नाल चढ़ना चाहेंगे तो १५ मिनट यों देख-देख कर चलेंगे। कहने की मन्शा यह है कि न नाल में लाइट है, न सफाई की व्यवस्था है, न आम रास्ते में लाइट है और न कमरों में इस प्रकार की व्यवस्था है। आपके विभाग के द्वारा एम० एल० एज० को किस स्तर पर रखना चाहते हैं और आप किस स्तर पर रहते हैं? यह भेदभाव आप करते हैं और फिर समाजवाद की बातें करते हैं। जब एम० एल० एज० के साथ आप इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो जनता के साथ न जाने क्या करते होंगे, यह इससे स्पष्ट साबित होता है। मैं तो यह चाहता हूं कि........

श्री दलपतसिंह (आबू) : मिनिस्टरों को रिक्शा दे दो।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं तो यह चाहता हूं कि मिनिस्टरों को रिक्शा नहीं मिले, तो चाहे गधे की सवारी हो तो मुझे इससे आपत्ति नहीं है। रिक्शा तो फिर भी अच्छी चीज है, इनके लिये गधे होने चाहियें....

श्री दलपतसिंह : इससे इज्जत किसकी बढ़ेगी ?

श्री जयनारायण सालोदिया : जैसी वह हमारी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं उसको देखते हुए ही मैंने यह कहा है। जैसी हमारी इज्जत है वैसी ही उनकी होनी चाहिये। दूसरों की इज्जत करने से अपनी इज्जत होती है ....

श्री दलपतसिंह : आपको गधों पर तो कोई नहीं चढ़ाता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह गधे और घोड़ों की बात को छोड़ कर अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस विभाग के द्वारा जो भी करप्शन और भ्रष्टाचार की बात सब ओर के माननीय सदस्यों ने कही है और मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि इस विभाग में जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है कि कुछ प्रतिशत रिश्वत तो यहां अनिवार्य है। चाहे वह २५ पर्सेन्ट हो या ३० पर्सेन्ट हो लेकिन कुछ रिश्वत को तो यह विभाग अनिवार्य मानता है। उसको तो वह रिश्वत नहीं मानते हैं। वह कहते हैं कि यह तो हमारा जायज अधिकार है। २००० के बिल पर ५०० रुपये बंटना और वसूल करना यह तो इस रिश्वत को अपना अधिकार मानते हैं। मैं कहूंगा कि ऐसा किसी विभाग में नहीं है, लेकिन पी. डब्ल्यू. डी. ऐसा विभाग हैं जिसमें रिश्वत को अधिकार के रूप में मानते हैं। इसमें बिल्कुल बन्धा हुआ होता है कि एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के पास कितना रुपया जायेगा और किसके पास कितना जायेगा और कितना हिस्सा ओवरसीयर के पास जायेगा, कितना हिस्सा मिस्त्री के पास जायेगा। यही एक ऐसा विभाग है जिसमें रिश्वत का बिल्कुल वैधानिक स्तर पर बंटवारा होता है।

माननीय उपाध्यक्षजी, इसी के साथ-साथ मैं एक-दो बातें और निवेदन करना चाहता हूं। मैं आज उनको नामजद नहीं कहना चाहता हूं लेकिन मन्त्री महोदय कहेंगे तो मैं उनको निवेदन करने की क्षमता में हूं। टोंक डिस्ट्रिक्ट में कई ठेकेदारों के पेमेन्ट इसलिये नहीं हो रहे हैं कि उन्होंने वाजिब पैसा उन अधिकारियों को नहीं दिया है और इसी बिना पर दो-दो साल से उनका पेमेन्ट रुका हुआ है। मैंने वहां के एग्जि-क्यूटिव इन्जीनियर से निवेदन किया हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनका पेमेन्ट होगा लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि दो-दो साल से किसी ठेकेदार का पेमेन्ट क्यों नहीं होता है ?

माननीय उपाध्यक्षजी, इसी के साथ २ जो भी इस विभाग के द्वारा अकाल के कार्य कराये जा रहे हैं या तहसील अकाल सहायता समिति द्वारा सड़कों के काम के लिये लिस्ट दी गई है उसमें भी इस विभाग की तरफ से उदासीनता बरती जा रही है। एक तरफ सरकार का रिलीफ का पैसा जिला के हैड-क्वार्टर पर मन्जूरशुदा पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ वहां की रिलीफ कमेटी इस-इस तरह के सुझाव दे देती है कि यह-यह सड़क बननी चाहिये और यह जरूरी है। दूसरी तरफ आपके विभाग के ओवरसीयर के

(श्री जयनारायण सालोदिया)

एस्टीमेट के बिना आपके विभाग के इन्जीनियर्स और अन्य आदमियों की उदासीनता के कारण वह काम आज तक शुरू नहीं हो रहे हैं। तो इस अकाल और महंगाई के जमाने में आप इस तरह की उदासीनता जनता के साथ करेंगे तो यह कितनी आपकी वाजिब बात होगी ? तो मैं यह मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह अपने विभाग के हर ऑफिसर को इस तरह की हिदायत दें कि जहां भी अकाल के राहत कार्य में जो काम शुरू होने चाहियें आपके विभाग के द्वारा, निर्माण विभाग के द्वारा वह काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाने चाहियें नहीं तो फिर उन कामों का राहत के काम से कोई तालमेल नहीं होगा और जनता को कोई फायदा नहीं मिलेगा या फिर वही एक साल के बाद वह पैसा लैप्स हो जायेगा और जनता को जो फायदा मिलना चाहिये वह नहीं मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, इसी के साथ-साथ मैं तहसीलों के सम्बन्ध में, राजस्व विभाग के सम्बन्ध में भी एक बात निवेदन कर देना चाहता हूँ। रेवेन्यू विभाग भी एक इस तरह का विभाग है जिससे जन-जन प्रेरित है जिससे जन-जन का सम्बन्ध है और उन लोगों का सम्बन्ध है, जैसा मैंने बताया पहले विभाग के सम्बन्ध में, निर्माण विभाग के सम्बन्ध में कि उन लोगों का सम्बन्ध तो उन लोगों से है जो मालदार लोग हैं और जो खुद भी मालदार हैं और दूसरों को भी मालदार करना चाहते हैं, उन लोगों से सम्बन्ध है। लेकिन रेवेन्यू विभाग का सम्बन्ध उन लोगों से है जो लोग किसान हैं, जो लोग गरीब हैं, जो लोग मजदूर हैं। उस विभाग की तरफ भी आज जब इस तरह का विचार-विमर्श हो रहा है और उस विभाग के मंत्री या उप-मंत्री सदन में हाजिर न हों, इसके सिवाय इस सरकार के लिए शर्म और लज्जा की बात और नहीं हो सकती। जिस विभाग पर डिस्कशन हो रहा हो और उससे सम्बन्धित मंत्री या उप-मंत्री यहां सदन में मौजूद नहीं हों, तो मुझे यह मालूम नहीं है कि इस हाउस से बढ़ कर इमरजेंट काम उनके पास क्या हो सकता है ? मैं जानता हूँ चौधरी कुम्भारामजी को और लड्ढा साहब को भी।

श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) की ओर मुखापेक्ष होकर, माननीय सदस्य सो रहे हैं।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सहाड़ा) : आप तो जाग रहे हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : जब हम इस सरकार का रवैया देखते हैं, इस सदन के प्रति जो सरकार की आस्था होनी चाहिए उसकी बजाय उसके प्रति जो उदासीनता देखते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि आया यह सरकार धीरे-धीरे प्रजातंत्र से कितनी दूर होती जा रही है और कितनी एकतंत्र और डिक्टेटरशिप में चलने वाली होती जा रही है। मैं जानता हूँ कि जो चौधरीजी हैं वे इस तरह की अनर्गल, आकाश-पाताल को उखाड़ने की बातें करते हैं, लेकिन वे हाउस में बैठ कर अपने विभाग के प्रति जो सुझाव इस सदन में दिए जाने चाहिए थे, उन्हें भी वे नहीं सुनते हैं। मैं, माननीय उपाध्यक्षजी, इस बात को बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ और मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह कोई एम. एल. एज. की जिम्मेदारी नहीं है या विरोधी पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि हम बातें कहें और

(श्री जयनारायण सालोदिया)

उसको यहां हाउस में सुनने वाला भी कोई नहीं हो यह सरकार के लिए बड़ी शर्म की और लज्जा की बात है।

श्री हरिश्चन्द्र : Upadhyaksha Mahodaya, I am sitting here. A representative of the Cabinet is here. आपको जो कुछ कहना हो, कहें।

श्री जयनारायण सालोदिया : वह तो मैं भी देख रहा हूं कि आप यहां पर बिराजमान हैं, लेकिन अच्छा होता कि वे लोग भी यहां पर मौजूद होते, उनको क्या एमर्जेन्सी आ रही हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : आप उनको बुलाइए, साहब।

श्री जयनारायण सालोदिया : वे तो कहीं होटल में बैठे पान चबा रहे होंगे या सूखा मेवा खा रहे होंगे या किसी पलंग पर सीधे लेट रहे होंगे। इसके अलावा उनके पास काम क्या है ? वे क्यों नहीं हाजिर हैं यहां पर, मैं तो यह पूछना चाहता हूं सरकार से ?

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : सूखा मेवा खाने से क्या मतलब है ?

श्री जयनारायण सालोदिया : उनको काम करना आता नहीं है। वे काम में समझते भी नहीं हैं। सिवाय डिस्टर्ब करने के या काम बिगाड़ने के दूसरा कोई काम उनके पास नहीं है। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं उनके विभाग के लिए कुछ बातें निवेदन कर देना चाहता हूँ। मेरी निवाई तहसील के एक तहसीलदार छः सात साल से वहीं पर बिराजते हैं और वे भी रेवेन्यू मिनिस्टर साहब की बिरादरी के ही हैं। बिरादरी से मतलब यह नहीं है कि वे भी जाट हैं। वे जाट तो नहीं हैं लेकिन उनका काम करने का ढंग भी वैसा ही है जैसा इनका है। जैसे ये दिन में एक अण्ड नहीं खेंचते उसी तरह से यह भी एक मिसल पर एक लाइन नहीं खेंचते और इसका परिणाम यह है कि वहां निवाई तहसील में जब से वे आए हैं तब से करीब चार और पांच हजार के बीच में फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उनके फैसले नहीं होते हैं। तो, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहूँगा कि इस तरह का तहसीलदार जो एक दिन में एक फैसले की औसत से भी काम नहीं करे, जो एक दिन में एक केस का फैसला भी नहीं करे, एक केस का डिस्पोजल भी नहीं करे तो ऐसे तहसीलदार को वहां पर सात-सात साल से बैठा रखा है, तो इसके पीछे क्या बात है, इसके पीछे एक ग्राउण्ड है, एक थ्योरी है और इसके पीछे एक इस तरह का राजनैतिक दबाव है। वह तहसीलदार हैं माननीय पंचायत मंत्रीजी श्री दामोदरलालजी व्यास के छोटे भाई श्री चन्द्रबिहारीलालजी के साले, जो छः सात साल से निवाई तहसील में बिराजमान हैं, लेकिन जिन्होंने सौ मिसलों का फैसला नहीं किया है। आज उनकी कृपा से किसानों के मेले लगते हैं और लोगों को तारीख बदलवा कर वापिस आना पड़ता है और इस प्रकार निवाई तहसील में ही पांच-छः हजार के बीच में मिसलें पैंडिंग पड़ी हुई हैं, माननीय उपाध्यक्षजी। इसी के साथ-साथ मैं दूसरे तहसीलदार का जिक्र भी कर देना चाहता हूं...

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : इसी पंचायती राज में कोई सुनने वाला नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह तो मैं भी जानता हूं। अभी तो राजा साहब सुन रहे हैं और जिम्मेदारी के साथ में सुन रहे हैं।

इसी तरह से मैं, माननीय उपाध्यक्षजी, यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री जोधसिंह चौहान : कौन जिम्मेदारी से नहीं सुनते हैं ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, सम्बन्धित मंत्री को बुलाया जाय। जब एक डिपार्टमेंट के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं तो उससे सम्बन्धित मंत्री को यहां मौजूद रहना चाहिये।

श्री जोधसिंह चौहान : आखिर उनको काम क्या है ऐसा ?

श्री हरिश्चन्द्र : I am here.

श्री उपाध्यक्ष : यह रूलिंग हो चुकी है कि केबिनेट की सम्मिलित जिम्मेदारी है। एक केबिनेट के रेंक के मंत्री मौजूद हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : तो क्या जो तीन डिमाण्ड डिस्कस हो रही हैं तो तीनों का जवाब भी ये ही देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : Usually he informs his colleagues.

श्री हरिश्चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जनरल डिबेट तो है नहीं, जिन पर्टीक्यूलर डिमाण्ड्स पर डिबेट हो रही है उनको छोड़ कर और किसी विषय पर बोला जाता है तो नेचुरली मुश्किल होता है हरएक का जवाब देना।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के बारे में एक बात और निवेदन कर रहा हूं और वह यह कि इसी तरह के एक तहसीलदार साहब मालपुरा में बिराजते हैं। वह भी आठ साल से वहां मालपुरा में हैं जब कि सरकार का यह इस तरह का सक्यूलर है, सरकार के आदेश हैं कि कोई आदमी तीन साल से पहले ट्रांसफर न हो और तीन-चार साल से अधिक एक जगह पर नहीं रहना चाहिए गजेटेड ऑफिसर को। इसके बाद भी क्या मजबूरी है सरकार की, क्यों नहीं उनको वहां से हटाया जाता है ? लेकिन इसके साथ भी एक ही मजबूरी है। जब-जब भी उनका ट्रांसफर होता है, छः-सात साल से जब-जब भी उनका ट्रांसफर किया गया, उसको कैंसिल किया गया और उनको वहीं मालपुरा में आठ साल से तहसीलदार बना कर बैठा रखा है।

माननीय उपाध्यक्षजी, जब उनके कार्य ज्यादा बरदाश्त नहीं हुए और लोगों ने ज्यादा उनकी खिलाफत की और सरकार को इसके लिए आग्रह किया, उनको बाध्य किया तो अब भी उनको दूसरे ढंग से मालपुरा में रखा गया है। माननीय उपाध्यक्षजी, जब उनका तहसीलदार के रूप में ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया तो चूंकि वहां मालपुरा की एक राजनैतिक सक्रियता है, हमारे पंचायत मंत्रीजी नहीं चाहते थे

(श्री जयनारायण सालोदिया)

कि वह मालपुरा से हटें और जब एज ए तहसीलदार उनके ट्रांसफर के आदेश हो गए तो उस आदेश की अवहेलना करके बी. डी. ओ. के रूप में पोस्टिंग करके उनको मालपुरा में रखा गया है, उनका नाम बदल कर उनको मालपुरा में रखा गया है, माननीय उपाध्यक्षजी। तो इस तरह की बातें जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होती हैं उसके लिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूं।

इसके साथ-साथ माननीय उपाध्यक्षजी, मैं एक बात और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में निवेदन कर देना चाहूंगा और वह यह है कि जमीनों के अलॉटमेंट के बारे में। यह अलाटमेंट का जब से प्रोसीजर चालू हुआ है, हमने इस सिलसिले को इसलिए शुरू किया था कि इससे जनता को राहत मिलेगी, उन लोगों को जमीनें मिलेंगी जो लोग बिना जमीनों के हैं। जिनका धन्धा ही खेती करने का है उनको हम जमीन दें और फ्री जमीन दें इसलिए इसे शुरू किया गया लेकिन यह फ्री जमीन की स्कीम इतनी महंगी होती जा रही है उपाध्यक्षजी, कि वह कीमत जमीन से भी ज्यादा महंगी होती जा रही है। अगर कोई गरीब आदमी अलॉटमेन्ट के लिए नम्बर लेने के लिए पटवारी के पास जाता है तो वह पैसा लेता है। अगर कोई रिपोर्ट करवाने जाता है तो पैसा लेते हैं। अगर कोई पहले तहसीलदार साहब से बात नहीं करता है तो उसको कोई जमीन नहीं मिलती है। इस तरह का तरीका है जमीनों के अलॉटमेंट का कि यह अपने आप में इस तरह की बात साबित करता है माननीय उपाध्यक्षजी, कि वह रिश्वतखोरी करने के लिए मजबूर करने का एक जरिया है। अगर उसको किसी भी तरह से जमीन अलॉट हो जाती है तो फिर उसका कब्जा नहीं दिया जाता है, पट्टा नहीं दिया जाता है। इसी बीच में दो आदमियों में आपस में झगड़ा खड़ा करा देते हैं। एक आदमी को जमीन अलॉट हो गई तो पटवारी दूसरे से कह देता है कि तुम काश्त कर लो और तीसरे से कह देगा कि तुम काट लो इस तरह की बातें जमीनों के अलॉटमेंट के नाम पर जो एक किसान के लिए, उस गरीब किसान के लिए जो भूमिहीन है, जिसकी हमें मदद करनी चाहिए, जिसको फ्री जमीन मिलनी चाहिए, उसके लिए इस तरह की बातें करते हैं तो यह बहुत बुरी बात है।

इसके साथ-साथ, माननीय उपाध्यक्ष, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। उन किसानों को जिनको भूमि एलॉट की गई है उनके पास पहले से कोई साधन नहीं होते हैं, इसलिए मैं उनको बैलों को खरीदने के लिए, हल खरीदने के लिए, उनको जमीन पर काश्त करने की सामग्री के लिए, इस तरह की आवश्यकताएं हैं, इनके लिए भी हमें किसानों के लिए व्यवस्था करना चाहिए। तभी जा कर वह लोग जमीन पर काश्त करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं. नहीं तो खाली अगर किसानों को ५ बीघा जमीन देते हैं तो वह तो फिर बोहरे से कर्ज लेकर बैल लायेगा, हल खरीदेगा और उसका परिणाम यह होगा कि उसकी जमीन कुछ दिनों के बाद उस बोहरे के पास जाने वाली है या दूसरे किसी साधन-सम्पन्न आदमी के पास जाने वाली है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एलॉटमेंट की जमीन को इस तरह से बांटने की व्यवस्था करते हैं तो इसके साथ-साथ उस किसान को

(श्री जयनारायण सालोदिया)

जरूरियात की चीजें जिनके द्वारा वह खेती कर सकता है ऐसा साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था करना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ-साथ, मैं एक मिनिट में........

एक माननीय सदस्य : एक मिनट तो हो गया।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं आपकी सरकार की मदद कर रहा हूं। जब तक मिनिस्टर साहब तैयार नहीं होते हैं तब तक बोल रहा हूं। मैं उनकी इज्जत रख रहा हूं, नहीं तो वे अभी खड़े हो कर भाषण देने की पोजीशन में नहीं हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : एक तरफ तो आपको टाइम दे रहे हैं....

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष....

श्री परसराम मदेरणा : पोजीशन क्या बता रहे थे आप ?

श्री जयनारायण सालोदिया : अभी खड़े होकर भाषण देने की पोजीशन में नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सदन की कुछ परम्पराएं हैं। आप जब बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोल सकता हूं। आप चैलेन्ज करते हैं कि भाषण देने की स्थिति में नहीं हैं तो ट्रेजरी बेन्चेज ने जो कुछ आपने बातें कही हैं उनका ठोक कर जवाब दिया है और फिर भी जवाब दिया जायेगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष, यह तो मैंने माननीय मंत्री जी की भावना के लिए कहा है। आप तो थे ही नहीं। आप न मालूम कहां से अभी पधारे हैं। मैंने तो मंत्रीजी की भावना के लिए कहा है।

श्री परसराम मदेरणा : (श्री बालकृष्ण कौल के आने पर) यह आये मंत्रीजी।

श्री जयनारायण सालोदिया : ये सब बातें मुझे तो प्रावधान के स्वरूप में निवेदन करना है। मैं सरकार से चाहूंगा कि ये सब बातें जिनकी वजह से हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, हम जहां तक पहुंचना चाहते हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं जनता की सेवा करने के या समाजवाद को स्थापित करने का उससे हम ये जो बातें हैं जो आपके कारनामों के द्वारा यहां पर पुरः स्थापित किये गये हैं, उनके द्वारा हम हमारे लक्ष्य से, समाजवाद से, प्रजातन्त्र से पीछे हटते जा रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आपका समाजवाद से क्या वास्ता ? स्वतन्त्र पार्टी समाजवाद में विश्वास करती है क्या ?

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : तुम्हारा कौनसा समाजवाद है ? क्या यह समाजवाद है ?

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्षजी,....

श्री जोधसिंह चौहान : क्यों दुनिया को भुलावे में डालते हो ?

Page No. 90

श्री जयनारायण खालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष, समाजवाद के बारे में कुछ दिन पूर्व बोलते हुए....

श्री परसराम मदेरणा : सोशयलिज्म ऑफ........

श्री जयनारायण खालोदिया : कहा था कि आपका कैसा समाजवाद है? आपका समाजवाद, तो इस तरह का समाजवाद है कि जिसके द्वारा मालदार ज्यादा मालदार हो रहे हैं और गरीब ज्यादा गरीब हो रहे हैं। अगर आपकी यह परिभाषा है समाजवाद की तो यह समाजवाद आपको मुबारक हो। हम ऐसे समाजवाद का काला मुंह करना चाहते हैं।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर दूं कि चार बजे तक कटौती-प्रस्तावों के ऊपर अगर चाहें तो बोल लें।

श्री जोधसिंह चौहान : ५-५ मिनिट दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कटौती-प्रस्तावों के अलावा भी समय दिया गया लोगों को बोलने का, इसलिए मैं समझता हूं कि जो विधेयक आयेगा उस पर ज्यादा बहस न होकर उसको यथासमय पारित कर सकेंगे। तो उसी दृष्टि से, मैं समझता हूं कि चार बजे तक चालू रखें।

श्री मानसिंह महार : चार बजे तक रिप्लाई देने का तय हो गया था।

श्री जोधसिंह चौहान : मगर ये ५-५ मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे। हम लोग भी बोलेंगे।

श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : कांग्रेस साइड को दिक्कतें नहीं हैं। दिक्कतें तो विरोधियों को हैं। विरोधी तो कांग्रेस महानुभावों की मदद करते हैं इसलिये उनको समय मिलना चाहिए। इनको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, ६३-६४ की कुछ अनुदानों पर विचार हो रहा है। सामान्य प्रशासन में इस वर्ष कुछ और विशेष खर्चा हो गया जितना अनुदान मांगा था उससे। सामान्य प्रशासन में करोड़ों रुपयों का बजट है। हो सकता है कुछ विशेष खर्चा हो जाये, और यह खर्चा भी हो गया और इसके फाइनेन्स एकाउन्ट्स भी हो गये। अब इसके सिवाय कोई चारा नहीं कि इसको पारित किया जाय। अब यह जो कुछ भी फोर्मेलिटी पूरी करनी है वह है, लेकिन इसके द्वारा कहने का माध्यम मिलता है कि लोग अपनी-अपनी बातें कहें।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग समाजवाद में विश्वास रखते हैं और निश्चित रूप पर इस देश में समाजवाद पूरी तरह से लाकर रहेंगे, इसमें दो राय नहीं।

श्री जोधसिंह चौहान : कौनसा समाजवाद है? आप जरा व्याख्या तो कर दें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : अभी बतलाता हूं। आप बैठ जायें।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

उपाध्यक्ष महोदय, समाजवाद नारों से नहीं आता है। समाजवाद का विरोध करने वाले इसलिए करते हैं कि उन्हें यह बुरा लगता है। समाजवाद के बारे में अभी इसी सदन में जो बात कही गई स्वतन्त्र पार्टी के माननीय उपनेता महोदय के द्वारा तो वह कह रहे थे कि एलॉटमेंट में बड़ी गड़बड़ी होती है। क्या गड़बड़ होती है तो उनका कहा हुआ ही मैं कहना चाहता हूं कि पटवारी के पास जाते हैं नक्शा और नम्बर लेने तो पैसे देने पड़ते हैं। अगर एलॉटमेंट हो जाये तो उसके बाद भी पैसे देने पड़ते हैं। यह इनको बुरा लग गया। इसमें सरकार का क्या दोष है ? ये तो हमेशा ही से लिया करते थे। पटवारी हमेशा से लेता आया है और बरसों से लेता आया है पुराने राजाओं के जमाने से लगाकर। आपके वोटर्स ने आपको विधान सभा में चुना है तो जनता के आप नुमायन्दे हैं तो आप उनसे जाकर कहें कि पैसा नहीं दें चाहे कुछ भी हो जाये। आप नहीं जाते हैं उनके पास तो आप उनसे जा कर कहें आप विधान सभा में बैठते हैं तो यह आपका कर्त्तव्य है कि यदि आप समझते हैं कि सर्विस का कोई आदमी बेईमानी करके पैसा लेता है तो मत दो। आप उन्हें इस तरह से समझा नहीं पाते हैं, आप पहुंचते नहीं हैं उनके पास और आप यहां आकर सरकार को गाली देते हैं तो लादने से चले गये तो क्या पादने से चले गये। आपको जाकर यह कहना पड़ेगा कि भाई मत दो पैसा किसी को। आप नुमायन्दे हैं। आप चुन कर आते हैं। आप प्रजातन्त्र के ढांचे के एक पुर्जे हैं। यह आपका काम है कि लोगों को समझायें लेकिन वहां आप पहुंचते नहीं हैं और यहां आकर आप कहते हैं और यहां आकर सरकार को गालियां देते हैं मगर वहां पर कुछ कार्यवाही नहीं करते हैं। अगर इस तरह से बात-बात के लिये कोई रिश्वत देता है तो यह आपके और हमारे लिये शर्म की बात है। हमें यह मखौल पैदा कर देना चाहिए कि रिश्वत लेने वाले समझ जायें कि एम० एल० ए० यह ऐसा है कि रिश्वत ले ली तो हमारी हवा बन्द कर देगा। आपके वोटर्स को बेईमान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आप जाते नहीं और यहां आकर सरकार को गालियां देते हैं तो गालियां देने से काम नहीं चलेगा। आपको टाइम दिया जाता है। साल भर में एक महीना आप यहां रहते हैं और ११ महीने आप अपने इलाके में घूमते हैं तो आपको लोगों को कहना चाहिए कि रिश्वत मत दो, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करेंगे मगर यहां आकर गालियां देंगे।

मैं समाजवाद पूरी तरह से लाने में जो कमियां हैं उनकी तरफ निगाह करूं और हो सकता है कि मंत्री महोदय उसे माने या न माने, लेकिन सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती। आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा।

(अल्प विराम के अनन्तर)

क्यों जी ? तहसीलें जब आपने तोड़ीं तो जिस एक विरोधी सदस्य ने उसका घोर विरोध किया तो आपने उसकी बात मान ली और बनेड़ा तहसील फौरन बना दी, तुरन्त बनेड़ा तहसील बन गई। मुझे अफसोस नहीं बनी उसका। लेकिन राजस्थान में कहावत है "मिनख जाणे जिणने काटे और कुत्तो नहीं जाणे जिणने काटे"। आदमी का स्वभाव है कोई मुकाबला करे उसकी तो रक्षा करो और जो वफादारी रखे उसके ठोकरें

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

लगावो। आपने उन तहसीलों को तोड़ा जो पुराने जमाने से चली आ रही थीं। रायपुर तहसील बहुत बड़ी तहसील थी पुराने जमाने से चली आ रही थी। उसको आपने तोड़ा। बनेड़ा तहसील आपकी कृति थी, आपने बनाई थी उसको आपने तोड़ा, लेकिन उन्होंने विरोध किया तो वापिस बनादी। आप डर के मारे काम करते हैं इसलिये आपको गालियां पड़ती हैं। रायपुर वालों ने क्या जुर्म किया था? आपने यह बतलाया कि खर्चा कम हो गया। क्यों जी? बनेड़ा के पास ही मांडल है, भीलवाड़ा है ९.८ मील दूर तहसीलें दूसरी भी हैं तो भी आपने बनेड़ा क्यों बनाई? डर के मारे बनाई। दूसरी क्यों नहीं बनाई?

सामान्य प्रशासन में खर्चा कम करना चाहते हैं। जहां तक सर्विसेज का सवाल है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाती है यह बात। यदि आप समाजवाद लाना चाहते हैं तो समाजवाद का प्रथम नाम पढ़ना पड़ेगा क, ख, अ, आ, ई, आदि क्यों जी? एक ही तरह की क्वालिफिकेशन के आदमी, एक ही तरह का काम करने वाले जो लोग सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट में काम करते हैं वे एक पे पाते हैं और जो लोग राजस्थान गवर्नमेन्ट में काम करते हैं वे दूसरी पे पाते हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की सर्विस वालों से ६० पर्सेन्ट ७० पर्सेन्ट ही पाते हैं, क्या यह समाजवाद है? क्या यह गुलामी नहीं है? हम भारत सरकार के गुलाम हैं, इसलिये हमारे नौकर कम तनख्वाह पायेंगे और वहां के लोग ज्यादा तनख्वाह पायेंगे? क्या राजस्थान के लोगों ने आजादी के लिये लड़ाई नहीं लड़ी थी? एक ही बाप के दो बेटे एक सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट में काम करता है उसको ज्यादा पे मिलती है और दूसरा राजस्थान गवर्नमेन्ट में काम करता है इसलिये कम तनख्वाह मिलती है। क्या आजादी उन्हीं लोगों के लिये आई है? यदि समाजवाद लाना है तो पहला काम यह करना होगा कि सब की एक ही स्केल आँफ पे हो, एक ही तरह का भत्ता मिले। क्यों जी? आई. ए. एस. भारत सरकार की सर्विस मानी जाती है उनके सौ-सौ रुपये इसलिये बढ़ा दिये गये कि वे भारत सरकार की सर्विस में इण्डियन सर्विस के माने जाते हैं। क्यों जी, वे भारत सरकार की सर्विस के माने जाने वाले भी तो आपके यहां काम करते हैं, फिर यह फर्क कैसे माना जायगा? उनका कैसे बढ़ा दिया? आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, बजट में गुंजायश नहीं है इसलिये हम दे नहीं सकते। पैसा क्यों नहीं है? भारत सरकार कहां से देती है? हमारे यहां की रेलवेज भारत सरकार के पास है, एक्साइज है। शक्कर, कपड़ा आदि पर एक्साइज लगती है उससे उनको बहुत आमदनी होती है और भारत सरकार उस आमदनी के जरिये अपने यहां के नौकरों को ज्यादा पैसा देती है। क्यों जी? आप उनसे अनुदान इस काम के लिये ज्यादा क्यों नहीं मांगते? इसलिये नहीं मांगते कि आपके नौकर आप पर ऐतबार करते हैं। वे चुप रहते हैं इसलिये कि आप अपने आप देखने वाले हैं। यहां पर महंगाई है, उनके बाल-बच्चे हैं उनकी, पढ़ाई, कपड़ों आदि का इन्तजाम करना है, और उसके लिये वे आप पर भरोसा करते हैं यदि भरोसा नहीं करे तो विप्लव हो सकता है। उन्होंने आप पर भरोसा किया लेकिन आपने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। समाजवाद की प्रथम श्रेणी उनके बराबर

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

हमारे यहां के सर्विस वालों की तनख्वाह करने से होगी। ग्राप वायदा करिये कितने दिनों में उनके बराबर पे स्केल्स करेंगे ? तनख्वाह बराबर नहीं की तो समाजवाद नहीं होगा। इन्होने जुलूस निकाला। मैं जुलूस निकालने का पक्षपाती नहीं हूं। इस तरह की गलत बात नहीं करनी चाहिये राजनैतिक दलों के चक्कर में ग्राकर। लेकिन जुलूस निकाला तो ग्रापको भी उस ग्रोर ध्यान देना चाहिये। एक ग्रादमी रेलवे में काम करता है उसको १५०) मिलते हैं ग्रौर उसी श्रेणी का ग्रादमी हमारे यहां काम करता है उसको १००) मिलते हैं। एक ही शहर में एक ही तरह का काम करने वालों में इतना फर्क ? ग्राजादी है ग्रौर समाजवाद लाना है तो यह जो पहला फर्क है उसको पूरा करिये, जल्दी से करिये। यह नहीं करते हैं तो लोगों में ग्रसंतोष बढ़ता है।

मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मुझे शर्म ग्राती है जब मैं ग्रपने यहां पर नौकरी करने वालों से बात करता हूं तो यह लगता है कि भारत सरकार के पास पैसा ज्यादा है इसलिये वे ज्यादा दे सकते हैं। यदि ग्राप पैसा नहीं दे सकते तो सारे देश में एक सरकार बनालें कौन रोकता है। ग्रलग-ग्रलग जगह पर जो पैसा बंटता है उसको मिला लें। भारत सरकार के पास कमाई ज्यादा है तो आप उनसे ग्रनुदान ज्यादा मांगिये। ग्राप उनके बढ़ते हुए ग्रसंतोष को रोक नहीं सकते, लोगों को भूखों मार नहीं सकते। मैं तो इसको इज्जत का सवाल मानता हूं, राजस्थान के दो करोड़ लोगों के लिए इज्जत का सवाल है। मेरे यहां काम करने वालों की तनख्वाह कम ग्रौर मेरे ही शहर में, मेरे ही प्रान्त में काम करने वाले सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के सर्वेन्ट्स की तनख्वाह ज्यादा। यदि ग्राप इस शर्म को नहीं मिटा सकते तो मैं समझता हूं वृथा है, भारत सरकार से ज्यादा पैसा नहीं ले सकते तो वृथा है उनकी पे स्केल्स एक स्तर पर लाने के लिए ग्राप वायदा करिये। एक साल, दो साल, तीन साल, पांच साल कब तक कर देंगे यह वायदा करिये। उनके यहां का एक फोर्थ क्लास सर्वेन्ट जो हमारे ही शहर में काम करता है उसको १००) मिलते हैं ग्रौर मेरे वाले फोर्थ क्लास सर्वेन्ट को ६५) मिलें, उनके यहां के एल. डी. सी. को १७५) मिले ग्रौर हमारे यहां का एल. डी. सी. १००)-१२५) रु. ही पाता है। सामान्य प्रशासन के लिये मुझे यह कहना है कि ग्राप खर्च कीजिये लेकिन कम से कम इस बात का ध्यान रखिये जिनसे ग्राप काम लेते हैं, जिनके द्वारा राज्य चलाया जाता है उनकी तनख्वाह एक समान करें।

दूसरे ग्रंशदान ग्रौर विविध के बारे में मुझे कुछ निवेदन करना है। ग्राप मनोरंजन कर के रूप में बहुत बड़ी राशि लेते हैं ग्रौर इतनी राशि शहरों की जनता से मनोरंजन कर के रूप में ली जाती है ग्रौर जब ग्राप वसूल कर लेते हैं मनोरंजन कर के नाम से ग्रौर एक तरफ सिनेमा देख कर मनोरंजन करके ग्रादमी घर की तरफ जाता है तो गली कूंचे में सड़क पर जाते समय उसको बदबू के मारे नाक बंद करके प्राणायाम करके जाना पड़ता है। जिनसे ग्राप कर लेते हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे इस ग्रोर भी ग्रापको ध्यान देना चाहिये। शहर के लोगों से कर लेते हैं उसको शहर के लोगों के लिये ही लगाना चाहिये। मनोरंजन

(श्री गोकुलप्रसाद)

पर आपने डिमाण्ड की है वह कम है, ज्यादा करना चाहिये थी। इस कर को आप शहर की नगरपालिकाओं को दे दीजिये। जिनकी पब्लिक से आप लेते हैं उन्हीं को दे दीजिये।

निर्माण कार्य के लिये मुझे ज्यादा नहीं कहना है, इतना ही कहना है कि आप जो केपिटल आउट ले में निर्माण विभाग द्वारा पैसा खर्च करवाते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा पैसा इस राजधानी में खर्च होता है और दूसरा पैसा निर्माण का उन बड़े शहरों में खर्च होता है जहां से आप लोग जिनको अच्छे व्यक्तित्व वाले लोग मानते हैं, जो प्रभाव रखते हैं वे अपने शहरों में खर्च करवा देते हैं। पैसा प्रान्त भर का है। गांवों में हाई स्कूल या हायर सेकेन्डरी स्कूल बनाई जाय तो उसके लिये आप पैसा नहीं देते। सड़कें यहां बनाते हैं मुझे ऐतराज नहीं है ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनेंगी तो उन पर गाड़ियां चलेंगी तो आपको टेक्स मिलेगा, यात्री-कर मिलेगा, आमदनी का जरिया है लेकिन यह माना जाता है कि आप शहर में हाई स्कूल अपने पैसों से बना देंगे और गांव वालों से कहेंगे कि वे अपने पैसों से बिल्डिंग बनावें और उसके बाद वे चलावें भी अपने पैसों से। पटवारी लोग झोंपड़ियों में रहते हैं, बरसात में उनके कागज भीग जाते हैं और गल जाते हैं। पटवारियों के पास सारा रेकार्ड रहता है उनके लिये आप पटवारखाना नहीं बनवा सकते। आज इतने बिल्डिंग शहरों में बने हैं वे बहुत हैं। शहरों में ऐसे भी बिल्डिंग पड़े हैं जिन्हें काम में नहीं लिया जाता है। आप जिस तरह से गांवों में जमीन एक्वायर करते हैं उसी तरह से शहरों में बिल्डिंग एक्वायर करिये जिनके पास ज्यादा मकान हैं उनको आप एक्वायर करिये। शहरों में बिल्डिंग्ज पर खर्च करना बंद करिये और गांवों में खर्च करिये ताकि गांवों के लोगों को भी मालूम पड़े की आजादी आई है, गांवों में भी कुछ काम हुआ है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

औषधालय गांवों में ज्यादा से ज्यादा खोलें गावों में पटवारखाने बनें, दूसरे मदों पर खर्चा कम कर दें। ये तो ६३-६४ की मांगें हैं। इस साल अच्छी धनराशि इकट्ठी करके गांवों पर खर्च करिये तो गांव वालों को भी पता लगे कि उनके लिये भी काम हो रहा है। आप गलत जगह पैसा लगा देते हैं। इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स बनाये हैं वे खाली पड़े हैं कोई लेने वाले नहीं हैं, कई जगह अधूरे पड़े हैं। आप उनको पूरा कीजिये और जहां बेकार पैसा लगाया जाता है वह न लगावें।

एक आपने सड़क तथा जल परिवहन के अन्दर पैसे की और मांग की है। आपने उसका अलग से निगम बना दिया है। लेकिन आप कहेंगे कि इस वर्ष निगम नहीं बना था। लेकिन आज भी आपने इस साल के बजट में अलग मांग की है, तो इस साल तो निगम बना हुआ है। फिर कौनसा पैसा ? इस साल के बजट में हमें खर्च नहीं करना चाहिए जब कि आपने अलग कॉर्पोरेशन बना दिया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

मैं कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा आप सर्विस क्लास का वैसा ही खयाल रखिये जैसा आप अपने बाल-बच्चों का और परिवार का रखते हैं। आज पूरी तरह से कांग्रेस को समाजवाद के लिए काम करना चाहिए। वह केवल नारा ही नहीं लगायें बल्कि कुछ करना भी चाहिए। अगर आप तकलीफ देंगे लोगों को तो कभी देश में समाजवाद नहीं आने वाला है।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए।)

श्री उपाध्यक्ष : विनियोग विधेयक पर बोल लें। पहले यह मांग पास हो जाय, फिर विनियोग विधेयक आयेगा ही।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री से) yes please.

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज १०३ केपिटल आउट ले-पब्लिक वर्क्स १६६३-६४ की एक्सेस डिमाण्ड के ऊपर बहस हो रही है। मैं उम्मीद तो यह करता था कि एक्सेस के ऊपर कुछ बातचीत होती लेकिन जैसा यहां डिबेट का रूप धारण हुआ उसमें एक जनरल डिबेट की तरह से बातें रखी गई। पहले तो मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि यह एक्सेस क्यों हुई ? ज्यादातर एक्सेस, जो-जो काम हमारा पी. डब्ल्यू. डी. का वर्क्स करता है उसके ऊपर प्रोरेटा चार्जेज केलक्यूलेट १० पर्सेन्ट से होते थे, और वह धनराशि क्योंकि एकाउन्टेन्ट जनरल ने उसका पर्सेन्टेज बढ़ा दिया। दस पर्सेन्ट से तेरह पर्सेन्ट कर दिया। उससे जो प्लान एक्स-पेंडीचर था उसके अन्दर बढ़ोतरी हुई और जो एक्सेस डिमाण्ड आपके सामने यहां पेश की गई है उसमें से ज्यादातर एमाउन्ट इस बात का है, वह पर्सेन्टेज दस पर्सेन्ट से तेरह पर्सेन्ट हुआ है और क्योंकि ए. जी. ने उसका पर्सेन्टेज तेरह पर्सेन्ट रखा है, इसलिए यह जो एक्सेस आया है यह उससे कवर होता है।

इसके अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में भी १,४७,८०१ रु० की एक्सेस हुई है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जहां तक एक्सेस डिमाण्ड का सवाल है वह बात मैंने माननीय सदस्यों के सामने रखी।

जहां तक कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि तहसील हैडक्वार्टर और एस० डी० ओ० हैडक्वार्टर्स हैं वह अभी तक जुड़े नहीं हैं। इसके बारे में जब जनरल डिबेट हो रही थी पी. डब्ल्यू. डी. की, उस वक्त भी मैंने निवेदन किया था कि जितनी धनराशि पी. डब्ल्यू. डी. को उपलब्ध होगी उतना ही पी. डब्ल्यू. डी. काम कर सकती है। फर्स्ट प्लान में जो प्लान एलोकेशन्स थे उनका १०.२६ पर्सेन्ट एलोकेशन पी. डब्ल्यू. डी. का हुआ। उसके बाद सेकिण्ड फाइव ईअर प्लान के अन्दर ६.७ पर्सेन्ट टोटल प्लान एलोकेशन्स का पी० डब्ल्यू. डी. को एलॉट हुआ था। थर्ड फाइव ईअर प्लान में जो फिगर कम नजर आता है ३.१६ पर्सेन्ट टोटल प्लान एक्सपेंडीचर का उसमें खर्च हुआ। लिहाजा कई स्कीम जो पी. डब्ल्यू. डी. की थी और यह जो हमने सोचा था कि हर तहसील हैड क्वार्टर को एस० डी० ओ० हैडक्वार्टर से जोड़ दिया जायगा-वह भी मैंने माननीय सदस्यों के सामने रखा था कि अभी तक १८ तहसील ऐसी हैं

(श्री हरिश्चन्द्र)

जो कनेक्टेड नहीं हैं और इस बात का पूरा प्रयत्न किया जायगा, अगर पर्याप्त धनराशि मिले तो तहसील हैडक्वार्टर तक हम पहुँच जायं। तो अगर ज्यादा धनराशि मिली तो हम ज्यादा काम कर सकेंगे।

यहां पर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने हाई कोर्ट के बारे में और सरकार की नीतियों के ऊपर कुछ आक्षेप किये। मैं इसके बारे में यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक मेरा सवाल है और मेरे महकमे का सवाल है, हम इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी चर्चायें यहां पर हों और जो ऐसी बातें नजर आयें कि जिससे इस एडमिनिस्ट्रेशन का टोन सुधारा जा सकता है तो उसका पूरा प्रयास करते हैं। माननीय सदस्य ने पिछली साल इस बात को कहा था, और उसके साथ मार्क्स शीट भी पेश की गई थी, फोटोएस्ट कापी भी जिसके अन्दर माननीय सदस्य को ऐसा महसूस और प्रतीत होता था कि उसके अन्दर जो टोटलिंग हैं उसके अन्दर गलती है और उस गलती के कारण जो इन्जीनियर्स हैं उनके आज हक और हकूक सुरक्षित नहीं हैं। मैंने उस वक्त माननीय सदस्य के सामने और सदन में यह कहा था कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा। और मैंने इसकी जांच करवाई सेक्रेट्री पी० डब्ल्यू० डी० श्री खेमचन्दजी को स्वयं मैंने पी. एस. सी. के चेयरमैन के पास भेजा और मेम्बरान के पास भेजा और चेयरमैन साहब ने और सेक्रेट्री साहब ने बैठ कर उस मार्क्स शीट को एग्जामिन किया और एग्जामिन करने के बाद में उनकी यह रिपोर्ट है कि मार्क्स शीट के अन्दर जो टोटलिंग है वह सही है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : टोटलिंग की शिकायत नहीं थी।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : डिफेन्ड कर रहे हैं कुछ भी कह दें।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं कि टोटलिंग के लिये तो आप उसे मामूली एल. डी. सी के पास भेज देते। आपने चेयरमैन पी. एस. सी. के पास टोटलिंग की जांच करने के लिये भेजा, उसके अलावा तो आप किसी एल. डी. सी. के पास भेज देते तो वह बता देता। लेकिन जो पॉईन्ट अन्डर डिस्प्यूट था उसके बारे में आप ..

श्री हरिश्चन्द्र : मैं वही कह रहा हूं। चीफ इन्जीनियर के पास से फोटोएस्ट कापी आप उड़ा कर लाये ....

श्री मानसिंह महार : उड़ा कर लाने से क्या मतलब है ?

श्री हरिश्चन्द्र : उड़ा कर ही लाये होंगे। मुझे क्या मालूम है कि कैसे लाये। आप उड़ा कर ही लाये होंगे।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या उसके पर लग गये थे।

श्री दयाचन्द सोन (बारां) : आप क्या करते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : आप इतना कहते हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कहते। हम कुछ अर्ज कर देते हैं तो आपके भुर्रट लग जाती है और उचकते फिरते हैं।

श्री मानसिंह महार : हम तो मिर्ची लगाते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : भुर्रट कौन लगायेगा, यह तो देख लेंगे। ६७ आ रहा है नजदीक।

मैं अर्ज करना चाहता हूं, आपने कहा था कि चीफ इन्जीनियर की मार्क्स शीट है उसके टोटलिंग में और पी. एस. सी. के पास में जो टोटलिंग है उसमें फर्क है। आपने यह बात कही थी। क्या यह नहीं कहा था आपने ?

श्री भैरोंसिंह : यह नहीं कहा था। पॉइन्ट यह नहीं था। पॉइन्ट यह था कि पी. एस. सी. के पास जो मार्क्स शीट भेजी गई वह दूसरी थी और जिस मार्क्स शीट के बेसिस पर प्रमोशन दिये हैं वह दूसरी थी। इसको फेब्रीकेट करके पी. एस. सी. के पास भेजा गया। अभी भी अलग-अलग है।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं समझता हूँ माननीय सदस्य बहुत रेस्पोन्सिबल एम. एल. ए. हैं, उसका प्रोसीजर यह है कि जो कमेटी बैठती है वह मार्क्स देती है। जो फोटोएस्ट कॉपी आपके पास आई वह फोटोएस्ट कॉपी चीफ इन्जीनियर के मार्क्स शीट की है। पी. एस. सी. के पास अलग मार्क्स शीट रहती है। आप खुद बतावें, अब चीफ इन्जीनियर के मार्क्स के टोटल में और पी. एस- सी. के टोटल के अन्दर अन्तर होता तब तो मानते कि दोनों में फर्क है, इसलिए चीफ इन्जीनियर ने गलती की है। जब उनका टोटल और उनका टोटल मिलता है तो इस बात को निस्सन्देह कहा जा सकता है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। एक आदमी को चीफ इन्जीनियर ने ४ मार्क्स दिये और बाद में ३।। कर दिये। पहले चार मार्क्स दिये वह रिपोर्ट तो पहले चली गई और ३।। वाली फाइल हो गई।

श्री हरिश्चन्द्र : आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मुझे जानकारी है। मैंने फोटो कॉपी सदन में रखी है।

श्री हरिश्चन्द्र : हर आदमी अपने-अपने मार्क्स देता है और उसमें सी. ई. के पास भी मार्क शीट रहती है। चीफ इंजीनियर और पब्लिक सर्विस कमीशन के टोटल एक हैं।

श्री भैरोंसिंह : झगड़ा किस बात का है इसके लिये क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि जिस सदस्य ने सदन में फोटो-एस्ट कॉपी सदन में रखी उनको भी बुला कर पूछ लेते।

श्री हरिश्चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बुलाने का प्रश्न नहीं है। आपने जो कुछ कहा है उसकी सारी वरबेटिम रिपोर्ट मैंने ली है और पढ़ी है और उस पर नोटिंग हुआ है और सेक्रेट्री को आदेश दिया है कि वे पी. एस. सी. में जा कर मिलें और पूछें कि मार्क शीट में क्या मार्क्स हैं और चीफ इंजीनियर की कॉपी में और उसमें कोई अन्तर है क्या ? उन्होंने कहा कि कोई नहीं है। जो उनकी रिपोर्ट है वह यह है और जब ऐसी स्थिति होती है तो मैं सदन में कह सकता हूँ कि इसकी एन्क्वायरी की गई है और मैं यह कहूं कि इसमें कोई खुराफात या बेईमानी नहीं हुई है।

श्री भैरोंसिंह : आप इस बारे में डिस्कस करने के लिये तैयार हैं क्या ? आपको जो ऐसा कहने वाले हैं उनको भी बुला लें और डिस्कस कर लिया जावे।

श्री हरिश्चन्द्र : जो पी. एस. सी. की मार्कशीट होती है वह कॉन्फिडेन्शियल होती है। हमने उनसे जाकर नम्र निवेदन किया कि इस प्रकार की बात है। आप देखें वास्तव में क्या बात है। इस पर उन्होंने यह कहा कि there are no differences in the total. It is a confidential record.

श्री भैरोंसिंह : आप उनके रेकॉर्ड को छोड़िये। मैंने मार्कशीट पेश की है...

श्री हरिश्चन्द्र : आपने चीफ इ'जीनियर की मार्कशीट पेश की है, जिसके लिये आप कह रहे हैं और चीफ इ'जीनियर की टोटल है वह हर इन्डिविजुल के पास है। मैंने तो इसके बारे में जो कहना था कह दिया।

श्री भैरोंसिंह : मार्कशीट के बारे में आपके जो कन्टेन्शन्स हैं उनसे हमें संतोष नहीं है। दूसरे मामले की आपने जांच की है। इस मामले में हम बैठ कर आपस में डिसकस कर लें और अगर हम आपको इस बात को साबित कर दें और आपको कन्विन्स कर दें कि वास्तव में फेब्रिकेट किया गया है तब आप उसकी एन्क्वायरी करा लें।

श्री हरिश्चन्द्र : प्राइमाफेसी केस तभी बनता है जब कि मार्कशीट में फर्क हो, but there is no difference between that and the one that is with the Public Service Commission.

पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमेन ने कह दिया कि इसमें कोई अन्तर नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप जब यह कहते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन की मार्कशीट कॉन्फिडेन्शियल है और चीफ इ'जीनियर और पी. एस. सी. की मार्कशीट एक है उसमें कोई अन्तर नहीं है तो ऐसी हालत में चीफ इ'जीनियर की मार्कशीट को बेसिस बनाया जा सकता है और अगर चीफ इन्जिनीयर की मार्कशीट है उसको टोटल में कोई गड़बड़ी बता दी जावे तो ....

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसा नहीं हो सकता। आपने जो फोटोस्टेट कॉपी दी है वह पेंसिल से लिखी है। जो टोटल है पी. एस. सी. ने अपनी रिपोर्ट हर केन्डीडेट के बारे में दी और फोटोस्टेट कॉपी में कुछ अन्तर है क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सी. ई. ने ४ मार्क दिये और ३॥ दिये। टोटल ७॥ हुआ। टोटल तो ७॥ मिलेगी। मगर टोटल ही गलत किया गया है।

श्री हरिश्चन्द्र : ई कॉलम है, वहां पर रेकार्ड किया गया है। We have taken the record of the Public Service Commission and not of the Chief Engineer. आप कहते हैं सी. ई. की, हमने पी. एस. सी. से मिलाया है। वह टोटल ठीक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक सुपरिन्टेन्डिन्ग इ'जीनियर माथुर है उनके ६२ मार्कस् आते हैं। बिना ६२॥ के उनका कन्फर्मेशन नहीं हो सकता। उनको जो ५ वर्षों के मार्क दिये वे ६२ और उससे वे कन्फर्म नहीं हो सकते। ६२॥ होते हैं तो होते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : आपके कहने का मतलब यह है कि आधे मार्क का फर्क है। अगर वह हिसाब भी होता तो पब्लिक सर्विस कमीशन

(श्री हरिश्चन्द्र)

में तो हर कॉलम में मार्क्स अलग-अलग होते हैं। हर कॉलम में था वह टोटल ६२॥ हो आती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें गवर्नमेंट को यह तय करना होगा कि एक ६२॥ देता है और दूसरा ६२ मार्क देता है, तो कौनसा सही है। एक में अगर ६२ मार्क आते हैं तो वह क्वालीफाइड नहीं होता और ६२॥ पी. एस. सी ने दिये हैं तो वह क्वालीफाइड हो जाता है।

श्री हरिश्चन्द्र : आपका मतलब यह है कि टोटलिंग में गलती हुई है। हमने पब्लिक सर्विस कमीशन की रिकमन्डेशन मानी है। अगर उसमें कोई गलती होती तो हम चेयरमैन से बात करते। इन्डिविज्युल कॉलम में है, वही है और जो सी. ई. की टोटल है वह सही है।

श्री भैरोंसिंह : फोटोस्टेट कॉपी जो पेश की गई है उसकी टोटल जो आपको दिखाई थी वह सही है या गलत है?

श्री हरिश्चन्द्र : सतीशचन्द्रजी ने कहा कि आधे मार्क का फर्क है। टोटल है वह सही है। इसमें कोई फर्क नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : टोटलिंग गलत थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर): एक आइटम मैंने बताया है...।

(शोरगुल)

सदन की मेज पर रखी गई। माथुर सुपरिन्टेन्डिंग इन्जिनियर के आते हैं ६२ मार्क्स। पी. एस. सी. के आते ६२॥ मार्क। यह कहा गया कि सी. ई. के मार्क्स डिफरेन्ट और पी. एस. सी. के अलग हैं। यह भी गलत है।

श्री हरिश्चन्द्र : आपने कहा, ऐसी बात होती तो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ऐसा नहीं कहते। वे खुद कहते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। जब इस बारे में हमारे सेक्रेट्री जो इनडिपेन्डेन्ट हैं और उनके सेक्रेट्री से बात कर आये तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को इससे संतोष होना चाहिये और इस पर यह कहना कि सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार सोती रहती है, इस प्रकार के आक्षेप आपके निराधार है। आप इस पर डिसकस करें, मुझे कोई आपसे डिसकस करने में कोई एतराज नहीं है। Certainly you can come and discuss this matter. I shall call my Secretary and you can talk the matter with him. मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। आप डिसकस करें, वे आपको बतावेंगे। मगर मैं यह कहता हूं कि आप यह आक्षेप लगाते हैं कि सरकार सोती रहती है, कुछ नहीं करती, सरकार जागरुक नहीं है, सरकार बेईमानों को प्रोत्साहन देती है ऐसी बात नहीं है। आपने एक प्रश्न उठाया। सरकार ने उसकी छानबीन की और आपके सामने पेश की। आपको उससे संतोष नहीं है। आपके पास और फेक्ट्स हों उनको देखने के बाद और कार्यवाही की जावेगी और अभी तक जो कार्यवाही हुई है उससे हम सेटिसफाइड हैं। आप फिर हम से मिल लें, हम और देखेंगे।

यहां पर फेमीन रोड्स के बारे में जायल से आने वाले माननीय सदस्य ने

(श्री हरिश्चन्द्र)

कहा, उसके बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूं, उसको दोहराने का कोई मकसद नहीं है।

एक यह कहा गया कि अजमेर में घोटाले हुए उस पर कदम नहीं उठाया गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला जब से उठा कार्यवाही की गई, ऑफिसर्स पर चार्जशीट सर्व की गई है और जवाबात आ रहे हैं, जवाबात आने पर मामला डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी कमिशन के पास चला जायेगा और कार्यवाही की जायगी। यह कहने के बाद माननीय सदस्यों को संतोष होना चाहिये कि कार्यवाही की गई। यह कह देना कि आफिसर्स को सस्पेन्ड करें तभी जाकर कोई चीज दिखती है तो सस्पेंशन के भी कायदे हैं, जिस तरह का काम या जिस तरह के चार्जेज प्राइमाफेसी होती हैं, उनके अनुसार कार्यवाही की जाती है।

श्री भैरोंसिंह : अलग अलग लोगों के के लिये अलग अलग कायदे हैं। इस राज्य में ऐसा भी कायदा है कि एक एक वर्ष से लोग सस्पेन्डेड हैं, उनको कोई चार्जशीट नहीं दी गई है और जिन लोगो को चार्जशीट सर्व की गई है उनको सस्पेन्ड नहीं किया गया है। इस राज्य में ही इस प्रकार के कायदे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : कई साल से सस्पेन्ड पड़े हैं. मैं कोई वकालत नहीं करता जो उचित कार्यवाही होनी चाहिये वह कर रहे हैं। हर चीज सस्पेन्शन से ही साबित हो ऐसी बात नहीं है, ग्रेविटी ऑफ चार्जेज के आधार पर देखा जाता है कि सस्पेन्शन करना चाहिये या नहीं।

जो अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया और आपने भी कहा उनके बारे में मैंने निवेदन किया कि चार्जशीट्स सर्व की गई है, रिप्लाई आ रहे हैं, रिप्लाई आने के बाद डिपार्टमेन्टल एन्क्वारी कमिश्नर के पास मामला चला जायगा।

श्री भैरोंसिंह : तब तक मामला ठंडा भी पड़ जायगा। इलेक्शन दुबारा हो जायेंगे, मन्त्री बदल जायेंगे और कह देंगे कि मेरे समय का मामला नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : एक्सपीडाइट किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : चार साल का मामला है, उसके लिये आप कह रहे हैं कि बहुत एक्सपेडाइट किया है।

श्री हरिश्चन्द्र : जो चीज थी वह कह दी, अब तक जो स्थिति थी वह मैंने कह दी।

उपाध्यक्ष महोदय, आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़े लहजे से, बड़ी हंसी से इस बात को कहने की कोशिश की कि जो भ्रष्टाचार पी० डब्ल्यू० डी० के अन्दर है उसका मुख्य कारण मैं ही हूं, यह आपका आरोप मेरे ऊपर है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : इसमें शक थोड़े ही है।

श्री हरिश्चन्द्र : और यह आपने इस सदन तक ही सीमित नहीं रखा इसका मुझे दुख है, खेद है। क्योंकि अगर आप जो मेम्बरान यहां बैठे हुए हैं और जैसी भी सेवा इस सदन की या राजस्थान की करते हैं, हम लोगों की भी इज्जत है, इधर बैठने वाले हैं उनकी भी इज्जत है, उधर बैठने वाले हैं

(श्री हरिशचन्द्र)

उनकी भी इज्जत है। हम लोग इस बात में विश्वास करते हैं कि डेमोक्रेसी के अन्दर, जनतन्त्र के अन्दर यह निहायत जरूरी है कि बातें स्पष्ट रूप से आनी चाहिये, इसमें भी दो राय नहीं लेकिन कोई डेकोरम भी होना चाहिये और उस कहने के पीछे।

श्री भैरोंसिंह : डेकोरम ट्रेजरी बैंचेज तो मेन्टेन करती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : ट्रेजरी बैंचेज को अवश्य करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : अवश्य करना चाहिये, यह तो तुलसीदासजी का सिद्धान्त है। करते हैं या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : करती हैं।

तो मैं यह कह रहा था कि हर एक माननीय सदस्य, चाहे इधर बैठे हों, चाहे उधर बैठे हों, उन बातों को सदन में रखें जिनसे हमारे डिपार्टमेन्ट का इम्प्रूवमेन्ट हो, राजस्थान तरक्की के रास्ते पर लग सके, यह हर माननीय सदस्य का कर्त्तव्य होना चाहिये। इस सदन तक ही सीमित रहना चाहिये। मुझे इस बात का बड़ा दुख है, खेद है कि आमेर से आने वाले माननीय सदस्य मुझे चाहें जो गाली दें, जनतन्त्र की प्रणाली है, सुनना पड़ता है और सुनते हैं, पर मेरे कलिग XXXX

श्री मानसिंह महार : मैं कहता हूं। मैं जो कहता हूं फैक्ट्स कहता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र : आप कहां पर गये हैं राजस्थान छोड़ कर ?

श्री मानसिंह महार : मैं यू० पी० गया हूं, उत्तरप्रदेश गया हूं, बिहार गया हूं, आप कहेंगे तो तारीखें भी बता दूंगा।

श्री हरिश्चन्द्र : कब ?

श्री मानसिंह महार : इस वक्त तारीखें लेकर थोड़े ही आया हूं, मैं कोई महाराजा हरिश्चन्द्रजी के इम्तिहान लेने के लिये नहीं गया हूं, स्टेटमेन्ट दे दिया।

(श्री हरिश्चन्द्र और श्री मानसिंह दोनों एक साथ बोलने लगे) मेरी सुन लीजिये।

श्री हरिश्चन्द्र : I am in possession of the floor.

श्री मानसिंह महार : I am in possession of the floor.

श्री हरिश्चन्द्र : आप बैठे।

(शोरगुल)

श्री मानसिंह महार : आप कोई नहीं हैं मुझे कहने वाले कि बैठ जाइये।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री मानसिंह महार : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर प्लीज।

श्री उपाध्यक्ष : आप इतनी देर पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पर नहीं बोले।

श्री मानसिंह महार : मन्त्री महोदय ने मुझे कहा कि आप बैठ जाइये, वह कोई हक नहीं रखते, आप आदेश दें तो बैठ जाऊंगा। वे कहेंगे तो नहीं बैठूंगा। जब तक मन्त्री महोदय नहीं बैठेंगे मैं कभी नहीं बैठूंगा।

XXXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाले गए।

श्री हरिश्चन्द्र : आप सहयोग दीजिये। आप बोलते हैं तो मैं इन्टरप्ट नहीं करता।

(शोरगुल)

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

आपने जो कहा है वह लज्जाजनक है, वह आपको शोभा नहीं देता। आपको तो "हैं-हैं" करना आता है और कुछ आता नहीं।

(शोरगुल)

आप बैठ जाइये।

श्री मानसिंह महार : ओन ए पोइन्ट ऑफ पर्सनल एक्स्प्लेनेशन, सर, जो हमको यह सबक देते हैं मन्त्री महोदय ....

(शोरगुल)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके आदेशों का पालन नहीं हो रहा है।

ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर,

श्री भैरोंसिंह : चेयर लेग पर हैं और दो माननीय सदस्य खड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Let there be one point of order.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order, Sir. What is the reason ?

पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर के ऊपर इस प्रकार की अव्यवस्था पैदा करना कहां तक उचित है ?

श्री मानसिंह महार : आप चेअर को गाइड कर रहे हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपको गाइड कर रहा हूं।

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर.......

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आपका पर्सनल एक्सप्लेनेशन सुन लिया जायगा। अभी मन्त्री महोदय बोल रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : मन्त्री महोदय ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, उसके लिये पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यथा समय उठायें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : आपकी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, सर........

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : बाद में उठा लें, अभी मन्त्री महोदय बोल रहे हैं। No point of personal explanation in the debate.

श्री हरिश्चन्द्र : मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो माननीय सदस्य यहां मेम्बर नहीं हैं, उनके बारे में माननीय सदस्य यह कहें....

श्री मानसिंह महार : Again, Sir, on a point of personal explanation.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : No interruption.... ....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आप नियमों से परिचित हैं.......

श्री मानसिंह महार : मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, पर मुझे पर्सनल एक्सप्लेनेशन का मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : पर्सनल एक्सप्लेनेशन का समय दिया जायगा, पर बीच में नहीं। Let him finish, please.

श्री मानसिंह महार : मेरे ऊपर आरोप लगाया है, उसके बारे में मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। एक घण्टे तक आपस में बातचीत हुई, तब तो आपने कुछ नहीं फरमाया। एक घण्टे तक जनसंघ के नेता के और उनके बीच में बातें हुईं। उनमें इतना डेकोरम नहीं है कि चेयर की तरफ देखें ....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : हम आपकी ऐसी बातों को सुन नहीं सकते।

श्री मानसिंह महार : नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य.... ...

(शोरगुल) (घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज्।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हम ऐसी बातें नहीं सुन सकते हैं.......

(शोरगुल) (अनवरत घण्टी)

श्री मानसिंह महार : आॅन ए पॉइन्ट आॅफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन .. ...

श्री उपाध्यक्ष : No point of personal explanation.

(शोरगुल)

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय.......

श्री उपाध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दे सकता। जब मन्त्री महोदय अपना भाषण समाप्त कर लें तो उस समय आपको यथा-समय अवसर दे सकता हूं।

श्री मानसिंह महार : फिर मैं भाषण दूंगा १५ मिनट का, अभी तो एक मिनट में ही पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा कहिए।

श्री मानसिंह महार : ××××

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

श्री हरिश्चन्द्र : यह बड़ा आॅगस्ट फोरम है और उसकी प्रतिष्ठा रखना मेरे अकेले का ही फर्ज नहीं है, सब माननीय सदस्यों का है और जितने भी माननीय सदस्य यहां पर इस समय बिराजमान हैं मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रतिष्ठा को देखते हुए वैसे ही काम करेंगे। जो आमेर के माननीय सदस्य आते हैं, वह कहते क्या हैं, करते क्या हैं, उसमें बड़ा अन्तर है। मैंने उनसे कहा और आज भी मैन्टेन करता हूं कि आपने जो कुछ कहा, आप न तो वहां गए न आप यू० पी० गए न आप मध्य प्रदेश गए न आप पंजाब गए, न इस खोज में गए। यह एलीगेशन बेसलेस है।

(शोरगुल)

×××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाले गये।

Page No. 104

श्री मानसिंह महार : मेरी पार्टी (अश्रव्य)

(शोरगुल-अनवरत घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री हरिश्चन्द्र : आप जवाब नहीं देते है। यह आप आगस्ट बॉडी के माननीय सदस्य हैं। "माननीय" इसलिये कहते हैं कि आप मान्यता के योग्य होंगे, लेकिन मुझे अफसोस है कि आप इस मान्यता के योग्य नहीं हैं।

श्री मानसिंह महार : हो हो हो।

श्री हरिश्चन्द्र : हो हो हो।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपके नाम के आगे "माननीय" शब्द काटा जाय।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इन सब बातों से यही लगता है कि इन्होंने चार्ज लगाया है और मंत्री महोदय इन्कार कर रहे हैं। हम क्या लेकर जाएं, कोई इन्क्वायरी तो हो। सदन ने एक व्यवस्था कर रखी है कि ऐसे मामलों को जांच करने के लिए प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया जाय।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं कह रहा था कि जो माननीय सदस्य यहां पर हैं नहीं, उनके बारे में कम से कम ..

श्री भैरोंसिंह : इन्होंने तो आपके लिए भी कहा है।

श्री हरिश्चन्द्र : जहां तक मेरा सवाल है, that is a different matter, लेकिन जो माननीय सदस्य यहां नहीं हैं, मेरे कलीग्ज हैं, उनको लेकर यह कहते हैं, this is something wrong and he must apologise for that.

श्री भैरोंसिंह : हमारा प्रोपोजर है कि........

श्री हरिश्चन्द्र : मैं कहीं भी चलने के लिए तैयार हूं, वे प्रूव कर दें कि २५ परसेन्ट मैंने खाया है, I shall go to the Privileges Committee.

श्री मानसिंह महार : मैं तो कहता हूं कि २५ पर्सेन्ट आप ठेकेदारों से लेते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : व्यवस्था का प्रश्न है....

(शोरगुल-अनवरत घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं। आप कई बार व्यवस्था दे चुके हैं इन्टरप्शन्स के संबंध में लेकिन इस तरह की बातें करके एक बात को यहां पर लाया जाय और जिस रूप में रखा जाता है उसके बारे में जो उसको तय करने की व्यवस्था है उसके लिए जिस तरह से आपकी व्यवस्था चाहिए इन्टरप्शन्स के बारे में, जैसे दोनों ने कहा, आपने कहा बाद में पूछेंगे। यहां पर एलीगेशन्स और काउन्टर-एलीगेशन्स से यहां पर कुछ भी किया जा सकता है। हमारे सदन की जो कीमत है, हम बोलते हैं उसका असर होता है। वह आदमी कहे कि उस एम० एल० ए० का असर है जब कि कोई नहीं लेना चाहता। अन्त में मैं पूछना

[श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा]

चाहता हूं कि सवाल जवाब की कोई व्यवस्था नहीं है। यह इस तरह से नहीं हो सकता है। कौन आदमी किस तरह से किसके पीछे पड़ रहे हैं, क्यों पड़ रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया भाषण न दें। इस विषय में जो माननीय सदस्य कहते हैं उनकी भावना का मैं आदर करता हूं। यह स्पष्ट है कि हरेक बात के नियम बने हुए हैं। एलीगेशन्स, पर्सनल एलीगेशन्स भी दिये जायं तो उस विषय में एक नियम बिल्कुल स्पष्ट है कि चेयर को उस विषय में पहले ही सूचना देनी होगी, उसकी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। उसके अलावा जो जिन-जिन विषयों को उठाया जाता है कट मोशन्स आदि से उसका जवाब दिया जाता है। वह जवाब स्टेटमेन्ट की तरह, रिप्लाई की तरह होता है। उसमें यह आवश्यक नहीं है कि जैसे आप जवाब चाहें वैसे जवाब आए। अगर जवाब से असंतोष है तो नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि माननीय सदस्य या सदन क्या कार्यवाही करें। वोट हां और ना पक्ष में दिया जाता है। वह संतोष या असंतोष व्यक्त करने का ही तरीका है। अगर इस प्रकार बीच में विश्राम विक्षेप किया जाता है तो गलत है। प्रत्येक माननीय सदस्यों को इस सदन की प्रतिष्ठा का खयाल होना चाहिए और प्रत्येक माननीय सदस्य सदन के नियमों से अवगत हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा इस विषय में कि जो पजेशन आॅफ दी फ्लोर में हों उनको अपनी बात कहने दिया जाना चाहिए। अगर बीच में थोड़ा इन्टरप्शन होता है तो और संगत रूप में कहा जाय तो आपत्ति नहीं। लेकिन बिल्कुल भाषण दिया जाय तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौनसी चीज चल रही थी, और क्या प्रतिपादित किया जा रहा था। सारा सदन सारी बात को सुनने के लिए तैयार होता है। एक विशेष बात के लिए अटक जाय तो समूचे सदन के लिए उचित नहीं होता। माननीय सदस्यों को मालूम है कि जो पजेशन आॅफ दी फ्लोर में हो उसको कैसे सुना जाय और बाद में किस प्रकार से स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछा जाय, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। पाईन्ट आॅफ आॅर्डर क्या होता है? वह केवल व्यवस्था के लिए होता है न कि अपनी बात को कहने के लिए होता है। इसलिए इसमें जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, मुझे इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं माननीय सदस्य समझ सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस वषय में जवाब हो चुका है और अगर कोई भी मंत्री जवाब देना चाहें तो वह दे सकता है।

श्री हरिश्चन्द्र : आपने जो फरमाया वह तो शिरोधार्य है, लेकिन मुझ पर जो चार्ज लगाया है उसके बारे में क्या है?

श्री मानसिंह महार (आमेर) : मैं फिर खड़े होकर चार्ज लगाता हूं, मैं बिल्कुल ओपनली चार्ज लगाता हूं।

श्री भैरोसिंह : पॉईन्ट आॅफ आॅर्डर।

श्री हरिश्चन्द्र : XXXX

श्री मानसिंह महार : मैं चेयर की आज्ञा मानने को तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में जो श्री ज्वालाप्रसाद ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था उस पर केवल जनरल बात कही थी। अब मैं कह चुका हूं कि अगर चार्ज कटौती प्रस्ताव के समय पर्सनल चार्ज के रूप में है तो प्रथम तो आसन को सूचना देनी चाहिए

XXXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाले गये।

[श्री मानसिंह महार]

और अगर है तो जो कुछ माननीय सदस्य उचित कार्यवाही कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। यहां जो उसका स्पष्टीकरण देना चाहें दे सकते हैं, जो कुछ कार्यवाही करना चाहें कर सकते हैं।

श्री मानसिंह महार : Agreed Sir.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आपने फरमाया कि हर बात का प्रोविजन है। हाउस में मेम्बर को बोलने की स्वतन्त्रता है और उसके भाषण में ऐसी बात आये जो असत्य हो या व्यक्तिगत आरोप है उसको डिनाई करते हैं उस सीमा तक बात आती है उससे आगे बढ़ना चाहते हैं और पोजीशन को विन्डीकेट करना चाहें तो उसके लिये विशेषाधिकार का प्रोविजन है। स्वायत्त शासन मन्त्री ने किन्हीं माननीय सदस्य के खिलाफ धमकी दी थी कि विशेषाधिकार का प्रस्ताव लावेंगे, वे नहीं ला पाये तो मन्त्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी पोजिशन को विन्डीकेट करना चाहते हैं तो खड़े होकर आप कहिये कि विशेषाधिकार का प्रस्ताव ला रहा हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप कहते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप जिस तरह से इस चीज को देखना चाहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मानसिंह महार : आपकी वेल्यू हम समझते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हम भी सब जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस विषय में सारी सिचुएशन स्पष्ट कर चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह : प्रिविलेज का मोशन नहीं है फिर।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : किस बात का प्रिविलेज का मोशन है या तो व्यवस्था के आधार पर माननीय सदस्य लिखकर भेजते और चार्ज लगाते हैं तो केटेगरिकली जवाब देते। आपने खड़े होकर कह दिया। किस बात का प्रिविलेज मोशन ? जो आपने कहा उसको हाउस समझ गया कि सत्य किधर है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : दुनिया समझ गई है।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह चार्ज लगाया गया है वह बेसलेस और अनफाउन्डेड है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे ऊपर कोई चार्ज लगा तो हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन हम जो कुछ करना चाहते हैं वह प्रोसीजर के माफिक करेंगे। XXXX तो इस प्रकार इस हाउस में यह चीज़ कहना इस हाउस के लिये शोभाजनक चीज़ नहीं है जिस मोटिव और जिस इम्प्रेशन से आपने यह कहा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ओन ए पॉइन्ट ऑफ आर्डर, सर। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मैं व्यवस्था के कोटेशन भी दूंगा...

XXXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपके ही प्रश्न पर कह चुका हूं कि पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर व्यवस्था के लिये होता है भाषण देने के लिये नहीं होता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : व्यवस्था प्रश्न का सिर्फ इतना ही है मैं मानता हूं व्यवस्था दी गई है, लेकिन व्यवस्था का प्रश्न सिर्फ इतना ही है कि ऐसी गवर्नमेन्ट, ऐसे सदन दूसरी जगह हकूमतें चल रही हैं, उनके बारे में या उनकी हकूमतों के बारे में इस सदन के अन्दर कोई भी ऐसी चीज आवे जिसका जवाब वे दे नहीं सकते, सरकार जिम्मेदारी से उसके बारे में जवाब दे नहीं सकती, ऐसी चीज नहीं आने देनी चाहिये और आती है तो उसको एक्सपन्ज करना चाहिये। यह मौलिक चीज है और यह शुरू हो गयी तो बंगाल के और केरल के ऑफिसर्स को गाली देने की हमको छूट मिल जायगी। कांग्रेस गवर्नमेन्ट भी हो सकती है और दूसरी गवर्नमेन्ट भी हो सकती है। इसलिये यह इम्पोर्टेन्ट व्यवस्था का सवाल है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एक्सपन्ज करने से पहले........

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपन्ज का सवाल नहीं है, Don't fear of it मैं सारी बात स्पष्ट कर चुका हूं कि जो कुछ भी बात उठायी जाय अगर पर्सनल आक्षेप की हो तो चेयर को पहले इन्फॉर्म करके उठाया जाना चाहिये और इस विषय में इस आसन से पहले भी कई बार निर्णय दिये जा चुके हैं कि सदन का कोई सदस्य न हो, उन्हें नामजद न किया जाय, उन पर कोई आक्षेप सीधे तौर पर न लगाया जाय। अगर प्रशासन से सम्बन्धित है, किसी मन्त्री की कोई गलती है, अथवा प्रशासनिक गलती है या किसी माननीय सदस्य की गलती है, तो मुझे यह रूल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी मैं रूल २७३ की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिसके मातहत पहले आसन को सूचना देनी चाहिये और यह सभी माननीय सदस्यों के ध्यान में रखने की बात है। अगर किसी माननीय सदस्य ने सीधा किसी पर आक्षेप लगाना प्रारम्भ किया तो उसकी कोई सीमा नहीं होगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप की रूलिंग के मुताबिक उसको एक्सपन्ज कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : Expunction is not a very small affair. Every thing cannot be expunged.

श्री मानसिंह मद्दार : हियर हियर।
(अन्य अनेक माननीय सदस्यों द्वारा भी हियर हियर)।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : स्पष्ट होना चाहिये। आदेश न माने और इस प्रकार चलता रहे तो आपके लिये इन्कम्बेन्ट हो जाता है कि उसको हटा देना चाहिये। आपकी रूलिंग के माफिक, उस व्यवस्था के अनुसार यह कह सकता हूं, जिसका आपने रेफरेन्स किया है उसका कन्क्लूजन यह निकलता है कि हमारी प्रोसिडिंग्स में वह नहीं रहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बतायें कि वह चीज कौनसी है ?

Page No. 108

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह चीज जो दूसरी गवर्नमेन्ट के बारे में है।

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपन्ज का मतलब यह होता है कि किसी के खिलाफ कोई अभद्र शब्द हो या आसन के निर्देश के बावजूद भी कुछ कहा जाय उसको एक्सपन्ज किया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह आपकी आज्ञा के प्रतिकूल हुआ या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : आसन से गाइडेन्स चाहे वह....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : गाइडेन्स न माने तो ?

श्री उपाध्यक्ष : गाइडेन्स मनवाने के लिये सदन को देखना पड़ेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : निकलवा दीजिये उनको बाहर नहीं मानने के लिये, वे डिस्प्रेस हो जावेंगे।

श्री फूलचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि जैसी आपने व्यवस्था दी है कि माननीय सदस्यों को चार्ज लगाने से पहले आसन से इजाजत लेनी चाहिये, उसके बावजूद एलीगेशन्स गये हैं तो उसके लिये क्या व्यवस्था होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : भविष्य में आसन देख सकता है कि ऐसे चार्जेज लगाने से पहले जिस तरह पहले भी अध्यक्ष महोदय ने यह आज्ञा प्रदान की थी कि इस प्रकार की कोई चीज कही जाय तो आसन को सूचना दी जाय। अब भी आज्ञा प्रदान की जा सकती है और आज्ञा प्रदान की जावेगी तो रोका जावेगा लेकिन जो कुछ हो चुका है उसको कैसे हटाया जा सकता है ?

श्री फूलचन्द जैन : लेकिन....

श्री उपाध्यक्ष : That is a warning in a way.

श्री मानधातासिंह (महुवा) : मैंने राज कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के बारे में निवेदन किया था। मंत्री महोदय ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मेरा यह आरोप था कि उस कम्पनी में माननीय मंत्रीजी के शेयर्स हैं और उस कम्पनी को ठेकों में प्रिफरेन्स दिया जाता है।

श्री हरिश्चन्द्र : कोई कोन्क्रीट बात रखिये तो मैं बताऊं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने खुद ने ही कहा था कि मुझे पूरी तरह नहीं मालूम है।

श्री मानधातासिंह : जहां तक मुझे मालूम है उस कम्पनी में मंत्री महोदय के उस जमाने में शेयर्स थे और अब मंत्री महोदय की महारानी साहिबा और ए० डी० सी० और रिश्तेदार हैं उनके शेयर्स हैं। उस कम्पनी को तरजीह दी जाती है।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरी वाइफ उस कम्पनी में कोई मेम्बर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल

Page No. 109

(श्री उपाध्यक्ष)

महोदय को ३,६५,०९३ रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृति)

मांग संख्या ९ स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ७९-अन्य विविध अंशदान और अभिहस्तांकन-के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०१,१८३) रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३९ स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,४६,४५६) रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४४ स्वीकार की गई।

(विराम)

(४.३० म.प.)

शेष मांगों पर मुख बंध

मांग संख्या २५—बहु-प्रयोजन नदी योजनाएं

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहु-प्रयोजन नदी योजनाओं के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,३४,१९३) रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २५ स्वीकार की गई।

मांग संख्या २६—सिंचन, नौचालन, तट-बंधन तथा जल-निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) इत्यादि

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३-सिंचन, नौचालन, तट-बंधन तथा जल-निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) तथा ४४-सिंचन, नौचालन, तट-बन्धन तथा जल विकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४५,२८४) रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृति)

मांग संख्या २६ स्वीकार की गई।

मांग संख्या २८—सड़क तथा जल-परिवहन योजनाएं

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५७-सड़क तथा जल

(श्री उपाध्यक्ष)
परिवहन योजनाओं के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,११,२७३) रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २८ स्वीकार की गई।

राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६६

(पुरःस्थापन, विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की यह अनुमति है कि राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बालकृष्ण कौल: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक्सेज डिमान्ड्स को लेकर वित्त मंत्री महोदय ने विधेयक पेश किया है। १९६३-६४ में जो एक्सेस खर्च किया गया है उसको रेग्युलराइज और लीगेलाईज करने के लिये यह विधेयक लाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इन एक्सेस डिमान्ड्स पर विचार व्यक्त करते हुए समाजवाद और सोशियलिजम की बातें भी सामने आयी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं चूंकि कौल साहब विराजमान है वे इसको इन्टरेस्ट के साथ सुनेंगे।

ये दौरे ईद....

अंगूर......"(अश्रव्य)"❀

यह समाजवाद का नारा अंगूर की शराब नहीं है। यह जहर मिला हुआ पानी है जिसको किसी भी सूरत में नहीं पीया जा सकता। क्यों नही पीया जा सकता? इसका कारण यह है कि आज बीस वर्ष हो गये जोधपुर स्टेट को मर्ज हुए, लेकिन वहा के बुलडोजर ड्राइवर्स को आज भी वही तनख्वाह मिल रही है जो जोधपुर स्टेट के समय उनको मिलती थी।

आज समाजवाद की दुहाई देने वाले महानुभाव बीस साल के बाद भी उनके अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं ला सके यह कौनसा समाजवाद है? यह आखिर किस बात का द्योतक है। हकीकत में जिनको अधिकार मिलना चाहिये उनके अधिकार को दबाये हुए हैं यह समाजवाद की रूपरेखा के खिलाफ है। ऐसी सूरत में मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि कम से कम जोधपुर में मजदूरों के सम्बन्ध में जिनके नाम मैं बतलाता हूं जिनका वेतन जो बीस साल

❀"टिप्पणी—भाषण अनुमोदित होकर प्राप्त नहीं हुआ।"

(श्री अब्दुल जब्बार खां)
पहले था आज भी वही वेतन उनका है आखिर उन लोगों की धारणा क्या बनी हुई है? उनके नाम ये हैं—

श्री अकबर खां,
श्री मांगी खां,
श्री अभयसिंह,
श्री लक्ष्मणसिंह,
श्री भैरोंसिंह,
श्री चुन्नीसिंह।

ये ड्राईवर हैं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित मंत्री): ऑन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर, सर, उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपने रूलिंग दी थी कि जितने भी इस किस्म के आइटम्स का उल्लेख करना चाहें उसकी इत्तला वित्त मंत्री को देवें जब तक मुझे नोटिस नहीं देते हैं तो इस वक्त मेरे लिये नामुमकिन है कि उनके द्वारा उठाये हुए मुद्दों का मैं जवाब दे सकूं। उनके बारे में मैं बता नहीं सकूंगा। बेहतर यह होता कि वह पहले मुझे इत्तला देते तो मैं उनके द्वारा उठाये हुए मुद्दों का जवाब दे सकता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): इसमें व्यवस्था का सवाल है, जो कई दफा उठता है, इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि यह कन्वेशन है। वित्त मंत्री महोदय जो सरकार के पैसे के कस्टोडियन हैं वे जिस किसी भी काम के लिये पैसा खर्च करने के लिये देते हैं उन सबके बारे में फाइनेन्स मिनिस्टर को खबर रखनी चाहिये कि कहीं पैसे का मिसयूज तो नहीं होता। मैं नहीं जानता माननीय सदस्य जो मसला उठा रहे हैं वह नया है? जैसे कट मोशन्स में मसलों का उल्लेख होता है उसका जवाब तलब करके मालूम कर सकते हैं, उसी प्रकार हर मसले के बारे में हो सकता है।

श्री बालकृष्ण कौल: यहां इस प्रकार का कट मोशन नहीं था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: (जौहरी बाजार, जयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल पर जो भी मसले उठाये जायं उन सब के बारे में एडवान्स में नोटिस दें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है और न अभी जो व्यवस्था उपाध्यक्ष महोदय ने दी है वह इसके बारे में है। उपाध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी है वह पर्सनल एलीगेशन्स से सम्बन्धित है। अगर किसी पर पर्सनल चार्जेज लगाये जायं तो उस सम्बन्ध में नोटिस दिया जाना चाहिये। लेकिन सब बातों के लिये नोटिस दिया जाय यह न तो पार्लियामेन्ट में व्यवस्था है और न अन्य विधान सभाओं में।

श्री बालकृष्ण कौल: मैं आपका ध्यान रूल १५४ के सब-रूल (४) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

"(4) The debate on an Appropriation Bill shall be restricted to matters of public importance or administrative policy implied in the grants covered by the Bill which have not already been raised while the relevant demands for grants were under consideration."

(श्री बालकृष्ण कौल)

It is only a policy matter which you can discuss and not item by item. This is not a matter of policy, but of details.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पॉलिसी जो सोशलिज्म की है उसके बारे में एल्युसिडेशन देना जरूरी है, इस पर यह रूल एप्लाई नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष : जैसा कि माननीय श्री ज्वालाप्रसाद जी ने कहा उस विषय में मैं सदन का ध्यान इन रूल्स की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, रूल १५४ (४), (५) इससे खास तौर से रेलेवेन्ट हैं। इस विषय में मुझे इतना ही कहना है कि साधारणतया एप्रोप्रिएशन बिल पर मेटर्स ऑफ पॉलिसी पर ही विशेष तौर से कहा जाता है। फिर भी अगर कोई तथ्य लाने की बात हो तो उसके लिये नोटिस दिया जाता है। उदाहरण की तौर पर यदि कोई बात रखी जाती है तो अगर माननीय मंत्री उससे सम्बन्धित हों तो वे उसका जवाब देते हैं लेकिन उनको हर बात का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता उनके लिये यह सम्भव नहीं है कि हरेक तथ्य की जानकारी वे रखें। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कोई उदाहरण रखते हैं तो उसके लिये आप यह आशा नहीं कर सकते कि उसका जवाब मिल ही जाय।

श्री अब्दुल जब्बार खां : मैं वैसे तो सरकार से यह आशा नहीं रखता हूं कि सरकार इसका जवाब दें। कारण इसका यह कि अगर वे जवाब देने का इरादा रखते तो आज राजस्थान में इस प्रकार की समस्या खड़ी ही नहीं होती। त्राहि त्राहि करके लोग चिल्लाते नहीं। आज लोग यह महसूस करने लग गये हैं कि इससे तो राजाओं का राज्य ही अच्छा था।

उपाध्यक्ष महोदय यह हमारे कान सुन सुन कर पक गए कि सरकार यह समस्या हल करती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): क्या माननीय सदस्य के घर में समस्या नहीं है? क्या वे घर की समस्या सुलझा कर आये हैं।

श्री अब्दुल जब्बार खां : वह तो मैं जानूं, मेरा घर जाने। पर यहां पर तो जनता की समस्याओं को सुलझाने का प्रश्न है। इन्डिविजुअल या व्यक्तिगत समस्या के सुलझाने की बात नहीं है। राज यह चाहता है कि जिसका जो अधिकार है उसे वह मिले। राज चाहता है बेरोजगार को रोजी मिले, भूखे को पेट भर रोटी मिले, रहने को लोगों को मकान मिले। पर आज २० साल के बाद भी यह समस्या उसके लिये वैसी ही है, बल्कि और जटिल बन गई है।

आज जिन्होंने बन्दूक कन्धों पर रख कर देश की हिफाजत के लिये तत्परता दिखाई थी वह वहां से आकर एक मैकेनिक की जगह रह गया तो अफसोस है। आज २० साल के बाद भी वही तनख्वाह पा रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि कौनसे डंडे पर टिका है आपका समाजवाद? बीस साल से एक आदमी आंसू बहा रहा है, पर हमदर्दी का

(श्री अब्दुल जब्बार खां)

रूमाल लेकर आप उसके ये आंसू नहीं पूंछ सकते?

श्री गिरधारीलाल व्यास : जरूर पूंछेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अगर उसकी तरक्की हो जावे तो समाजवाद आ जावेगा?

श्री अब्दुल जब्बार : खुदा करे, आपके दिमाग में ये बातें आ जावें। समाजवाद की बात, मानता हूं, इससे एकदम नहीं आने वाली है; पर इस तरह के छोटे-छोटे मसलों को अगर आप ध्यान देकर सुलझाते जावेंगे तो लोगों की आस्था इस पर बढ़ेगी। आस्था जमाने के लिहाज से यह एक किस्सा भी बहुत महत्वपूर्ण है।

समाजवाद लाना बहुत मुश्किल है, आप ला सकते हैं, हम ला सकते हैं, पर दूसरा नहीं ला सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, उदयपुर के पी० डब्ल्यू० डी० के मसले को लेकर इस सदन में इतनी चर्चाएं होती हैं, प्रश्न आते हैं पर सरकार उनको हल करने की कोशिश नहीं करती। मेरी समझ में नहीं आता, ऐसी क्या बात है।

मैं भी जगदम्बालाल को जानता हूं। अच्छी तरह उससे बातचीत हुई है। साथ बैठकर खाना भी खाया है। पर मेरी समझ में नहीं आता कि आज इतनी बात होने के बावजूद भी सरकार यह नहीं कहती कि इतने साल तक क्यों बनाये रखना चाहती है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उस खाने में नमक भी था या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय चूंकि समाप्त होने वाला है और विधेयक हमारे सामने है इसलिये मैं समझता हूं कि सदन की इच्छा होगी कि सदन का समय जब तक यह पारित न हो जावे, तब तक के लिये बढ़ाया जावे।

(स्वीकृत)

सदन का समय जब तक आज का बिजनैस पूरा न हो जावे तब तक के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री अब्दुल जब्बार खां : एक हसनबक्ष नामक ठेकेदार है। उसने उदयपुर पी० डब्ल्यू० डी० में ठेकेदारी की। ५० से उसका १८ हजार का क्लेम आज तक पड़ा है। सरकार पर उसने दावा भी कर रक्खा है। वह शख्स पैसा नहीं मिलने से बेरोजगार हो गया। मकान जायदाद उसके नीलाम हो गये। तन पर कपड़ा पहनने को नहीं रह गया। भूख से बचने के लिये तन के कपड़े के लिये और अपने बाल-बच्चों को जिंदा रखने के लिये पी० डब्ल्यू० डी० में उसने नौकरी की और जब दावा करने का सवाल आया तो विरोधी यूनियन में उसके होने की बात सामने आयी तो उसे सर्विस से टरमिनेट कर दिया गया। बगैर नोटिस के। आज दस साल उसे मिस्त्री का काम करते हो गये। पर उसका कोई सुनने वाला नहीं। इस किस्म की ज्यादती कब तक होती रहेगी?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से भी निवेदन करता हूं कि उदयपुर में जितने ओवरसीयरों के प्रोमोशन हुए हैं, चाहे एक

(श्री अब्दुल जब्बार खां)

हों, दस हो या सौ हों, आप महरबानी करके सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर से फाइल मंगाकर देख लीजिये कि ये कहां तक जायज हुआ है और कहां तक नाजायज हुवे हैं। रोड़ इन्सपेक्टर मिस्त्री से लो होता है पर उसको डाइरेक्ट प्रमोशन दे दिया गया जब कि मिस्त्री उसके लिये हकदार थे जो अर्से से सर्विस में हैं और इस पोस्ट पर काम कर रहे हैं और जिनका प्रमोशन किया गया उनसे वे ज्यादा सीनियर और क्वालिफाइड हैं। उनमें से एक का नाम बताता हूं। एक हैं चन्द्रमोहन माथुर। उनको रोड़ इन्सपेक्टर से ओवरसीयर बना दिया।

यह उदयपुर की कह रहा हूं, दूसरी जगह की नहीं।

सरकार ने नियम बना रक्खा है, छोटे-छोटे तनख्वाह के कर्मचारियों को अपने अपने-जिलों से दूसरे जिलों में स्थानांतरित नहीं किया जावेगा। बड़ी खुशी की बात है। कागज में लिखा है। आज भी उनको यह कह कर कि उदयपुर में काम नहीं है, और उनको बांसवाड़ा और डूंगरपुर ट्रांसफर कर दिया जाता है। कैसे वे वहां अपनी छोटी-छोटी तनख्वाहों में गुजर करेंगे, कैसे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, आज के वैज्ञानिक और प्रोग्रेसिव युग में अपने लड़कों को किस प्रकार आगे बढ़ाकर अपनी ख्वाबों की दुनिया को आबाद कर सकेंगे कि मेरा लड़का भी डॉक्टर और इन्जीनियर बने।

इसका मतलब यह हुआ कि समाजवादी समाज की रचना इस कांग्रेस के शासन काल में ऐसी हो रही है कि गरीबों के लड़के बड़ों के पैरों तले दबे रहें, बड़ों-बड़ों के तलुए चाटते रहें जैसे पुराने गुलामी के जमाने में चाटते रहे थे। तो आज भी चाटते रहो। क्या यही रूपरेखा है आपके समाजवाद की? नीचे गिरा हुआ कभी ऊपर नहीं आ सकता। इस स्थिति को बदलने के लिये खून को गरम करना पड़ेगा। यह खून में गरमी अब आप नहीं ला सकते।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों पर पी० डब्ल्यू० डी० की गैंग काम करती हैं। उन बेचारों को पैदल चलना पड़ता है छह-छह और आठ-आठ मील। मैं निवेदन करता हूं कि उनके लिये रोड़ पर एक डिसटेन्स मुकर्रर कर लेना चाहिये। तीन मील इधर और तीन मील उधर इसके बीच में एक चौकी बना देनी चाहिये ताकि वे वहां रह सकें और अच्छी तरह काम कर सकें, इससे काम में भी अच्छाई आवेगी।

आज लोगों को वर्क चार्ज पर आप रखते हैं। उनको कोई मेडीकल फेसीलिटी नहीं, कोई शिक्षा की सहूलियत नहीं और कोई दूसरी तरह का कोई राहत नहीं। अगर औरत काम करती है तो उसे मैटरनिटी का फायदा नहीं।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह थोड़ा तो हम आगे बढ़ें इन समाजवादी राज्य में। छोटों के लिये आप क्या कर रहे हैं? बड़ों का वेतन बढ़ा रहे हैं। बड़ों की सहूलियतें आप सोचते हैं। इससे आप ना नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहता हूं छत पर लीपा-पोती करने से काम नहीं चलेगा नींव को मजबूत करिये। नींव को मजबूत किये बिना छत ज्यादा देर तक जिन्दा नही रखी जा सकेगी। जब तक तने की जड़ तर नहीं होगी, पानी नहीं

(श्री अब्दुल जब्बार खां)

मिलेगा उसे तो आपका यह समाजवाद का वृक्ष पनप नहीं सकेगा, सूख जावेगा।

मखमल पर हाथ फेरेंगे तो नरम नजर आवेगा, बराबर मालूम होगा कि नरम है। पर कभी कांटों पर भी हाथ फेरा है। कम से कम यह देखिये कि गुल से खार अच्छा जो दामन तो थाम लेते हैं। ऊपर वाले गुल हैं, पर खार ही राहत पहुंचावेंगे।

इन्हीं बातों की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हुआ अपनी इच्छाएं व्यक्त कर देता हूं। कोई बात नहीं, आप जवाब न दें। पर प्रोसीडिंग्स में तो मेरी बातें दर्ज होंगी। बाद में लोगों को पढ़ने को तो मिलेंगी। मन्त्री लोग पढ़ेंगे फुरसत में, कर्मचारी पढ़ेंगे आने वाले जमाने में इन बातों को रेफर करेंगे और मन्त्री लोग भी आने वाले सेशन में तैयार होकर आवेंगे और जवाब देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु०): माननीय उपाध्यक्षजी, जो एप्रोप्रियेशन बिल पेश किया गया है सरकार हर साल ऐसा करती है और अपने आप को कहती है कि हम सारे राज्य की योजना बना कर चलते हैं और इस तरह से घाटे का बिल हमेशा सरकार पास करवाती है इससे सरकार अयोग्य है। जिस तरह से डिपार्टमेन्ट-वाइज जैसे सड़कों का मामला है मैंने पहले भी हाउस में कहा था कि मेरे यहां सड़क बनी उसमें सिकन्दरा वाया गीजगढ़, गंगापुर उस पर एक पैसा भी पी० डब्ल्यू० डी० ने (४.५१ म० प०) खर्च नहीं किया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल पदासीन)

इसी तरह से उकाड़ी घाटी का काम भी यों ही पड़ा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे निर्माण के लिये और दूसरे कामों के लिये सरकार सप्लीमेन्ट्री पैसा लेती है तो यह काम नहीं कराते हैं जहां से कांग्रेसी केन्डीडेट जीत कर आते हैं और जो अपोजीशन के लोग हैं उनके यहां पर सरकार कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहती है। तो इस तरह से अपनी मर्जी से, अपने अफसरों को खिलाने के लिये गवर्नमेन्ट इस तरह से हाउस में बिल पास कराये मैं समझता हूं कि इसे कतई पास नहीं किया जाये। यह खुशामदी सरकार अपने ही आदमियों के लिये ऐसा करती है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप निश्चय करके देख लें कोई भी डिपार्टमेन्ट से पूछ लें हर जगह यही कहेंगे कि ४ आना तो फलां आफिसर को देना पड़ता है, २ आना फलां आफिसर को देना पड़ता है। हालांकि पैसा कोई खाये या नहीं खाये लेकिन मैं राजा साहब को चेलेन्ज करके कहता हूं कि आप कभी भी प्राइवेटली मुझ से जानकारी कर लें। मैं आपको जानकारी करवा दूंगा कि बहुत से आदमी रोते फिरते हैं और वह कहते हैं कि हमें ठेका तब दिया जाता है जब कि ७५ पर्सेन्ट वहां देना पड़ता है और इस तरह से गवर्नमेन्ट हाउस से यह बिल पास कराये तो मैं तो कहता हूं कि इससे फालतू सरकार और वह भी अयोग्य सरकार कोई बात नहीं करेगी।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): चेयरमेन महोदय, निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें कही। वह चाहते थे कि जिस समय डिमान्ड्स के ऊपर बहस हो रही थी उनको मौका मिलता और

(श्री बालकृष्ण कौल)

यह जो विषय उन्होंने रखा उस समय रखते तो शायद उनको कुछ ज्यादा सामग्री मिल जाती। लेकिन समय के न होने के कारण वह इस समय एप्रोप्रियेशन बिल के वक्त बोले। मैं इतना निवेदन उनसे कर दूं कि जो बातें उन्होंने कही हैं अगर वे ठीक हैं और होनी चाहिए ठीक, तो सरकार को उस पर गौर करना चाहिए और जैसे बुलडोजर ड्राईवर्स की बात उन्होंने कही कि उनकी तनख्वाह जब से जोधपुर स्टेट के जमाने में थी वही चली आ रही है। कुछ समझ में तो यह बात नहीं आती कि यह कैसे है। कोई गलती हो सकती है या वाकई सरकार में गलती हो या फिर उनके समझने में गलती हो। दोनों में से एक गलती जरूर है। मुझे उम्मीद है कि पी० डब्ल्यू डी० मिनिस्टर उस पर विचार करेंगे और कहीं अगर गलती है तो उसको मालूम करके दुरुस्त करेंगे। इसी तरीके से कुछ और उन्होंने बातें रखीं। लेकिन मैं उनको यह एश्योरेन्स देना चाहता हूं कि जो बातें उन्होंने कही हैं उनमें अगर कहीं खामी है तो वह खामी दूर होगी। इसी तरीके से एक माननीय सदस्य ने और कुछ प्रश्न उठाये और उनकी जो बातें थी वही थी जो हमेशा उठाई जाती है, पी० डब्ल्यू डी० या और दूसरे डिपार्टमेन्ट के बारे में की वहां पर ४ आना पैसे ले लेते हैं, २ आना पैसा ले लेते हैं। मैं इससे इन्कार नहीं करता। इस मुल्क में रिश्वतखोरी है। लेकिन इसके कहने से ही रिश्वतखोरी बन्द नहीं हो जायेगी और न सरकार इसको एक दम खत्म कर सकेगी बगैर माननीय सदस्यों के को-ऑपरेशन के। मैं समझता हूं कि यह बड़ा कठिन है। हर शख्स को और खासकर जो माननीय सदस्य इस सदन के मेम्बर हैं उनको मिलकर इस कोशिश में रहना चाहिए कि किसी तरीके से यह रिश्वतखोरी जो चल रही है वह रुक जाये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या माननीय मिनिस्टर महोदय बतायेंगे कि वे क्या को-ऑपरेशन चाहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी सक्यूलर वह देंगे वह पूरा करने के लिए माननीय सदस्य आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। आपको को-ऑपरेशन माननीय सदस्यों का बराबर मिलेगा और आपको करप्शन रोकना चाहिए। इस सिलसिले में जो कदम उठायेंगे उसके लिए अपोजीशन क्या कांग्रेस क्या सब मेम्बर्स आपके साथ हैं।

श्री बालकृष्ण कौल: चेयरमेन महोदय, मुझे खुशी है कि जो नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होने इस तरफ हाथ बढ़ाया ....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने नहीं, सब की तरफ से कहा है।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं सबकी तरफ से माननीय सदस्य का एश्योरेन्स नहीं मान सकता। उनकी तरफ से तो मान सकता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरी बात से इन्कार नहीं कर रहे हैं और आपकी बात से भी 'ना' नहीं कर रहे हैं। सब 'हां' कर रहे हैं। बोलो भाई।

(अनेक माननीय सदस्य—हां)

नहीं तो डिफाल्ट में आ जाओगे।

श्री बालकृष्ण कौल : इसलिए जो जो बातें आपने इस समय एप्रोप्रियेशन बिल के उपस्थित होने के बाद रखी में सरकार की तरफ से यह कह सकता हूं कि उन पर गौर किया जायेगा, उनको एग्जामिन किया जायेगा और जो कुछ उनमें तथ्य निकलेंगे उनको ठीक किया जायेगा।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६६ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री बालकृष्ण कौल : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६६ को पारित किया जाये ?

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (सं० ३), विधेयक, १९६६ को पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ४ बज कर ५५ मिनट पर दिनांक ६ अप्रेल, १९६६ के ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक ५ अप्रेल, १९६६)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
२६	अन्तिम से ५	६ ०	६००
२६	,, ,,	श्री जयनारायण साल दिया	श्री जयनारायण सालोदिया
३५	१	श्री मति	श्रीमती
८०	७-१५	एब्जोशन	एब्जोर्प्शन
८५	१६	नहीं	न हो
९८	२०	जा हर	जाहिर
११३	अन्तिम से १२	म त्री	मन्त्री
११६	शीर्ष	कय	कार्य
१२४	१३	१ ,०००) रु०	१०,०००) रु०
१५५	१०	श्री मानसिंह मह र	श्री मानसिंह महार
१५८	५	श्री दलपनिसिंह	श्री दलपतसिंह
१८२	५	महोल	माहौल
२००	अन्तिम से ७	ग्रोर	और
२२१	,, ८	कन्वेशन	कन्वेन्शन
२२६	अन्तिम	ने (४.५१ म. प.) खर्च नहीं किया	ने खर्च नहीं किया (४.५१ म. प.)